खण्ड-239, अंक-8
शनिवार, 11 फाल्गुन, शक संवत् 1884
(2 मार्च, 1963 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 239 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ट–संख्या
उपस्थित सदस्य	४९९–५०३
प्रश्नोत्तर	५०३–५०४
सचिव विधान मंडल के पद समाप्ति के सम्बन्ध में जानकारी.. ..	५०४
गोरखपुर तथा बस्ती जिलों में भारत-नैपाल सीमा पर तिब्बती शरणार्थियों के प्रवेश करने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं ..	५०५–५०६
श्री नेकराम शर्मा द्वारा अभिसूचित कार्य-स्थगन प्रस्ताव (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)..	५०६–५१८
उत्तर प्रदेश वृहत् जोतकर विधेयक, १९६३ (पुरः स्थापित किया गया)	५१९
१९६३-६४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या १––वृहत् जोतकर, अनुदान संख्या २––भू––राजस्व (मालगुजारी) तथा अनुदान संख्या ४०––दुर्भिक्ष सहायता (स्वीकृत)	५१९–५५२
अनुदानसंख्या १५––खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन तथा अनुदान संख्या ५५––राज्य व्यापार की योजनाएं (स्वीकृत)	५५२–५५३
अनुदान संख्या १३––कारागार (जेल) (स्वीकृत)	५५३
अनुदान संख्या ४४––वन (स्वीकृत)	५५३–५६४
अनुदान संख्या १६––वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्यकलाप (स्वीकृत)	५६४–५७५
अनुदान संख्या ३––राज्य आबकारी (स्वीकृत)	५७५
नत्थी	५७६–५८८

LIBRARY
JUL

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, २ मार्च, १९६३

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ, में १० १/२ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३४१

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंचईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गैंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री

गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्फ़न)
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्मेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री

बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
विशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह, वैद्य श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामआधार कनौजिया, श्री
रामआधीनसिंह, श्री
रामआनन्त पांडेय, श्री
रामआवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देखमुख , श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री

रामर्मूति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ , श्री (उपनाम चौबे)
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवदानसिंह , श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त, वकील
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री

हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री तथा लघु उद्योग उप मंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

शनिवार, २ मार्च, १९६३

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

पशुपतिनाथ तिवारी एवं भोला तिवारी की नेपाल राज्य में गिरफ्तारी

**१—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम खजुरिया-मान पुरी, पुलिस चौकी सम्पूर्णानगर, थाना पलिवा कलां, जिला खीरी लखीमपुर के रहने वाले दो व्यक्तियों सर्व श्री पशुपतिनाथ तिवारी व भोला तिवारी को दिनांक १२ फरवरी, सन् १९६३ को नैपाल की पुलिस भारतीय क्षेत्र से जबरदस्ती पकड़ कर ले गयी, इस बात की सूचना उसको मिली है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी या की जा रही है ?

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—

उत्तर प्रदेश सीमा के अन्दर इस प्रकार की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई ।

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये, बात ऐसी है कि इस पर कोई ऐसा प्रश्न न किया जाय जो आपकी इस असेम्बली की सीमा क्षेत्र के बाहर हो ।

श्री भीखालाल—

क्या सरकार को इस बात का पता है कि इन दो व्यक्तियों (सर्वश्री पशुपतिनाथ तिवारी व भोला तिवारी) की गिरफ्तारी जिनका जिक्र प्रश्न में है, अगर उत्तर प्रदेश की सीमा में नहीं हुई तो क्या नैपाल सरकार की सीमा के अन्दर हुई ?

श्री नवलकिशोर—

यह बात सही है कि इन दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी नैपाल की सीमा के अन्दर हुई ।

श्री भीखालाल—

क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने का प्रयास किया है जो उस क्षेत्र में अफवाह है कि इन दो आदमियों को पकड़ कर नैपाल में गोली मार दी गयी है या उनको काठ में डाल दिया गया है ?

श्री नवलकिशोर—

इसकी कोई सूचना नहीं है, मगर उनको क्यों पकड़ा गया, इसकी बाबत सरकार जानने की कोशिश कर रही है ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

क्या माननीय गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन दो व्यक्तियों की चर्चा की गयी है, इनको कहां पर रखा गया है और इनका क्या अपराध है ।

श्री नवलकिशोर—

मैंने अर्ज किया कि इन सब बातों की मालूमात की जा रही हैं ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये दोनों व्यक्ति किसी राजनीतिक दल से सम्बन्धित थे ? यदि थे, तो किस दल से ?

श्री नवलकिशोर—

मान्यवर, इसकी सूचना मेरे पास तो नहीं है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरहद पर ऐसी घटनायें कई जगह पर हो चुकी हैं जिनकी सूचना माननीय मंत्री जी को है यदि हां, तो इनकी रोकथाम के लिये माननीय मंत्री जी कोई विशेष योजना बनाने पर विचार करेंगे ?

श्री नवलकिशोर—

श्रीमन्, इस तरह की घटनायें कई हुई, इसकी सूचना तो नहीं है और दूसरे यह मसला गवर्नमेन्ट आफ इंडिया के देखने का है और वह उसे देखती है ।

सचिव, विधान मंडल, के पद समाप्ति के सम्बन्ध में जानकारी

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्वाइंट आफ आर्डर विधान मंडल के सचिव, श्री पुरी के सम्बन्ध में उठाया था कि उस सम्बन्ध में इस सदन की कोई राय नहीं ली गयी और आप ने भी कोई राय नहीं ली गयी, तो मैं जानना चाहता हूं कि यहां के मुलाजिम आपके मातहत हैं या गवर्नमेन्ट के मातहत हैं, इस पर आप अपनी कोई व्यवस्था दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का सवाल तो है नहीं और बात यह है कि आपने एक बात पूछी थी, उसके विषय में जहां तक मुझे इत्तिला है, अभी कोई निर्णय हुआ नहीं है, इसलिये इसका कोई सवाल पैदा नहीं होता और बाकी यह कि माननीय अध्यक्ष और गवर्नमेन्ट में कोई बात चल रही होगी, तो उसका निर्णय हो जाने पर आपको सूचना दे दी जायगी ।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

जो व्यवस्था आप दे रहे हैं उसके सम्बन्ध में आप क्लेरिफिकेशन देने की कोशिश करेंगे कि इस ६३–६४ के बजट में जो कि इस सदन के सामने पेश किया गया उसमें विधान मंडल के सचिव के पद को हटा दिया गया है ? इसके सम्बन्ध में क्या आपकी राय ली गई, आप की कोई कानकरेंस ली गई ?

श्री उपाध्यक्ष—

अभी तो गवर्नमेन्ट ने केवल बजट पेश किया है, अभी तो कोई आइटम रहे या न रहे यह नहीं कहा जा सकता, अभी इसके बारे में....

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

वह रिव्यू हो रहा है या पत्र-व्यवहार चल रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष—

अभी तो पद के रहने, न रहने का सवाल चल रहा है, वह अभी तय नहीं हुआ है ।

गोरखपुर तथा बस्ती जिलों में भारत-नैपाल सीमा पर तिब्बती शरणार्थियों के प्रवेश करने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष---

मेरे पास नियम ५२ की ७ सूचनायें आई हैं, उनमें से मैंने श्री जगन्नाथ राव की सूचना को स्वीकार किया है जो इस प्रकार है "गोरखपुर तथा बस्ती जिलों में भारत-नैपाल सीमा पर हजारों की संख्या में तिब्बती शरणार्थी के रूप में भारत प्रवेश करना चाहते हैं। अनुमान यह है कि इनमें चीनी गुप्तचरों के भी होने की सम्भावना है। इस संकटकालीन स्थिति में इस प्रकार विदेशियों का अपने प्रदेश में आना किसी भी प्रकार उचित नहीं है तथा अन्तरिम सुरक्षा के लिये संकट उत्पन्न हो जाने की संभावना है।" मैंने इस को स्वीकार कर लिया हैं। इसके साथ ही २ इसी तरह की सूचनायें और हैं, मैंने उनको भी मंत्री जी के पास भेज दी हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

श्रीमन्, मैंने जो दफा ५२ की सूचना दी है उसके सम्बन्ध में मैं एक स्पष्टीकरण मंत्री जी को देना चाहता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष---

वह नरसिंह नारायण जी और काशी नाथ जी की सूचनायें थीं वह मैंने मंत्री जी के पास भेज दी हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

जो वहां की स्थिति है उसके बारे में मैं मंत्री जी को सूचना देना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठिये, मैं मंत्री जी से पूछ रहा हूं कि वह इस पर कब अपना स्टेटमेंट देंगे ?

गृह उप-मंत्री (श्री नवलकिशोर)---

श्रीमन्, ५ तारीख को इस सम्बन्ध में स्टेटमेंट दे दूंगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

श्रीमन्, मैं दो एक बातें बताना चाहता था कि वह इन बातों की भी जानकारी साथ में करा लें।

श्री उपाध्यक्ष---

वह तो आपने सब लिख ही दिया है, आप बैठ जायं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

श्रीमन्, वह बोर्डर का क्षेत्र है, मैं वहां का रहने वाला हूं, इस वास्ते मैं कह रहा हूं कि जो स्टेटमेंट दिया जाय तो वह इन बातों की भी उस में जानकारी करा लें, वहां स्थिति यह है कि.....

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने सोचने के बाद ही उसको स्वीकार किया है, आपका भी मैंने भेज दिया है, ५ तारीख को उनका स्टेटमेंट हो जायगा। आप विराजें। [×××]

मैंने श्री जगन्नाथ राव की आपकी और श्री काशीनाथ जी की सूचना मंत्री जी को भेज दी है।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, मेरा एक नियम ५२ का है आप उस सम्बन्ध में पी० डब्लू० डी० मिनिस्टर को जांच के लिये आदेश दें।

[×××] श्री उपाध्यक्ष की आज्ञा से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें, बाकी सब मैंने अस्वीकार कर दिये हैं, उन पर माननीय सदस्य चाहें तो अल्प-सूचित प्रश्न कर सकते हैं।

श्री नेकराम शर्मा द्वारा अभिसूचित कार्य-स्थगन प्रस्ताव

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, मैंने आप की सेवा में एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव किया था, आपको मालूम है कि लखनऊ में नुमायश हो रही है और उसमें राष्ट्रनायक, नेहरू जी के खिलाफ पोस्टर्स लगाये गये हैं और आर० एस० एस० के वालंटीयर्स कहते हैं कि नेहरू ने गद्दारी की है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप का जो कार्यस्थगन प्रस्ताव था उसमें लिखा था कि इसको यदि इस रूप में नहीं तो नियम ५२ में स्वीकार किया जाय, मैंने उसको नियम ५२ में ट्रांट किया, अस्वीकार किया है। मैं समझता हूं कि इसकी कोई जिम्मेदारी गवर्नमेन्ट.....

श्री नेकराम शर्मा—

गवर्नमेन्ट का होम विभाग इसका जिम्मेदार है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

ऐन्टी नेहरू कोई कार्यवाही है तो उसकी सरकार जिम्मेदार है, उनको क्या गर्मी है ?

श्री उपाध्यक्ष—

नियम ५२ में मैंने एक सूचना पहले ही स्वीकार कर ली है, अतः अब इसका कोई सवाल नहीं उठता।

श्री नेकराम शर्मा—

मैंने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया और मैंने कहा कि अगर आप उसे स्वीकार करने में असमर्थ हों तो आप नियम ५२ में स्वीकार कर लें। हजारों आदमी नुमायश देखने जाते हैं और वहां नेहरू जी के विरोध में पोस्टर लगाये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जायं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अगर नेहरू जी के खिलाफ कोई चीज फैलती है तो सरकार की ओर से कुछ होना चाहिए नेकराम जी की तरफ से नहीं।

श्री नेकराम शर्मा—

मेरा निवेदन है। जहां तक आपने कहा सरकार का इससे सम्बन्ध नहीं है। माननीया सुचेता कृपालानी जी ने उसका उद्घाटन किया और एक या दो मंत्रिगण ने उसमें धन दिया है और माननीय बनारसी दास जी का उस नुमायश में काफी हाथ है। मैंने कल स्वयं देखा.....

श्री काशीनाथ मिश्र—

माननीय नेकराम शर्मा किस पर बोल रहे हैं ?

श्री राधेश्याम शर्मा—

आप माननीय नेकराम शर्मा जी को नहीं रोक रहे हैं तो हमको क्यों रोक रहे हैं। आप किस विषय पर उनको सुन रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

वह अपने नोटिस के बारे में कुछ कहना चाहते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र--

माननीय नेकराम जी के बाद हमको भी आप दो मिनट का समय देंगे ।

श्री नेकराम शर्मा--

इमर्जेंसी है और ऐसे समय में प्रधान मंत्री को हटाओ, देश को बचाओ यह नारे.....

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)--

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैं आपसे इस बात पर व्यवस्था चाहता हूं कि जब आपने उस काम रोको प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो माननीय सदस्य किस आधार पर अपना वक्तव्य दे रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

(माननीय नेकराम शर्मा से) अब आप विराजिये ।

श्री नेकराम शर्मा--

देश के प्रधान मंत्री के खिलाफ जो घृणा का प्रचार हो रहा है ....

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने अपनी रूलिंग दे दी है अब उसके ऊपर मैं कुछ सुनना नहीं चाहता । उस नोटिस को मैंने अच्छी तरह से एक दो, तीन, दफा पढ़ा है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उसमें किसी तरह से सरकार जिम्मेदार नहीं होती है । जैसा आपने लिखा, अगर मान भी लिया जाय कि सरकार ने किसी प्रदर्शनी के लिये कुछ रुपया भी दिया हो, पहले तो आप डेफिनिट नहीं है कि रुपया दिया है, लेकिन अगर मान लें कि रुपया दिया है तो भी प्रदर्शनी के लिये रुपया देने के माने यह नहीं हैं कि रुपया इस हेतु दिया है ।

दूसरी बात आपने कही कि माननीय सुचेता जी ने उसका उद्घाटन किया । तो मैं मान सकता हूं किसी के इन्वीटेशन पर कोई मंत्री उद्घाटन कर दे तो किस के लिये किया ? प्रदर्शनी के लिये, उसमें क्या चीज होती है ? उसकी जिम्मेदारी सरकार पर नहीं है, इसलिये मैंने इसको डिसएलाऊ कर दिया ।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)--

आपने यह कहा कि सरकार का मंशा ऐसा नहीं हो सकता है । तो मैं जानना चाहता हूं सरकार के दिल की मंशा कौन सी मशीन से आप जान सकते हैं, अगर सरकार के स्पोक्समैन ने यह कहा होता कि उसकी मंशा ऐसी नहीं है तो मान सकता था ....

श्री उपाध्यक्ष--

आप गलत बात कह रहे हैं । मैंने यह नहीं कहा कि सरकार का ऐसा मंशा है ....

श्री भगवानसहाय--

ऐसे कार्यों के करने में सहायता देने के लिये आपकी जो नीति है उसके विरोध में हम और हमारी पार्टी सदन का एक मिनट के लिये त्याग करते हैं ।

(इसके उपरान्त निर्दलीय दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

[* * *]

(श्रीमती सुचेता कृपालानी के उठने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सुचेता जी कुछ कहना चाहती हैं ।

[* * *] श्री उपाध्यक्ष की आज्ञा से निकाल दिया गया ।

श्री नेकराम शर्मा--

पहले मुझे कहने दीजिये। पहले मुझे सुन लीजिये। जब तक आप मेरी बात नहीं सुन लेंगे तब तक आप दूसरे मेम्बर को नहीं बुला सकते।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने आपको काफी लेटीट्यूड दिया है। अब आप बैठ जाइये।

श्री नेकराम शर्मा--

कुछ मंत्रिमंडल के लोग नेहरू जी के खिलाफ साजिश में शामिल हैं। लिहाजा आप मेरी बात पहले सुन लें।

श्री राधेश्याम शर्मा--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय नेकराम जी जो कह रहे हैं कि आपके पहले मुझे सुनना पड़ेगा.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

सदन की परम्पराओं की रक्षा करने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि आप कृपा करके बैठ जायं। आपने अपनी बात बहुत कुछ कह ली है। माननीय सुचेता जी की भी बात सुन लीजिये।

श्री नेकराम शर्मा--

जब तक आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तब तक मैं नहीं बैठूंगा। आप तब तक किसी मेम्बर या मंत्री को नहीं बुला सकते। आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जाइये या सदन छोड़ दीजिये।

(व्यवधान)

मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं आपको इंगित करूं।

श्री नेकराम शर्मा--

मुझे आप निकाल दें इसकी चिन्ता नहीं है। इस समय मान मर्यादा का सवाल है नेहरू जी की।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं श्री नेकराम शर्मा जी को इंगित करता हूं।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री नेकराम शर्मा जी को इस सदन की सेवा से एक हफ्ते के लिये निलम्बित कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री नेकराम शर्मा जी को इस सदन की सेवा से एक हफ्ते के लिये निलम्बित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री भगवानसहाय--

मैं डिवीजन चाहता हूं

श्री उपाध्यक्ष--

श्री नेकराम शर्मा आप सदन छोड़ दें।

श्री नेकराम शर्मा--

आपसे डिवीजन मांगा गया तो आपने डिवीजन नहीं दिया और न मुझे अपनी बात ही कहने दी। मैं सदन नहीं छोड़ सकता।

[* * *]

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

जब तक सदन की राय आप न ले लें तब तक आपको निर्णय नहीं करना चाहिये। उधर के लोगों ने प्रस्ताव रखा है और बिना हमारी राय लिये हुये आपने फैसला दे दिया है जो कि अवैधानिक है। सदन की राय लेने के बाद ही आप निर्णय दे सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने सदन की राय ले ली है। यह कैसे आप कहते हैं कि राय नहीं ली गयी है ?

श्री भगवानसहाय--

डिवीजन चैलेंज किया गया, लेकिन आपने उसे नहीं माना। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

नेकराम शर्मा जी ने जो बातें कही हैं वे रेकार्ड में या प्रेस में नहीं जायेंगी।

श्री भगवानसहाय--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक अर्ज करना चाहता हूं।

(मार्शल की प्रार्थना पर भी श्री नेकराम शर्मा सदन से बाहर नहीं गये।)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदन को यह सूचना देनी है कि माननीय नेकरामजी से मैंने रिक्वेस्ट की कि वे सदन छोड़ दें, वे निलम्बित कर दिये गये हैं। उसके बाद भी वे सदन नहीं छोड़ रहे हैं।

कुछ सदस्य--

डिवीजन मांगा गया, सदन की राय नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष--

सदन की राय कैसे नहीं हुई ?

(व्यवधान)

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--

सदन का निर्णय नहीं हुआ।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)--

हाउस का डिवीजन आपने लिया नहीं।

श्री उपाध्यक्ष--

सदन का निर्णय घोषित करने से पहले डिवीजन की मांग होती तब मैं डिवीजन कराता।

(व्यवधान)

कुछ सदस्य--

डिवीजन की मांग की है।

श्री भगवानसहाय--

मैं आपसे कुछ दस्तबस्ता अर्ज करना चाहता हूं, एक मिनट आप मुझे सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष--

देखिये। मैंने पुट किया क्वेश्चन। वह पास हुआ। मैंने कहा कि वे निलम्बित किये गये। तब तक किसी ने डिवीजन की मांग नहीं की है।

[***] श्री उपाध्यक्ष की आज्ञा से निकाल दिया गया।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)--

मैं माननीय हुकुमसिंह जी की जबान से सुनना चाहता हूं। वे कह दें कि भगवान सहाय ने डिवीजन का प्रस्ताव नहीं किया।

(व्यवधान)

(श्री नेकराम शर्मा के सदन में खड़े रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

अब मुझे पुलिस बुला कर माननीय नेकरामजी को बाहर करना पड़ेगा। कोई और रास्ता मेरे सामने नहीं है। इसलिये मैं सदन को दस मिनट के लिये स्थगित करता हूं और मार्शल को आज्ञा देता हूं कि वे पुलिस के जरिये नेकराम जी को सदन के बाहर कर दें।

[इस समय १० बजकर ५२ मिनट पर सदन की कार्यवाही स्थगित हुयी।] इसी अवधि में भी मार्शल की प्रार्थना पर श्री नेकराम शर्मा सदन से बाहर नहीं गये। इस पर मार्शल के साथ पुलिस के कुछ सिपाही सदन में आये, किन्तु थोड़ी देर में श्री उपाध्यक्ष की आज्ञा प्राप्त होने पर वापस चले गये।

११ बजकर ७ मिनट पर सदन की कार्यवाही, श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई। श्री नेकराम शर्मा सदन में इस समय भी विद्यमान थे।]

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय नेकराम जी, मैं चाहता हूं कि आप शांतिपूर्वक सदन छोड़ दें।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला पिठौरागढ़)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि आप माननीय बलवानसिंह जी को एक मौका दे दें जिससे सबका समाधान हो जायगा। मैं समझता हूं कि नेकराम जी को निकालने से पहले उनको एक मौका दे दें।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपकी इस पर व्यवस्था चाहता हूं कि आपने माननीय नेकराम शर्मा जी को इंगित किया और निलम्बित किया और पुलिस उनको निकालने के लिये सदन में आई। इसी बीच विधान मंडल के सचिव आये और उन्होंने कहा "रोको, रोको" तो यह स्थिति है.....

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

श्री मैनेजरसिंह--

मैं पहले से बोल रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय, आप इनको बिठाइये। मेरी बात तो सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष--

उनकी व्यवस्था का प्रश्न पूरा हो जाने दीजिये।

श्री मैनेजरसिंह--

क्या आप इस मामले को स्थगित करके दूसरी बात सुनेंगे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

मैं यह जानना चाहता हूं कि किस के हुक्म से पुलिस सदन में आई, आपके हुक्म से आई या मंत्री जी के हुक्म से आई? प्रजातंत्र आप चलाना चाहते हैं या मंत्री जी चलाना चाहते हैं?

श्री उपाध्यक्ष--

देखिये, मंत्री जी का इसमें कोई हिस्सा नहीं है। मेरा काम है।

श्री मैनजर्रासिंह---

उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। उसका आप पहले निर्णय दे दें इसके बाद दूसरी कार्यवाही करें।

श्री उपाध्यक्ष---

नहीं, आप विराज जाइये।

श्री मैनेजर्रासिंह---

व्यवस्था के संबंध में कोई किसी प्रकार का तर्क वितर्क नहीं हो सकता है। आप जो चाहें व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष---

आप मुझे आर्डर नहीं दे सकते हैं।

श्री मैनेजर्रासिंह---

मैं आपको आर्डर नहीं दे रहा हूं, बल्कि आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आप नियमों में बंधे हुये हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठ जाइये। मैं औरों की बात सुनकर व्यवस्था दूंगा।

श्री नर्रासिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

देखिये, एक प्वाइंट आफ आर्डर मैनेजर्रासिंह जी का है, एक विष्ट जी का है, आप बाद को खड़े हुये हैं।

श्री नर्रासिंहनारायण पांडेय---

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

इसी प्वाइंट आफ आर्डर पर मैं सुन रहा हूं। मैंने माननीय बलवार्नासिंह जी को बुला लिया है।

श्री नर्रासिंहनारायण पांडेय---

श्रीमन्, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। आप पहले उस पर व्यवस्था दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---

जी नहीं, मैंने बलवार्नासिंह जी को बुला लिया है।

श्री बलवार्नासिंह---

श्रीमन्, जो इस समय सदन में स्थिति पैदा हो गई है, मैं चाहता था कि शांति व्यवस्था लाने के लिये इंगित वाले प्रस्ताव को वापस ले लिया जाय।

श्री नर्रासिंहनारायण पांडेय---

श्रीमन्, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठ जाइये।

श्री नर्रासिंहनारायण पांडेय---

इस तरह से व्यवस्था चलाई जायगी तो कोई नियम नहीं रह जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने प्वाइंट आफ आर्डर सुन लिया है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

श्रीमन्, किस तरह से सुन लिया ? मैं विधान सभा का एक सदस्य प्वाइंट आफ आर्डर पेश कर रहा हूं। आप उसको सुनिये और उस पर अपनी व्यवस्था दीजिये। इसके बाद आप जो चाहें मुनासिब कार्यवाही करें।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने कह दिया, मैंने सुन लिया। मैं आप से कहना चाहता हूं कि एक प्वाइंट आफ आर्डर चल रहा, इस बीच में दूसरा व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ सकता है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

एक प्रस्ताव बलवानसिंह जी की तरफ से आया है, मैं उसके सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। उसको आप सुनिये और अपनी व्यवस्था दीजिये। मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है [***] कि आपने दस मिनट के लिये सदन को स्थगित किया और आपने पुलिस भेजी कि माननीय नेकराम शर्मा को इस सदन से हटाया जाय। वह प्रस्ताव अपनी जगह पर पड़ा हुआ है और उसी प्रस्ताव की मातहत आपको दस मिनट के लिये यह सदन स्थगित करना पड़ा। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तक वह प्रस्ताव अपनी जगह पर है और जब तक आप उसके ऊपर कोई समुचित कार्यवाही नहीं कर लेते या उस प्रस्ताव को वापस नहीं करा लेते तब तक आपका यह अधिकार नहीं है कि आप कोई दूसरा प्रस्ताव लायें। आपने एक माननीय सदस्य को इंगित किया उस पर एक प्रस्ताव रखा गया और सदन ने उस पर अपनी राय दी। जब तक वह प्रस्ताव अपनी जगह पर है तब तक आप दूसरा प्रस्ताव कैसे ले सकते हैं ?

श्री भगवानसहाय--

हाउस अपने कार्यक्रम का खुद ही मालिक है। इस बात को कभी तय नहीं किया जा सकता कि वह अपनी क्या कार्यवाही करे, क्या न करे। वह अगर चाहे तो अपना प्रोसीजर बदल भी सकता है।

श्री मैनेजरसिंह--

आपने कहा था कि मैनेजरसिंह के व्वयस्था के प्रश्न पर सुन रहा हूं। उसके संबंध में उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है। आप कहते हैं कि माननीय सुचेता जी को सुन लिया जाय।

कुंवर श्रीपालसिंह--

प्वाइंट आफ क्लैरिफिकेशन। एक प्रस्ताव सदन के अन्दर पास हुआ, उस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिये आपने एक कार्यवाही की। वह कार्यवाही कहां गयी ? वह स्थगित हुई या चल रही है ? आप उसके लिये पहले उधर से प्रस्ताव करवाइये कि वह प्रस्ताव खतम हुआ, उसके बाद किसी को सुन सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप विराजिये। मैं उसी प्रस्ताव के संबंध में दूसरे लोगों की भी क्या राय है, इसके बारे में पूछ सकता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र--

वह प्रस्ताव पास हो गया। उस पर क्या राय ले रहे हैं ?

[* * * *

श्री उपाध्यक्ष--

विराज जाइये आप।

जो प्रस्ताव है वह स्टैन्ड करता है। मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि सदन का वातावरण ठीक करने के लिये मुझे सब को सुनना है। मैंने आप का प्वाइंट आफ आर्डर सुन

[***] श्री उपाध्यक्ष की आज्ञा से निकाल दिया गया।

लिया । मैं यह चाहता हूं कि सुचेता जी क्या कहना चहती है वह भी सुन लूं और दूसरे लोग जो कहना चाहें सब को सुनने के बाद तब फैसला दूंगा ।

एक सदस्य---

जब आपकी रूलिंग हो चुकी, उस पर वोटिंग हो चुकी तो फिर अब क्या सुनेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

मैनेजरसिंह जी ने जो प्वाइंट आफ आर्डर उठाया है, उसके बारे में मैं सुनना चाहता हूं ।

श्री उग्रसेन---

एक स्पष्टीकरण है, एक प्रश्न पर आप दो बार फैसला देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

आप जरा बैठ जायं । माननीय सुचेता जी ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

श्रीमन्, एक निर्णय हो गया है । चेयर ने एक आदेश दिया है, उस आदेश का पालन नहीं हो रहा है, तो यह सदन चलेगा कैसे, इस सदन की मर्यादा फिर कैसे रहेगी ?

श्री उपाध्यक्ष---

देखिये, बीच में भी बातें हो सकती हैं और पूछा जा सकता है । माननीया सुचेता जी को पहले सुन लिया जाय, आप जरा कृपा करके बैठें ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

तो यह आपके निर्णय का रिवीजन हो रहा है ? आपने जो आदेश दिया है उसका फिर रिवीजन हो रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष---

देखिये, अगर इधर से कोई माननीय सदस्य कुछ कहना चाहता है या गवर्नमेंट की तरफ से कोई कुछ कहना चाहता है, तो क्यों नहीं सुन सकते ?

श्री भीखालाल---

अभी एक प्रस्ताव आपने स्वीकार किया है, उसके खिलाफ कोई दूसरा प्रस्ताव आया नहीं है, तो आप सदन की राय कैसे ले रहें हैं ? बलवान सिंह जी ने कोई स्पेसिफिक प्रस्ताव नहीं रखा है, जब तक कोई स्पेसिफिक प्रस्ताव न हो, वह कैसे उस पर बोल सकते हैं । (शोर)

श्री उग्रसेन---

जब तक सुचेता जी वापसी का प्रस्ताव नहीं लाती हैं, तब तक उनको बोलने का अधिकार इस विषय पर नहीं है । (शोर)

श्री दीपनारायणसिंह---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक संवैधानिक प्रश्न है....

श्री उपाध्यक्ष---

मैं फिर से पूछ लेना चाहता हूं, अगर हाउस की राय हो कि इसको कैरी आउट कर लिया जाय... (शोर)

श्री यादवेन्द्रदत्त---

मैं कुछ निवेदन आपसे करना चाहता हूं । मैं यह देख रहा हूं कि कुछ कन्फ्यूजन हो गया है यहां पर । मैं तो था नहीं सदन में, देर से आया । मैंने लोगों से पूछा और मैं आप से भी जानकारी चाहता हूं कि जो निलम्बन का प्रस्ताव है और सरकार की ओर से आया था, क्या वह प्रस्ताव स्वीकार हो गया ?

श्री उपाध्यक्ष—

जी हां, स्वीकार हो गया ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

अगर स्वीकार हो गया है तो अब उस प्रस्ताव के रहते हुए दूसरा कार्यक्रम सदन में कैसे आप प्रारम्भ कर रहे हैं, यह मैं नहीं समझ पाया ।

दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब मैं दरवाजे से अन्दर आ रहा था तो पुलिस यहां से बाहर जा रही थी, तो वह पुलिस आपकी आज्ञा से, आपके सचिव की आज्ञा से या किसकी आज्ञा से यहां आयी ? यह दो बातें आप स्पष्ट कर दें तो मैं समझता हूं कि समस्या सुलझ सकती है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरी आज्ञा से पुलिस आयी । मैंने माननीय सदस्य से रिक्वेस्ट किया, उन्होंने उस रिक्वेस्ट को नहीं माना । मैंने काफी इन्तजार किया, उसके बाद मार्शल को भेजा । मार्शल के कहने से भी जब नहीं गये तो मैंने हाउस में यह कहा कि मुझे दुख के साथ पुलिस बुलानी पड़ेगी....

श्री उग्रसेन—

आपने वायदा किया था कि पुलिस नहीं बुलायेंगे, क्यों बुलाया पुलिस को आपने, इसका क्या जवाब है आपके पास ?

श्री उपाध्यक्ष—

अगर डिफायेंस है—मैंने सदन का सेंस इस बात के लिये लिया कि अगर वह नहीं हटते हैं तो सिवाय इसके कि पुलिस बुलायी जाय और कोई चारा नहीं रह जाता है । तब उस सेंस को लेकर .... (शोर)

श्री उग्रसेन—

विधान सभा की कार्यवाही आप स्थगित करें, पुलिस और आई० जी० के दफ्तर के लोगों को न बुलाइये.....

श्री उपाध्यक्ष—

दस मिनट के लिये मैंने स्थगित किया और उसके बाद मैंने कहा । चूंकि मेरे सामने पुलिस न आये इसलिये मैंने दस मिनट के लिये स्थगित किया । स्थगित करके यह अंडर दिया । इसी बीच कुछ लोग मुझसे मिले आकर और उन्होंने कहा कि वातावरण को ठंडा किया जाय, खत्म किया जाय । तो पुलिस को मैंने रोक दिया है थोड़ी देर के लिये । जब तक कि मैं देखूं कोई साल्यूशन और निकल आये....

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, हमेशा के लिये रोकिये, थोड़ी देर के लिये नहीं । जनतंत्र की हत्या न हो....

श्री उपाध्यक्ष—

डिफायेंस किया जायगा और हाउस का काम नहीं चलने दिया जायगा तो पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा । लेकिन अगर वैसे वातावरण शान्त हो जाय तो पुलिस को बुलाने की किसी को जरूरत नहीं है ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

जब आपका प्रिवियस रेज्योलूशन स्टैन्ड कर रहा है और कार्यान्वित नहीं हुआ तो या तो सरकार की ओर से उस रेज्योलूशन को कैंसिल करने के लिये प्रस्ताव आये तब आप आगे चलें, या इस रेज्योलूशन को कार्यान्वित करें तब आगे चलें । एक रेज्योलूशन के रहते हुये आप दूसरे कार्य को कैसे ले सकते हैं ? मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

वातावरण को शान्त करने के लिये अगर कोई दूसरा साल्यूशन हो तो उसको निकालना चाहिये । मेरा मतलब यह है कि नेकराम जी हाउस को छोड़े तब आगे काम चले या फिर दूसरों की बात सुनें ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

यहां पर एक रेज्योलूशन स्टैन्ड कर रहा है तो उसके रहते कैसे साल्यूशन निकल सकता है ? तो पहले उपनेता सदन खड़े होकर उस रेज्योलूशन को वापस कर लें तो साल्यूशन निकल सकता है ।

कुंवर श्रीपालसिंह—

मेरा भी प्वाइंट आफ आर्डर है....

श्री उग्रसेन—

हाउस को स्थगित कर दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष —

अगर हाउस की यह राय हो कि कुछ समय के लिये हाउस स्थगित कर दिया जाय तो वह हो सकता है ।

(व्यवधान)

[* * *]

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं सदन को १२ बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

[इस समय ११ बजकर २५ मिनट पर सदन पुनः स्थगित हुआ । १२ बजे सदन की कार्यवाही, श्री उपाध्यक्ष की सभापतित्व में, पुनः आरम्भ हुयी । इस समय भी श्री नेकराम शर्मा सदन में विद्यमान थे ।]

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय नेकराम जी अभी भी यहां हैं । मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वह सदन छोड़ दें और उसके बाद जो भी हो वह देखें ।

श्री भगवानसहाय—

मैं अर्ज करता हूं कि मेरी बात सुन लें । जब ठाकुर साहब ने निलम्बन का प्रस्ताव इस सदन में किया था तो मैंने दरख्वास्त की थी कि आप डिवीजन ले लें । अगर वह डिवीजन हो जाय तो हम लोग नेकराम जी को मजबूर करेंगे कि वह बाहर चले जायं हाउस से ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने डिवीजन के लिये नहीं कहा, मुझे तो पता नहीं, मैंने तो पुट किया था सवाल, और फिर डिसीशन डिक्लेयर कर दिया ।

श्री भगवानसहाय—

इस सदन की यूनानिमस ओपीनियन है कि डिवीजन की मांग की गयी थी ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं नेकराम जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वह कम्पलायेंस कर दें तो दोनों पक्ष के लोग बात कर लेंगे और कुछ न कुछ हो जायगा, लेकिन इस वक्त मैं....

श्री कल्पनार्थसिंह—

अभी इसके पूर्व जब आप सदन में आये थे तो बलवानसिंह जी ने एक प्रस्ताव किया था, उसका क्या हुआ ? आपकी क्या व्यवस्था है ?

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया । उन्होंने एक बात कही थी ।

श्री कल्पनार्थसिंह—

क्लियर शब्दों में उन्होंने कहा है कि मेरा प्रस्ताव है कि माननीया सुचेता जी को सुना जाय और नेकराम जी के खिलाफ निलम्बन समाप्त किया जाय ।

---

[*] श्री उपाध्यक्ष की आज्ञा से निकाल दिया गया ।

श्री उग्रसेन--

अगर मुअत्तली वापस कराना चाहें तो उठ करके ठाकुर साहब प्रस्ताव कर दें कि मुअत्तली हम वापस करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

निलंबन करने में मुझे कोई खुशी नहीं है, मैं बहुत दुखी हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सदन की मर्यादा कायम रहे और सदन की मर्यादा कायम रखने में नेकराम जी की मर्यादा है। वह सदन छोड़ दें और उसके बाद मैं समझता हूं कि सरकार की तरफ से स्वंय कोई प्रस्ताव आ सकता है, फिर निलंबन रोकने में कोई खास बात नहीं है। लेकिन अगर वह सदन नहीं छोड़ेंगे तो मजबूरन आगे की कार्यवाही होगी।

श्री भगवानसहाय--

अगर मेरी पहली तजवीज को मानने को तैयार नहीं हैं तो मैं प्रस्ताव के रूप में पेश करता हूं कि यह निलंबन का जो सदन का मत है वह उस वक्त तक सस्पेंडेड रखा जाय.....

श्री काशीनाथ मिश्र--

कोई प्रस्ताव बीच में नहीं आ सकता, यह अवैधानिक है।

श्री कल्पनार्थसिंह--

मेरा प्वाइंट आफ आर्डर सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

कल्पनाथ सिंह जी, आप बैठ जाइये, यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री कल्पनार्थसिंह--

मेरी पूरी बात आप सुन लीजिये। बलवानसिंह जी ने प्रस्ताव किया है।

श्री उपाध्यक्ष--

कल्पनार्थसिंह जी, आप बैठ जाइये। आपने कहा कि प्रस्ताव किया, लेकिन प्रस्ताव कोई नहीं किया गया।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)--

आपने स्वंय कहा था कि माननीय बलवानसिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने प्रस्ताव नहीं कहा।

श्री रामायणराय--

आप प्रोसीडिंग्स उठाकर देख लें। इस पर राय ले लीजिये कि वह प्रस्ताव था या नहीं। माननीय सदस्यों को सबको मालूम है कि प्रस्ताव किया गया। आपको याद नहीं है। बलवान सिंह जी बैठे हुये हैं, उनसे पूछ लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रस्ताव के माने क्या होते हैं।

श्री रामायणराय--

मैं आपसे आशा करता हूं कि आप प्रस्ताव के अर्थ समझते होंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य की मर्यादा कायम रखने के लिये चेयर की मर्यादा रखना भी जरूरी है। अगर आप नहीं मानेंगे तो मेरे सामने कोई रास्ता नहीं है। आखिर तो इस सदन की मर्यादा कायम रखने के लिये यह जरूरी है कि, चाहे कोई गलत हो या सही, चेयर की रूलिंग को आपको मानना चाहिये। उसके पहले और कोई काम नहीं हो सकता है। इस वातावरण को खत्म करने के लिये मैं माननीय नेकराम जी से प्रार्थना करूंगा कि वह सदन छोड़ दें या वह रीग्रेट शो करें।

श्री काशीनाथ मिश्र---

रीग्रेट कैसे हो सकता है ? सदन का निर्णय हुआ है कि ७ दिन के लिये वह निलम्बित किये गये ।

श्री नेकराम शर्मा---

उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री काशीनाथ मिश्र---

नेकरामजी इस सदन में नहीं बोल सकते हैं । यह सदन की परम्परा और मर्यादा के प्रतिकूल है ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)---

मेरा व्वयस्था का प्रश्न है । चूंकि आपने माननीय नेकरामजी को बोलने की आज्ञा दे दी है, इसलिये, श्रीमन्, आपका वह प्रस्ताव निष्कासन का स्वंय खत्म हो जाता है ?

श्री उपाध्यक्ष---

खत्म नहीं हो जाता । मैंने माननीय नेकरामजी से कहा कि आप या तो सदन छोड़ दीजिये और अगर माननीय नेकराम जी अगर इस बात को नहीं मानते हैं तो निलम्बन का प्रस्ताव कैरी आउट होगा ।

(श्री नेकराम शर्मा ने सदन का परित्याग नहीं किया)

[* * *]

(कुछ ठहर कर)

मैं मार्शल को आदेश देता हूं कि माननीय नेकराम जी को सदन से बाहर करा दे गार्ड्स के जरिये ।

(इसके उपरान्त मार्शल के साथ कुछ कौंसिल हाउस गार्ड्स सदन में आये, और श्री नेकराम शर्मा को बलपूर्वक सदन से बाहर ले गये ।)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है । चूंकि आपने नेकराम जी को बुला लिया तो वह प्रस्ताव निलम्बन का नहीं रह जाता है ।

श्री उग्रसेन---

आपने कौन्सिल हाउस के गार्ड्स लगाकर किस कानून के अन्तर्गत निकलवाया ?

श्री भीखालाल---

सदन की कार्यवाही हो रही है तो पुलिस नहीं आ सकती है । दोनों चीजें साथ-साथ नहीं चल सकतीं हैं ।

श्री उग्रसेन---

उपाध्यक्ष जी, आपके आदेश बहुत भ्रमपूर्ण हैं ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

जिस तरह से आपने नेकरामजी को निकलवाया है उसके लिये मैं आपके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पेश करता हूं ।

[* * *]

मैं नियम १०६ के अन्तर्गत आपके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पेश करता हूं । आपने इस सदन में उसके रूल्स आफ प्रोसीजर की अवहेलना की है ।

[***] श्री उपाध्यक्ष की आज्ञा से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष--
आप बैठ जायं। [* * *]

श्री भीखालाल--
माननीय नेकराम जी के महत्वपूर्ण प्रश्न पर चेम्बर की ओर से जो रूलिंग हुई है उससे हम अपनी असहमति प्रकट करते हैं। सरकार ने जो रवैया अख्तियार किया है उससे यह ज्ञात होता है कि इस सरकार में जो कांग्रेस बेंचेज पर बैठने वाले लोग हैं उनमें एक गुट ऐसा है जो नेहरू जी को हटाने के बारे में सहमत है। जिस प्रकार से नेकराम जी को सस्पेंड करने का प्रस्ताव आया, उसको पास किया गया और हाउस के चलते पुलिस के जरिये से उनको बाहर निकलवाया गया, यह सदन का अपमान है। इसमें सदन की मान मर्यादा की हत्या की गयी है। इन सब बातों से असहमति प्रकट करते हुये हम सदन का परित्याग करते हैं।

(इसके उपरान्त साम्यवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--
श्रीमन्, आपने मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर क्या राय दी? अब आप माननीय नेकराम जी को नहीं निकाल सकते, जब तक कि उनके विरुद्ध कोई दूसरा प्रस्ताव पास न हो जाय। क्योंकि उनको आपने बोलने के लिये पुकार लिया है।

श्री उपाध्यक्ष--
मैंने उनसे बोलने के लिये नहीं कहा। मैंने उनसे कहा कि आप बाहर चले जायं अथवा दूसरी कार्यवाही करनी होगी। वे रिग्रेट शो करना चाहते थे उसका मौका मैंने उनको दिया था। [* * *]

श्री भगवानसहाय--
हम [***] सदन से वाक आउट करते हैं।

(इसके बाद निर्दलीय दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री दीपनारायणसिंह--
यह सदन की मर्यादा का प्रश्न है, श्रीमन्। इसके खिलाफ सदन से हम वाकआउट करते हैं।

(श्री दीपनारायणसिंह ने सदन का परित्याग किया।)

श्री मैनेजरसिंह--
आप इस बात से इन्कार करते हैं कि आपने नेकराम जी को बोलने के लिये नहीं कहा?

श्री उग्रसेन--
श्रीमन्, आपने सदन के नियमों और संविधान की मर्यादा को भंग किया है। महात्मा गांधी की आत्मा को कष्ट पहुंचाया है। इसके विरुद्ध में सदन से ५ मिनट के लिये वाक आउट करता हूं।

श्री बलवानसिंह--
श्रीमन्, केशरी पांडेय जी ने कहा कि आपने माननीय नेकराम जी को बोलने के लिये पुकारा लेकिन आपने कहा कि मैंने नहीं कहा। इसका मुझे बड़ा दुख है।

(संयुक्त समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री उपाध्यक्ष--
आप बैठ जायं। अब तो सब बातें हो चुकीं।

[**] श्री उपाध्यक्ष की आज्ञा से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश वृहत् जोत-कर विधेयक, १९६३

माल मंत्री के सभा-सचिव (श्री बृजबिहारी)—

श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश वृहत् जोत-कर विधेयक, १९६३ को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बृहत जोत-कर विधेयक, १९६३ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बृजबिहारी—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश वृहत् जोत-कर विधेयक, १९६३ को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५७६–५८९ पर।)

१९६३–६४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या १—वृहत् जोतकर, अनुदान संख्या २—भू-राजस्व (मालगुजारी) तथा अनुदान संख्या ४०—दुर्भिक्ष सहायता

माल मंत्री (श्री हुकुमोसह विसेन)—

मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये अनुदान संख्या १–वृहत् जोत कर के अन्तर्गत १,४८,१०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये अनुदान संख्या २–भू–राजस्व (मालगुजारी) के अन्तर्गत ८,३२,९६,५०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये अनुदान संख्या ४०–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत ५८,०२,८०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ इसमें ज्यादा नहीं कहना है। जो बजट साहित्य वितरित किया गया है उसमें विस्तार–पूर्वक सभी बातें दी गयी है। हमारे माननीय सदस्य ने उसे ठीक तौर से पढ़ा-लिखा है और समझा है। अपनी बातें कह करके मैं सदन का थोड़ा समय, जो रह गया है, उसमें हिस्सा बटाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि इस तरफ और उस तरफ जो माननीय सदस्य बैठते हैं वे अपने विचार व्यक्त करें और जितना समय भी उनको मिले सके वह दिया जाय। उनके विचारों को सुनने के बाद मुझे यह मौका होगा कि हम उससे फायदा उठावें क्योंकि अपनी गलतियां अपनी आंखों से नहीं दिखाई पड़तीं। हमारे मित्रों को मेरी गलतियां मालूम हो सकती हैं और उनके सुझाव पर हम अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास भी कर सकते हैं। लिहाजा ज्यादा से ज्यादा वक्त हमारे मित्रों को मिलना चाहिये। इन चन्द शब्दों के साथ मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि यह तीनों मांगें स्वीकार की जांय।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय नरसिंह नारायण पांडेय जी के नाम से, जो कटौती के प्रस्ताव इन तीनों मांगों पर हैं, उन्हें उपस्थित करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १–वृहत-जोत-कर के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य सम्पूर्ण नीति की आलोचना करना है।

[श्री काशीनाथ मिश्र]

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २--भू-राजस्व (मालगुजारी) के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य सम्पूर्ण नीति की आलोचना करना है।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४०--दुर्भिक्ष सहायता के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य सम्पूर्ण नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में गरम वातावरण के बाद माननीय राजस्व मंत्री ने, जो मदें अपने विभाग के लिये सदन में पेश की हैं, उनमें मैंने यह कटौती का प्रस्ताव रखा है। मैं समझता हूं कि इस वातावरण से ही सारे राज्य और प्रदेश की जनता को मालूम हो जायगा कि कांग्रेस की सरकार अपने विभिन्न विभागों, विशेषकर मालगुजारी और प्लानिंग के प्रति कितनी जागरूक है।

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)--

पहले आप कटौती का प्रस्ताव तो रखें।

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने पेश कर दिया है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

यह सरकार आपसी झगड़ों में ज्यादा दिलचस्पी लेती है और ऐसा लगता है कि प्रदेश के किसानों और जमीन की समस्याओं के प्रति उदासीन है। सरकार के बड़े-बड़े कर्णधार इस बात में पड़े हुये हैं कि नेहरू दरबार की दरबारगीरी में किसका नम्बर सबसे आगे रहता है, ऐसा मुझे लगता है। दो-तीन दिन से इस सदन में जो बहस चल रही है उसमें सरकार तथा इस पक्ष में बैठने वाले सदस्यों में एक तरह की स्पर्द्धा सी हो गयी है कि नेहरू की दरबारगीरी में एक नम्बर पर किसको रखा जाय। आज मुझे ऐसा लगता है कि जहां पहले श्री कमलापति त्रिपाठी दरबारियों में नम्बर १ पर थे, वे तो नंबर २ पर चले गये और श्री नेकराम शर्मा नम्बर १ पर आ गये। इस घटना के सिलसिले में मुझे इतना ही कहना है।

जहां तक भूमि नीति का संबंध है, जब से कांग्रेस सरकार इस प्रदेश में सत्तारूढ़ हुई और कांग्रेस सरकार की गतिविधियों पर दृष्टिपात किया जाय तो ऐसा लगता है कि देश में डी० आई० आर० के चलते नागरिक सुरक्षा व नागरिकों के बोलने की आजादी, सिविल लिबर्टी गायब हो गयी है। उसी तरह से अगर कल कारखानों की हालत, उद्योग धंधों की हालत देखते हैं, तो वहां भी पूंजीपतियों का बोलबाला है और मजदूरों को कोई पूछने वाला ही नहीं है। जमीन के संबंध में राजस्व विभाग की नीति पिछले १३-१४ वर्षों से जिस तरह से चल रही है, उससे मालूम होता कि कृषक आन्दोलन और कृषकों की आजादी की बात माननीय ठाकुर हुकुम सिंह के डिपार्टमेंट और लेखपालों के कागजात के अन्दर कैद हो गयी है। आज इस राजस्व विभाग के चलते उत्तर प्रदेश की भूमि नीति में किसी भी तरह का कोई सुधार नहीं हुआ है।

आप देखें कि पिछले १३-१४ सालों में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो नीति अपनायी है उसके अनुसार यहां के रहने वाले किसानों को ४ हिस्सों में बांट दिया गया है। एक तो भूमिधर, दूसरे सीरदार, तीसरे अधिवासी और चौथे असामी। इस तरह से एक तरफ तो समाजवादी समाज की स्थापना की बात करते हैं और दूसरी तरफ इस प्रदेश के किसानों को कई विभागों में विभक्त कर रहे हैं। इस तरह से समाजवादी समाज की स्थापना तो इस राज्य में हो नहीं सकती। और खासकर जहां तक राजस्व विभाग का संबंध है, ऊपर से नीचे तक इसके जितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनका काम किसी भी तरह से कृषकों को फायदा पहुचाने या जमीन संबंधी गलतियों को दुरुस्त करने का नहीं है, यानी लेखपाल,

तहसीलदार, कानूनगो और डिप्टी कलेक्टर ये तमाम कृषकों को उलझाने का ही काम करते हैं। लेखपालों के जितने कागजात देखते हैं उनसे पता चलता है कि एक तरफ राजस्व विभाग के जितने अधिकारी हैं उनके अलग-अलग हिसाब किताब हैं और दूसरी तरफ एक जो सर्वे सेटलमेंट डिपार्टमेंट है, जो भूमि की नाप इत्यादि करता है, उनके आंकड़े अगर देखें तो वे अलग ही हैं। लेखपालों के कागजात और सर्वे सेटलमेंट डिपार्टमेंट के कागजात में जमीन आसमान का अन्तर दिखलायी पड़ता है। इससे ऐसा लगता है कि इस विभाग के अन्दर कोई सुनियोजित कार्य नहीं होता जिससे प्रदेश के लोगों को अन्दाजा मिल सके कि वास्तविक स्थिति क्या है। इससे मालूम होता है कि जमीन और किसानों का जहां तक सम्बन्ध है, इसके बारे में सरकार का दिमाग साफ नहीं है। जब कांग्रेस सरकार सत्तारुढ़ नहीं थी तो कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक एग्रेरियन रिफार्म्स कमेटी बनी थी। उस कमेटी की रिपोर्ट की तरफ मैं माननीय ठाकुर हुकुम सिंह जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। वे भी कांग्रेस के नेता रहे हैं और जानते हैं कि उस समय कांग्रेस नीति क्या थी। उस एग्रेरियन रिफार्म्स कमेटी की रिपोर्ट के अन्दर किसानों की जमीन के बटवारे की बात कही गयी है। कांग्रेस के वे भी रहनुमा हैं और ३०–४० वर्ष तक उनका कांग्रेस से संबध रहा है। इस कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि अनइकोनामिक होल्डिंग्स यानी अलाभकर जोत जो किसानों के पास हैं, उन पर कोई लगान नहीं लिया जायगा। लेकिन आज यह देखने की चीज है कि जिसके पास एक धूर भी जमीन है उससे भी लगान लिया जाता है। हजार, दो हजार बीघे वालों को देना ही चाहिए, इसमें तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। लेकिन जो किसान एक, दो कट्ठा या कुछ धूर जमीन अपनी झोपड़ी या अपना घर बनाने के लिए रखे हुये है उन पर भी आपका राजस्व विभाग लगान ले रहा है। यह सरकार द्वारा गरीबों का शोषण है।

मैं आपसे कहता हूं कि आप यूरोप के उन देशों को देखें जहां कि समाजवादी व्यवस्था नहीं है, लेकिन वे सरकारें अपने को जन कल्याणकारी सरकारें कहती हैं। तो जन कल्याणकारी सरकार के अन्दर यह बिलकुल कानून बना हुआ है कि देहात के रहने वाले किसानों की झोपड़ियों पर या उनके घरों पर कोई लगान न लिया जाय। लेकिन हमारे यू० पी० के अन्दर किसानों की झोपड़ियों पर भी आप का लगान लगता है। कई बार सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से सुझाव दिया गया कि जो अलाभकर जोतें हैं उनपर लगान न लगाया जाय और इसको अग्रेरियन रिफार्म्स कमेटी ने भी स्वीकार किया था कि साढ़े ६ एकड़ तक या दस बीघे तक कोई लगान नहीं होना चाहिये। लेकिन इस सरकार ने उस बात को नहीं माना केवल यह दलील देकर कि इससे राजस्व में कमी हो जायगी। जब अंग्रेजों के जमाने में जमींदारी थी तो राजस्व से केवल ७-८ करोड़ रुपया मिलता था और १४ करोड़ के करीब जमींदार के पास जाता था। अब जब से जमींदारी खत्म हुई है तब से आपको २२ करोड़ पूरा मिलता है और रुपये में ४ आना बढ़ने के बाद तो अब आप को इस बजट के अनुसार २७ करोड़ रुपया मिलेगा। अगर आप दस बीघे की खेती से माफी लगान की करते हैं तो आप का केवल ५–७ करोड़ का नुकसान होगा और आप इस घाटे को किन्हीं दूसरी मदों से पूरा कर सकते हैं। आज आप के यहां चीनी मिलों के मालिकान पर ८ करोड़ के करीब बकाया है। सारे देश की सरकार जो १६ अरब का बजट बनाये है और अगर अनइकनामिक जोतों का लगान खत्म होता है तो उससे कुल ७० करोड़ रुपये का नुकसान होगा। इस का कोई बड़ा भारी असर नहीं पड़ता है। इतना करने से ही प्रदेश के करीब ५० प्रतिशत किसानों को राहत मिल जायगी। इस नीति का, इन एग्रेरियन रिफार्म्स का सम्बन्ध कृषि की पैदावार से और उत्पादन से है। आज प्रदेश में उत्पादन इसीलिये तेजी से नहीं बढ़ रहा है चूंकि प्रदेश की नीति प्रभावकारी नहीं है। राजस्व विभाग की गलती की वजह से कृषि विभाग भी एक बेमतलब का विभाग बन गया है इन १४–१५ सालों में और लेखपाल से लेकर डिप्टी कलेक्टर तक कानूनगो और तहसीलदार सब किसानों को लूटने खसोटने का काम करते है। मैं माननीय हुकुम सिंह जी से कहूंगा कि पूर्वी जिलों

[श्री काशीनाथ मिश्र]

में न जाने कितने ही झूठे मुकदमे दफा २२९ के किसानों के खिलाफ चलाये जाते हैं। काश्तकारों से फरजी इस्तीफे दिलाये जाते हैं। खेत गरीब किसान के कब्जे में है। घुरहू के कब्जे में खेत है और नरहू और रामू को खड़ा कर के कह दिया जाता है कि इस्तीफा दे दिया है और यही घुरहू है। हमारे यहां गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया में हजारों ऐसे केसेज हैं वहां २२९ में झूठे इस्तीफे लगवाये गये हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि वह इन सब चीजों पर गौर करें। उनके विभाग के ऐसे व्यवहार से पूर्वी जिलों के अधिकतर किसान दुखी हैं, इन्दराज भी उनके नाम से है, कब्जा भी है, लेकिन फरजी इस्तीफे दिलाकर कब्जा उन का हटाया जा रहा है। उस के लिये गरीब किसानों को बाद में निगरानी और रिवीजन कराना होता है और खर्च व परेशानी में वह बेचारे पड़ते हैं। मैं आप के द्वारा मंत्री जी का ध्यान इस धांधली की ओर दिलाना चाहता हूं।

इस के अलावा मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि २ करोड़ ७४ लाख का जो मालगुजारी की वसूली का खर्च रखा गया है जिससे नौकरियों का वेतन और भत्ता दिया जाता है वह किस प्रकार से खराब किया जाता है इस तरफ भी ध्यान दिया जाय। जो अमीन, कानूनगो लगान वसूली के होते हैं उन के द्वारा कचहरियों में, तहसील कलेक्ट्री में पक्षेपात होता है। उनकी भरती के लिये कोई नियम कानून नहीं है। मनमाने तौर पर तहसीलदार और कानूनगो रिश्वत के आधार पर कलेक्शन अमीनों की भरती करते हैं। इस ओर मंत्री जी ध्यान दें।

अगर भारत के अन्य प्रदेशों के आंकड़े देखे जायं रेवेन्यू के तो आपको मालूम होगा कि यह प्रदेश सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है। एक आदमी पर प्रदेश में करीब १२ रुपया पर हैक्टर पड़ता है जब कि और प्रांतों में इससे कम है और १० रु० से अधिक कहीं भी नहीं है पर हैक्टर। आन्ध्र प्रदेश ७ रु०, असम १० रु०, बिहार ७ रु०, बम्बई ६ रु०, केरल ६ रु०, मध्य प्रदेश ५ रु० और मद्रास में १० रु० है। इस प्रदेश में सबसे ज्यादा पर कैपिटा और पर हैक्टर रेवेन्यू लिया जाता है और टोटल रेवेन्यू भी यह प्रदेश सबसे ज्यादा लेता है। ४ आना बढ़ाने के बाद आप २७ करोड़ रुपया मालगुजारी लेंगे।

लेकिन किसानों को क्या निजात सरकार से मिलती है इसको भी देखें। जहां शिक्षा, दवाई आदि का प्रश्न है उनकी ग्रांट्स आयेंगी, यहां मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि सोशल सर्विसेज पर हमारी सरकार फी किसान ३,४ रु० खर्च करती है। जब कि बम्बई सरकार किसानों से रेवेन्यू तो कम लेती है, लेकिन सोशल सर्विसेज पर ७,८ रु० खर्च करती है। पंजाब सरकार इससे ज्यादा खर्च करती है। इस प्रदेश में उसका बिलकुल उल्टा होता है। रेवेन्यू ज्यादा लें और सोशल सर्विसेज पर कम खर्च किया जाता है। राजस्व विभाग के और क्या कारनामे हैं। जहां आप जमीन की नीति तय करते हैं उसमें यह भी तय होना चाहिये कि प्रदेश में बसने वाले गरीब किसानों के बसने के लिये कम से कम झोंपड़ी लायक जमीन तो सरकार दे। लेकिन १ करोड़ से अधिक लोग ऐसे हैं जो हरिजन और पिछड़ी जातियों के हैं जिनको बसने की जमीन नहीं है। पूर्वी जिले, देवरिया, गोरखपुर, बलिया में गंगा के कटान से कितनी परेशानी है, लोगों की जमीन तो कटान में चली गई है, लेकिन पटवारी के रेकार्ड में लिखा रहता है कि गेहूं बोया गया है, बाजरा बोया गया है और कलेक्शन अमीन उनसे लगान वसूल करने जाते हैं। अतः मेरा कहना है कि जिन लोगों की जमीन गंगा की धारा में चली गई है उनका लगान छोड़ा जाय। हमारे बलिया जिले में बलिया-बैरिया बांध बहुत दूर तक गया है और उसमें काफी जमीन किसानों की है। सरकार ने कहा था कि उन जमीनों के बदले मुआवजा मिलेगा, लेकिन उनसे आज भी लगान वसूल किया जाता है। इसलिये मंत्री जी इन धांधलियों की तरफ ध्यान दें।

अगर मंत्री जी चाहते हैं कि कोई क्रांतिकारी नीति इस प्रदेश में चले और किसानों को राहत मिले तो जो नीति राजस्व विभाग की पिछले १४ सालों से जमीन के संबंध में चल

रही है उसमें पूर्ण रूप से परिवर्तन करना होगा। जमीन का फिर से बटवारा करना पड़ेगा और सारे देश में एक तरह के किसान बनाने होंगे और अलाभकर जोतों पर से लगान हटाना होगा। तभी इस प्रांत में किसान का आप भला कर सकेंगे और देश में खेती के उत्पादन को बढ़ा सकेंगे। लिहाजा मैं सदन से अपील करूंगा कि मेरे इस कटौती के प्रस्ताव को वह पास करे तभी माननीय राजस्व मंत्री जी इस पर विशेष रूप से गौर करेंगे।

श्री कल्याणराय (जिला रामपुर)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। साथ ही मैं रामपुर के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। रामपुर में लगान १७,१८ रुपये एवरेज है, जब कि पूरे यू० पी० में ६ रुपये लगान पड़ता है। वहां की जनता काफी गरीब है। काफी दरख्वास्तें वहां के लोग दे चुके हैं और राजस्व मंत्री से भी मैं मिला, लेकिन उन्होंने हमारी बात को नहीं माना। स्टेट जब थी तब तो बात दूसरी थी, लेकिन जब इतने बड़े दरिया में यह स्टेट मिल गयी तब कानून क्यों नहीं लाया जाता? जब कि ४ करोड़ का घाटा है ही तो १२ लाख का घाटा और समझ लिया जाय। हमारा कहना है कि सर्किल रेट वहां क्यों नहीं लागू किया जाता है? उन्होंने कहा कि वहां का लगान सवाये से ज्यादा नहीं रखा गया है, लेकिन वहां सर्किल रेट ही सवाये से ज्यादा है। इस प्रकार वहां की जनता हमेशा पिसी रहती है। माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखें।

दूसरे जो चकबन्दी है उस सम्बन्ध में उपमंत्री जी तथा सभासचिव जी का ध्यान दिलाया गया। मैं उनके घर भी गया। ४–५ महीने हो गये उनको एक ऐप्लिकेशन भी दी थी और उन्होंने कहा था कि मुझे बुला लेंगे। लेकिन आज तक न तो बुलाया ही और न जवाब ही दिया गया। जब मैं एम० एल० ए० हूं और मुझे जवाब नहीं दिया जाता तो जनता को भला क्या जवाब मिलता होगा। इन बातों की तरफ आपको ध्यान देना चाहिये। सभासचिव महोदय से मेरी प्रार्थना है कि अगर ऐसी कोई शिकायत आवे तो उस पर अवश्य ध्यान दें। अगर ध्यान नहीं दिया जाता है तो फिर उनको किस लिये बिठाया गया है।

श्री हुकुमसिंह विसेन––

गलत दरख्वास्त पर कोई कार्यवाही नहीं होगी।

श्री कल्याणराय––

आपने कैसे समझ लिया कि गलत है?

श्री हुकुमसिंह विसेन––

जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में मिनिस्टर दखल नहीं दे सकता।

श्री कल्याणराय––

आपने कैसे समझ लिया कि गलत दरख्वास्त है?

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)––

व्यवस्था का प्रश्न है। अब आपको कड़ाई के साथ इस हाउस को ठीक से चलाना है। जब माननीय सदस्य बोल रहे थे तो माननीय राजस्व मंत्री जी बिला आपसे पूछे माननीय सदस्य को कैसे डांटने लगे?

श्री उपाध्यक्ष––

इंटर्वेंशन करने का सबको हक है और आप ज्यादा इंटर्वेंशन करते हैं।

श्री राधेश्याम शर्मा––

तो ठीक है। जितने सरल आप नियम बनाते हैं उतना आप सोशलिस्टों को छूट देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

सोशलिस्ट्स तो इस नियम को बहुत भंग करते हैं।

श्री कल्याणराय—

मेरी यही प्रार्थना है कि जब हम समुद्र में मिल गये फिर भी अगर वही स्टेट के जैसा बरताव आपका रहेगा तो वहां की पब्लिक क्या कहेगी। आप वहां के देहात में जाकर घूमिये तो सिवाय झोपड़ियों के कुछ नहीं पायेंगे। वहां की जनता बहुत गरीब है। १४ लाख रुपये का कर्जा तो वहां की कोआपरेटिव सोसाइटी का जनता के ऊपर है। पंत जी के पास हम लोग दो, चार दफा गये थे, तो वे फौरन कानून ले आये थे। अब आपको यह कानून लाना चाहिये। आज हम इस गवर्नमेंट में हैं, कल नहीं रह सकते हैं। यह कुर्सी किसी की मौरूसी नहीं है। इसलिये आपको सही कानून लाना चाहिये वरना आपको वहां की जनता क्या कहेगी। बस मुझे इतना ही कहना है।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत आभारी हूं कि प्रदेश की ८५ फीसदी जनता से जिस अनुदान का संबंध है उस पर बोलने का मुझे आपने अवसर दिया। मैं जो कटौती का प्रस्ताव आया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। देखने में तो राजस्व विभाग आमदनी वाला विभाग है। इसमें २७ करोड़ रुपया किसानों से आता है। लेकिन इसमें खर्चा भी कोई कम नहीं है। ८ करोड़ रुपया इस विभाग के द्वारा खर्च भी होता है। वैसे तो इसमें बहुत-सी मदें हैं जिनमें हजारों की तादाद में रुपया खर्च होता है, लेकिन तीन बड़ी-बड़ी मुख्य मदें है जिनमें बहुत काफी रुपया खर्च होता है। एक तो इस रुपये की उगाही में २ करोड़ ७४ लाख रुपया खर्च होता है जो इस विभाग की कुल आमदनी का १० परसेंट होता है। यह बहुत ही अधिक है। दूसरे रेकार्ड आपरेशन पर सवा २ करोड़ रुपया खर्च करने की व्यवस्था है और तीसरी जो सब से प्रमुख है वह है प्लान के नाम पर २ करोड़ १९ लाख का खर्च चकबन्दी के ऊपर होता है। सरकार ने इस विभाग में कुल मिला कर १८ लाख ४७ हजार रुपये की कमी भी दिखायी है, लेकिन उसमें से ११ लाख १४ हजार की कमी तो हेड्स को ट्रांसफर करके दिखायी गयी है यानी असल में केवल ७ लाख की कमी की गयी है।

श्रीमन्, मैं इस बजट के संबंध में केवल एक बात कह देना चाहता हूं कि चकबन्दी का जो खर्चा है, उसमें जो वसूली दिखाई है वह एक करोड़ रुपया सरकार वसूल करेगी और इस रुपये को वसूल करने में २१ लाख ९२ हजार रुपया सरकार खर्च करेगी यानी २२ प्रतिशत रुपया वसूल करने में खर्च होगा। यह बहुत ज्यादा है, इसमें सरकार को कमी करनी चाहिये। इसी तरह से सरचार्ज लगाया गया है। मंत्री जी जब विधेयक ले आये थे तो उस समय उनका सब से बड़ा आर्गूमेंट था कि वसूली में कोई खर्चा नहीं पड़ेगा। श्रीमन्, ५ करोड़, १९ लाख रुपये की वसूली है उस पर ३० लाख रुपया सरकार का खर्चा है। यद्यपि उस समय सरकार ने कहा था कि इस पर कोई रुपया खर्च होने वाला नहीं है। इस तरह से जहां तक बजट का संबंध है उसके बारे में दो बातें है। सरकार ने जो खर्चा बनाया है उसमें १० प्रतिशत राजस्व वसूली पर है और २० प्रतिशत चकबन्दी पर है और इस सरचार्ज पर ७ प्रतिशत पड़ने वाला है। यह खर्चा बहुत अधिक है, इसमें कमी करनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, एक सुझाव अन्य दलों की ओर से आया है उसको यदि प्रयोग में लाया जाय तो सरकार के लिये कोई परेशानी की बात नहीं हो सकती है। जितनी रेवेन्यू है यदि गांव सभाओं पर उतना रुपया है तो उनको रेवेन्यू वसूल करने का अधिकार दिया जा सकता है और ५ प्रतिशत में गांव सभायें यह काम कर सकती हैं। इस प्रकार से यह काम किया जा सकता है। वैसे सरकार को कमी करने के और भी उपाय सोचने चाहिये।

श्रीमन्, कटौती के प्रस्ताव के माध्यम से दो-तीन बातें आवश्यक हैं उनकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज जैसा कि काशीनाथ जी ने ध्यान दिलाया, अपने यहां ६ या ९ प्रकार

के काश्तकार हैं। वैसे पुरानी प्रथा में तो २२ तरह के थे। जो लगान या सरचार्ज वसूल होता है उसको आप देखें तो गरीब जनता को अधिक देना पड़ता है और बड़े काश्तकारों को कम देना पड़ता है। सीर और खुदकाश्त की जमीन का सरकार ने मालिकाना अधिकार दिया है और साथ में मनमाना रेट कहीं पर ४ आना और कहीं पर ८ आना लगान प्रति बीघा अब भी वसूल किया जाता है। दूसरे प्रकार के काश्तकार थे सीरदार, उनसे दस गुना जमा करके भूमिधर के अधिकार दिये है और उनको सीर और खुदकाश्त वाले पहले काश्तकारों से अधिक लगान देना पड़ता है। नये सीरदार बने हैं उनमें जो सरकार की सी० एल० आर० डी० की स्कीम है उसने किसानों को तबाह कर दिया है। कहीं दुगना लगान हो गया है और कई तरह की अनियमितताये हुई हैं। चौथे प्रकार के सब से छोटे काश्तकार होते हैं। असामी और अधिवासी। उनसे ढाई गुना और तिगुना लिया जाता है। सरकार की क्या पालिसी है। भूदान की जमीन पर भी दुगना तिगुना लिया जाता है। छोटे काश्तकरों पर लगान का अधिक भार है बनिस्बत उसके जो पहले से काश्तकार हैं। इस पर सरकार को एक स्टैंडड रखना चाहिये और एक यूनिफार्म पालिसी बनानी चाहिये। अगर ऐसा सरकार कर दे तो उसको नये कर नहीं लगाने पड़ेंगे और एक यूनीफार्म पालिसी प्रदेश में हो जायगी।

श्रीमन्, लगान के सम्बन्ध में जैसा कि बताया गया और यह वास्तविक बात है कि अपने प्रदेश के अन्दर लगान सब प्रदेशों से अधिक है। उसके ऊपर सरचार्ज और लगा दिया गया। एक बिल और आया है। खैर वह ३० एकड़ के ऊपर वालों के लिये है। इस तरह से लगान बढ़ाया जा रहा है। जब जमींदारी टूटी थी तो लगान आधा करना चाहिये था। लेकिन उसके बाद योजना के नाम पर और दूसरे प्रकार से लगान कम करने के स्थान पर बढ़ाते चले जा रहे हैं। सरकार ने कहा था कि सरचार्ज एक साल के लिए लगाया जाता है, लेकिन जो इन्कम दिखाई गयी है, उसमें अगले साल भी पांच करोड़ रुपया वसूल करने वाले हैं। एक बार आश्वासन देने के बाद सरचार्ज को लगातार बनाये रखने की स्कीम बनाना बहुत ग़लत है। मेरी प्रार्थना है कि सरकार अगले साल के सरचार्ज न लगाये। चकबन्दी में बहुत भ्रष्टाचार और अनियमितताएं हैं। उसके अन्दर पड़ताल के समय गलत इंदराज करवा दिये जाते हैं। चकबन्दी का जो प्लान है उसके अन्दर आर्गेनाइज्ड एफर्ट है, गरीब को परेशान करने के लिए। इसका भी सुधार किया जाना चाहिए, नहीं तो कम से कम आपतकाल में इसको स्थगित कर देना चाहिए।

एक बात यह कि हमारा किसान हमेशा धोखे में रहता है। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि लेखपाल पहली पड़ताल जो सितम्बर में करता है उसके बाद खसरे और खतौनी की नकल प्रत्येक काश्तकार को फ्री दे दे इससे किसान तमाम परेशानियों से बच सकता है।

इसके अतिरिक्त जो सुझाव जनरल बजट के मौके पर दिये गये हैं, किसान के ऊपर तरह-तरह की आपत्तियां आती हैं, उनको दूर करना है। उसको समुचित मार्केट मिलनी चाहिए। सिंचाई का साधन मिलना चाहिए, फसलों का बीमा होना चाहिए, इसके लिए किसान को व्यवस्था करनी चाहिए। किसान का मनोबल बनाने के लिए यह आवश्यक है क्योंकि किसान अपने बेटे को सेना में भी भेजता है और खेती की पैदावार भी करता है। सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रदेश का जो ८५ प्रतिशत का वर्ग है उसके ऊपर अधिक बडन न पड़े। उसकी परेशानी को दूर करने के लिए सरचार्ज वापस लें और उनको सुविधा देने के लिए सरकार योजना बनाये। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष––

अब हम उठते हैं। २ बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

*श्री राजनारायणसिंह (जिला वाराणसी)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो राजस्व मंत्री ने अनुदान पेश किया है इस आदरणीय सदन के समक्ष मैं उसका समर्थन करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उसका मैं विरोध करता हूं। श्रीमन्, जब से देश आजाद हुआ गवर्नमेन्ट यह समझती थी कि इस देश की हालत सुधर नहीं सकती जब तक कि किसानों की हालत नहीं सुधारी जायगी क्योंकि जहां पर ८०-८५ प्रतिशत काश्तकार रहते हों वहां की हालत तभी सुधर सकती है जब कि खासकर के किसानों की हालत सुधारी जाय। विरोधी दलों की तरफ से, हमारे टेनेंसी ऐक्ट्स के मुताल्लिक या जो कायदे कानून में सुधार हुए हैं उनके मुताल्लिक, जो आलोचना की गई है वह सर्वथा निर्मूल है। मैं यह कह देना चाहता हूं कि वाकई में यह प्रदेश को फख्र हासिल है कि किसानों की हालत सुधारने के लिये जो-जो सुधार और कानून लाए गए हैं वह सिर्फ उनकी दशा सुधारने वाले ही नहीं हैं, बल्कि इस सुधार और इन कानूनों से दूसरे प्रदेशों को भी रोशनी मिली है। कहते हैं कि कानून में तीन किस्म के काश्तकार रखे गए हैं। लेकिन मैं आदरणीय सदन से कहना चाहता हूं कि इसके पहले दस, बारह किस्म के काश्तकार थे और बहुत सोचसमझ कर उनको तीन किस्म का कर दिया गया है--भूमिधर, सीरदार और असामी। श्रीमन्, उसमें भी हर एक को अधिकार है कि अपने लगान का दसगुना जमा कर के वह भूमिधर-काश्तकार की हैसियत में हो सकता है और फिर उसको जमीन बेचने का अधिकार हो सकता है। जो यह कहते हैं कि जमींदारों का लगान कम किया गया है वह भी अनुचित है, क्योंकि जमींदारी टूटने के पहले जो काश्तकार दखीलकार आराजी के थे और जो सरहमुअय्यन थे, जमींदारों का जो लगान कायम किया गया है वह उससे ज्यादा नहीं है, उनको भी वही हैसियत दी गई है। जब उनकी जमींदारी टूटी तो भूमिधरी डिक्लेयर की गई, उस पर भी उतना ही लगान है उससे ज्यादा नहीं है जो कि फिक्स्ड रेट टेनेंसी का था या दखीलकार काश्तकार का था। एक तरफ तो आपने गांव सभाओं को अधिकार दिया कि उनकी आराजी बेदखल की जा सकती है और विधवाओं को अधिकार दिया जो अपने खतों को खुद नहीं जोत सकती थीं, वह दूसरों को जोतने के लिये दे सकती हैं और उनको भी बेदखल करने का अधिकार होगा। तो अगर्चे उनको भूमिधरी का अधिकार दे देते हैं या सीरदार का अधिकार दे देते हैं तो बेदखली की बात दूर हो जाती है। इसलिए यह मजबूरी थी और तमाम सोचने विचारने के बाद तीन किस्म के काश्तकार रखे गये।

एक बात और कही गयी कि हरिजनों को जमीन नहीं दी गई। हम जानते हैं कि जो, चकबन्दी हो रही है उसमें ऐसा प्राविधान किया गया है कि गांव में जो जमीन निकलेगी वह उन हरिजनों को दी जायगी जो उस गांव में रहते हैं और जिनके पास मकान नहीं हैं। इसलिए वह भी शिकायत ठीक नहीं है। श्रीमन्, हम जानते हैं कि चकबन्दी से बहुत बड़ा फायदा है। हां, कुछ शिकायत हो सकती है। लेकिन जब ऐसा प्राविधान किया गया है कि गांव के लोगों की एक कमेटी होगी और उन लोगों से राय लेकर चकबन्दी की जायगी और इसके अलावा जिला स्तर पर भी एक कमेटी है और वहां भी ऐसी शिकायत की जाती है, उसका अध्यक्ष जिलाधीश होता है, और उसमें एम० एल० ए० लोग, जिनके क्षेत्र में चकबन्दी होती है, वह भी मेम्बर होते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि अगर वह लोग अपने क्षेत्रों में जागरूक रहें तो ऐसी शिकायत कमेटी में रख कर उसका निराकरण कर सकते हैं। तो यह छोटी मोटी शिकायतें तो ऐसी नहीं हैं कि जिनके लिये हमारी सरकार ने पहले से प्राविधान न बनाया हो। श्रीमन्, यह जरूरी है कि खेतों को जो बिखरे रहते हैं उनकी उपज बढ़ाने के लिए चकबन्दी की जाय। जो छोटे-छोटे टुकड़ों में तमाम गांव के अन्दर खेत बिखरे रहते थे उनका चक बनाना काश्तकारों के हक में एक बहुत ही अच्छी बात थी और एक ऐसा कदम था जिससे काश्तकारों की माली हालत दृढ़ हो सकती थी। काश्तकारों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए यह सब बातें की गई हैं। इसलिये हम समझते हैं कि जो आरोप लगाये गये हैं कि रेवेन्यू विभाग के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर्मचारी मनमानी करते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप देखें तो ५६ से लेकर तमाम तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कानूनगो, जिनके खिलाफ शिकायत पाई गई है वह बरखास्त किये गये हैं और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की गई है। इसलिये मैं समझता हूं कि जो बातें कही गई हैं वे ठीक नहीं हैं।

एक और जो यह बात कही जाती है कि इस प्रान्त में मालगुजारी ज्यादा देनी पड़ती है तो मैं यह बतलाना चाहता हूं कि मालगुजारी ज्यादा नहीं है, बल्कि यहां जो कानून बनाये गये हैं उनमें किसानों के लिये सुविधा इस दिशा में की गई है। जो असामी थे उनके ऊपर रोस्टर के मुताबिक लगान पड़ता था जो रोस्टर का दुगुना होता है। अगर कहीं पर रोस्टर के दुगुने से ज्यादा लगान किसी असामी को देना पड़ता है तो उनको अधिकार है कि अदालत में दरख्वास्त देकर अपना लगान रोस्टर के मुताबिक करा सकते हैं जो रोस्टर के दुगने से ज्यादा नहीं होगा। इसलिये लगान में कमी की गई है न कि लगान को बढ़ाया गया है। जहां पर इस प्रकार की शिकायतें हैं वहां पर यह उचित होगा कि वहां के लोगों से दरख्वास्त दिलाकर उसको ठीक कराया जाय। यदि कहीं पर सी० एल० आर० डी० ने किसी विषय में गलती की है तो उस को कानून के अनुसार ठीक कराया जा सकता है। इन शब्दों के साथ, जो अनुदान पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो ग्रान्ट पेश की है उसके सम्बन्ध में जो कटौती के प्रस्ताव पेश हैं मैं उसके पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह रेवेन्यू विभाग की तरफ से जो खर्च मांगा गया है वह ८ करोड़ ३२ लाख रुपया है। उसमें से खासतौर से जो खर्चा हुआ है और खर्च का जो अनुमान किया गया है और इस बजट के अन्दर रखा गया है वह ७,४१,८९,००० रुपया है। मान्यवर, किसानों की हालत क्या है इस प्रदेश में उसका नकशा तो इस सदन के सामने है ही। जब तक किसानों की हालत सुधरती नहीं है तब तक उनके ऊपर किसी प्रकार से रेवेन्यू बढ़ाया जाना उचित नहीं है। पिछले वर्ष भी इस ग्रान्ट पर बोलते हुये मैंने यह बात कही थी। किसानों की परेशानी, इतना अधिक स्टाफ रखने पर भी, दिन-ब दिन बढ़ती जाती है। उसमें कमी नहीं हो रही है। यहां पर लखनऊ में रह कर किसानों की हालत, देहात में कैसी है, इसका अनुमान अधिकारियों को नहीं हो सकता है। इतना स्टाफ रखने के बाद भी न तो उनके कागजात की ग:तियां दुरुस्त हुई हैं और न वसूली में, जो कोर्यासिव मैथड इस्तेमाल होता है, उसमें कोई सुधार हुआ है। मान्यवर, करप्शन बराबर बढ़ता चला जा रहा है। सीलिंग ऐक्ट जो पहले पास हो चुका है वह भी फेल हो गया नजर आता है। उससे सरकार को जितनी आशा थी कि इतनी जमीन मिलेगी उतनी जमीन सरकार को नहीं मिली। आज फिर वृहत् जोत-कर विधेयक, १९६३ को सदन में प्रस्तुत कर के टैक्स लगाने की बात सोची जा रही है। मान्यवर, ग्रान्ट नम्बर १ के सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह १९५७ में जो वृहत् जोतकर ऐक्ट लागू हुआ था उसमें यह प्राविजन था कि रेन्ट रेट ड्योढ़ा लगा कर टैक्स लगाया जा सकता था। उन जिलों में लगान ड्योढ़ा कर के Valuation निकाल लिया जाय जहां पर १९२७ के बाद सेटिलमेंट नहीं हुआ है। इसमें बुन्देलखंड के भी कई जिले आ गये जहां पर कोई सेटिलमेंट तब से या १९२७ के बाद नहीं हुआ। जालौन जिले में डेयोढ़ा रेन्ट रेट लगाकर असेसमेंट कर लिया गया। सन् १९५८ के शुरू में मान्यवर, यानी १३६५ फसली सन् में जो assesment हुआ उसमें बढ़ी हुई दरों से उसकी मालियत आंकी गई। १९५८ में यानी १३६५ फसली की आमदनी पर जो टैक्स asses हुआ वह १९५८ के बाद Final हो कर वसूल भी हो गया। १९६० में सरकार ने एक जे० ओ० बोर्ड आफ रेवेन्यू को भेजा कि जहां पर १९२७ के

[श्री विजयसिंह]

बाद कोई सेटिलमेंट नहीं हुआ है वहां केवल १३६५ के लिये जो असेसमेंट हो वह ड्योढ़ी Land rent करके न आंका जाय, बल्कि १३६६ फसली से उसको लागू किया जाय। लेकिन वह पहले ही असेस हो गया, और वसूल भी हो गया और चूंकि रिविजन की म्याद केवल एक वर्ष की होती है और appeal की म्याद १ माह होती है। तो उस ड्यौढ़े Valuation पर Tax के विरुद्ध करदाता द्वारा कोई कार्यवाही भी नहीं हो सकती थी। इससे स्पष्ट हुआ कि दो-ढ़ाई साल के बाद जो स्पष्टीकरण जी० ओ० निकाल कर बोर्ड आफ रेवेन्यू को भेजा गया है तो करदाताओं को कोई स्थान बाकी नहीं रहा कि उस बढ़े हुए कर को जो उसने दिया है वह वापस मिल जाय। यह तो स्पष्ट है कि सरकार और लेजिस्लेचर का मंशा नहीं था कि इस प्रकार का टैक्स लगे, लेकिन जो बड़ी किसान प्रिय और जनता की हमदर्द सरकार है उसने जो इस प्रकार से करोड़ों रुपया टैक्स ले लिया उसको वापस करने का उसने कोई स्थान नहीं रखा और न कोई उपाय सोचा। मैंने पिछले वर्ष भी माननीय मन्त्री के समक्ष अपनी बात रखी थी, लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं मिला। अब चूंकि फिर यह नया ऐक्ट बनकर लागू होने वाला है और यह मुमकिन है कि सरकार की ओर से कोई संशोधन आये तो मैं यह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में शीघ्र नियम बनाएं या इस नये बिल में संशोधन लायें और जवाब देते समय स्पष्ट करें कि जो इस प्रकार से सरकार ने करोड़ों रुपया वसूल कर लिया है उस को किस प्रकार वापस करेंगे। मान्यवर, उसका अगर आप देखिये कि क्या पड़ता था। ५० परसेंट के बढ़े हुए लगान पर अगर किसी का ४०,००० वैलुएशन निकाला जाता है तो इसका मतलब हुआ कि ११,१६० रुपया टैक्स पड़ता है। १९६० के सर्कुलर के अनुसार केवल १३६५ फसली की Valuation को ड्यढ़ा लगान करके टैक्स न लगाया जाय और दिये हुये land Rent से ही हिसाब लगाया जाय तो उपरोक्त ४०,००० की Valuation केवल २७,००० ही रह जाती है जिस पर Tax ५८,५० रु० ही होता है इसका मतलब यह हुआ कि ५,३०० रुपये के करीब अधिक और गलत टैक्स ले लिया। तो जब ४० हजार के वैलुएशन पर इतना अधिक वसूल कर लिया है तो इस प्रकार से कितने खाते होंगे जिससे लाखों और करोड़ों रुपये की मिला कर प्राप्ति हुई होगी। तो आशा है कि सरकार उस रुपये की वापसी के सम्बन्ध में अपनी तरफ से कुछ बात कहेगी।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि सरकार का जो बजटिंग का तरीका है वह पुराना है। रेवेन्यू ग्रांट से जो आय होती है वह २७,५६,९२,००० के करीब है। रेवेन्यू रिसीट्स हमारा परमानेंट सोर्स आफ इनकम है। कायदा यह है कि जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन का खर्च और रेवेन्यू के कलेक्शन का खर्चा इस २७ करोड़ से बाहर नहीं होना चाहिये। लेकिन जो कलेक्शन का खर्चा पेज १२ पर दिया है वह ७,१३,२७,००० रुपया है और ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पर २८,८४,१२,००० है तो इस प्रकार से ३५ करोड़ हो जाता है। अंग्रेजी जमाने में रेवेन्यू रिसीट्स के अन्दर ही खर्चा होता था। जहां तक आमदनी का प्रश्न है वह और भी हो सकती है और भी बहुत-सी मदें हैं, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए बुद्धिमानी का यही काम होगा कि वह इसी में खर्चा चलाये और बाकी रुपया डेवलपमेंट वर्क्स में लगाएं।

साथ ही मुझे यह भी कहना है कि सरकार ने अपने कार्यों की विभाग वार इंट्रोडक्टरी नोट्स या ऐडमिनिस्ट्रेटिव या वर्क्स रिपोर्ट पेश नहीं की हैं। जो बजट लिट्रेचर मिलता है उसको कितने माननीय सदस्यों ने पढ़ा तथा कितने माननीय मंत्रियों ने देखा होगा? समझने में भी कम से कम १ महीना लगेगा। विभागीय वर्किंग रिपोर्ट अलग से उसी ग्रांट के साथ होनी चाहिए जिससे माननीय सदस्य समझ सकें कि कितना रुपया किस ग्रान्ट में दे रहे हैं और किस प्रकार से कैसा खर्च किया जायगा, वह बजट में ही सारा हवाला मिल सकेगा। किसान पर टैक्स तो पहले ही बढ़ चुके थे, इसके बाद २५ परसेंट इमर्जेंसी लेवी आ गयी और पिछली २३ तारीख को मोरारजी देसाई ने कहा था कि हिन्दुस्तान के अन्दर पर-कैपिटा टैक्सेशन १८.८ है और यू०

पी० के अन्दर ८.८ है। यानी उत्तर प्रदेश सरकार १२५ परसेंट टैक्स और भी लगा सकती है। फिर पर-कैपिटा इन्कम इंडिया की क्या है ? टैक्स में तो हालत यह है कि सेचुरेशन प्वाइंट तक किसान पहुंच गया है, अब उसकी शक्ति के बाहर है अधिक टैक्स देना, फिर सरकार कहां तक उन पर टैक्स लगाती जायगी ?

चकबन्दी का प्रश्न भी सामने आता है। हर जगह करप्शन की शिकायतें हैं। इससे क्या लाभ है, यह तो भविष्य बतलायेगा। आज तक किसी भी जिले में चकबन्दी पूरी नहीं हो पायी जब कि इतना रुपया उस पर व्यय किया गया। आवश्यकता इस बात की है कि चकबन्दी के साथ स्वायल कंजर्वेशन का भी कोआर्डिनेशन होना चाहिए। पानी देने और निकालने की व्यवस्था भी होनी चाहिए जो Soil conservation की ड्यूटी है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि कई विभागों के लिये एक मंत्री हो सकते हैं, लेकिन एक विभाग के लिये कई मंत्रियों का होना हास्यास्पद है। १९६०–६१ की आडिट रिपोर्ट में शिकायत है कि जंगलों के मामले में विभाग को तार नहीं मिल सका। वन की रक्षा को तार कोई और डिपार्टमन्ट दे तो मंत्री क्या करें यही अव्यवस्था है। विभागों का बटवारा ऐसा नहीं है कि ठीक तौर से काम हो सके। मैंने माननीय टी० टी० कृष्णमचारी का एक लेख पढ़ा था कि रेवेन्यू को या ऐग्रिकल्चर को एक मंत्री के हाथ में होना चाहिये। कृषि सम्बन्धी सभी विभागों का पूरा काम एक मंत्री के पास रखा जाय ताकि सारा काम उसी विभाग के अन्दर ही हो सके और दूसरे विभाग की स्वीकृति लेने में जो दिक्कतें पैदा हो जाती हैं वह न हों।

बजट में सरकार ने १९६०–६१ के केवल ऐक्चुअल्स दे दिये। इस सरकार को १५ साल हो गये पिछले सन् १९४७-४८ को Standard मानकर और उस Basis पर हर ५ वर्ष के ऐक्चुअल को सामने रख कर, यानी सन् ५१ और ६२ की एक्चुअल को देख कर फाइनेंस डिपार्टमेंट को यह क्लियर करना चाहिये था कि कितना डेवलपमेंट हुआ और कितना काम हुआ। इसका भी Explanatory note बजट के Vol. 4 में होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय माल मंत्री जी ने जो अनुदान की मांग उपस्थित की है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्रीमन्, मुख्य कटौती का प्रस्ताव माननीय काशीनाथ जी ने पेश किया है। उन्होंने एक बड़ी आश्चर्यजनक बात कही है और वह यह कि इस सरकार के पास भूमि संबंधी कोई नीति नहीं है। सन् ४७ में आजादी मिली, सन् ५० में सरकार ने जमींदारी उन्मूलन विधेयक पास किया और उससे कितना फायदा किसानों को हुआ। उस समय जो जमीन को जोतता बोता भी नहीं था, उससे भी लगान वसूल किया जाता था। कानून के इस माध्यम से उनको फायदा पहुंचाया गया। उसके बाद अर्बन एरिया में भी जमींदारी एबालिशन का कार्य किया गया। हिल एरिया में भी सेटिलमेंट का काम का हो रहा है। उसके बाद श्रीमन्, जमीन की हदबन्दी संबंधी विधेयक लाया गया। उसमें ४० एकड़ की सीमा रखी गयी, हालांकि बिहार में ७० एकड़ तक की सीमा है। वह एक ऐसा प्रगतिशील लेजिस्लेशन था जिससे काफी फायदा किसानों को पहुंचा। चकबन्दी का भी कार्य बहुत प्रगतिशील रहा है। तो यह सब कार्य भूमि संबंधी हुये हैं। ०.७८ एकड़ तक की होल्डिंग्स को लेकर यह अनुभव करना कि किसान खेती में तरक्की कर सकेगा, यह कल्पना के बाहर की बात थी। किन्तु यह सब सरकार ने किया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णानन्द राय]

श्रीमन्, चकबन्दी के बारे में कुछ गड़बड़ियों की बात कही जाती है, लेकिन उसके एचीवमेंट्स की ओर लोग नहीं देखते। दूसरी पंचवर्षीय योजना के पहले १ लाख ८७ हजार एकड़ जमीन में चकबन्दी का कार्य हुआ। उत्तर प्रदेश में ५० लाख एकड़ का टार्गेट रखा गया था, लेकिन जहां तक मुझे याद है ५१ लाख कुछ हजार एकड़ में हदबन्दी भी हुई। तीसरी योजना में ९० लाख की हदबन्दी का टार्गेट है। इस संबंध में मैं इतना जरूर कहूंगा कि यह टार्गेट बहुत कम है। तीसरी योजना के बाद भी मेरा खयाल है कि ३०० लाख एकड़ जमीन ऐसी बच जायेगी जिसमें चकबन्दी नहीं हो पायेगी। अगर यह टार्गेट रहा तो इस तरह से करीब ६ पंचवर्षीय योजनायें लग जायेंगी उस कार्य को पूरा होने करने में। इसके लिये सरकार को सोचना पड़ेगा और उचित कदम उठाना पड़ेगा।

जहां तक इस कार्य में अधिकारियों की एफीशिएन्सी का ताल्लुक है, मैं यह कहूंगा कि कहीं छोटी-मोटी गलती हो सकती है, मगर कार्य काफी अच्छा रहा है। पंजाब को चकबन्दी के कार्य में सबसे आगे माना जाता है। वहां पर १० रुपया प्रति एकड़ खर्च पड़ा है, और हमारे यहां ११ रुपये प्रति एकड़ का औसत है। तो इस तरह से आप देखें कि चकबन्दी का कार्य, जमीन की हदबन्दी का कार्य, जमींदारी एबालिशन का कार्य, इत्यादि सब ऐसे कार्य हमारी सरकार ने किये हैं जो काफी प्रगतिशील कहे जा सकते हैं और जिससे प्रदेश के किसानों को काफी राहत मिली है। अब उसको भुला कर अगर आप एक वाक्य कह दें कि सरकार के पास भूमि नीति ही नहीं है, तो मैं यह कहूंगा कि ऐसे जुमले से कोई लाभ होने वाला नहीं। माननीय काशी नाथ मिश्र जी ने तो माल विभाग को मुर्दा विभाग कह डाला। आप जानते हैं कि जितने भी झगड़े के काम थे, गुलामी के समय उनमें कितनी पेचीदगियां पैदा हो गयी थीं, उन सब को इस विभाग ने किया। पहले जितने संघर्ष होते थे जमीन के संबंध में वे भी कम हुये हैं। फिर चकबन्दी में जो चक बने, वे तो बने ही, एक काम यह और हुआ उसके साथ कि जो रेकार्ड्स आदि थे वे भी दुरुस्त हो गये, बिना किसानों के कचहरियों में दौड़े हुये। उसमें भी सुधार हो गया।

रेवेन्यू के संबंध में यह बात कह दी जाती है कि पहले साढ़े ६ करोड़ की आय थी, अब २२ करोड़ की हो गई है। किन्तु पहले तो जमींदार लोग जो साढ़े ६ करोड़ की मालगुजारी थी वह तो वसूल करते ही थे, साथ ही यह २२–२४ करोड़ और वसूल करते थे। अगर उस सबको देखा जाय तो अब कम ही वसूल होती है, वह ज्यादा नहीं है।

हां, जो रेवेन्यू का कार्य है, उसके संबंध में यह मैं जरूर कहूंगा कि थोड़ा-सा वैज्ञानिक ढंग से सोचने की जरूरत है क्योंकि आज भी भूमिधर हैं, सीरदार हैं, असामी आदि हैं और वे जो रेवेन्यू देते हैं उनमें बड़ा अन्तर है। इसी उत्तर प्रदेश में कहीं ८ आना प्रति एकड़ है, कहीं ३ रुपये है, कहीं ६ रुपये है, तो कहीं १८ रु० है। ऐसे भी गांव हैं जहां पर यह २८ रुपये तक है। इस विषय में कुछ वैज्ञानिक ढंग से सोचने की जरूरत है। हमारी समझ से कुछ ऐसा होना चाहिये कि जो उत्पादन हो उसके हिसाब से कुछ प्रतिशत रखा जाय। आज भूमि की मालिक सरकार स्वयं हो चुकी है। सब लोग तो केवल जमीन को जोतते बोते हैं। उनको प्रोप्राइटरशिप का कोई हक नहीं है। ऐसी सूरत में किसी से ८ आना और किसी से २८ रुपये वसूल करना उचित नहीं दीखता, इस पर सरकार को विचार करना चाहिये।

एक बात मैं जो यह २५ प्रतिशत का सरचार्ज लिया जाता है उसके बारे में कहना चाहता हूं। जहां तक मुझे पता है सरकार की ऐसी मंशा नहीं है कि जो जमीन को जोतता-बोता भी नहीं है उस पर भी यह सरचार्ज लिया जाय। वैसे तो अनेक इसके उदाहरण हैं, लेकिन मैं अपने यहां के एक गांव पटतुनियां का हवाला देना चाहता हूं। वहां की कुल मालगुजारी २८ हजार है, लेकिन उसमें से १६ हजार सरकार वसूल नहीं करती है, केवल १२ हजार करती है। लेकिन यह जो सरचार्ज लगा है यह २८ हजार पर लगा है। हालांकि यह १२ हजार पर ही

लगना चाहिये था । इस संबंध में कुछ अड़चनें पड़ रहीं हैं २५ प्रतिशत सरचार्ज वसूल करने के बारे में। बालू पानी की जमीन पर और गैरमजरुआ जमीन पर, जिसका खसरे में इन्दराज मौजूद है, सरचार्ज लगाया जाना उचित नहीं है। यह ठीक है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने बहुत से प्रगतिशील कार्य किये हैं, लेकिन कुछ और भी कार्य बाकी रह गये हैं जिनके बारे में सुझाव दिये जा सकते हैं, लेकिन यह कह देना कि राजस्व विभाग के पास कोई कार्य ही नहीं है, यह गलत है। इन शब्दों के साथ मैं इस मांग का समर्थन करता हूं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव उपस्थित किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, भू-राजस्व को यदि आप देखें तो मालूम होगा कि उसमें ५८,३२,००० रुपये का व्यय बढ़ाया गया है जिसके लिये मुख्यतः यह कहा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन पर यह खर्चा बढ़ा है, प्रकीर्ण उगाही के लिये यह स्टाफ रखा गया है। मैं जानना चाहता हूं कि पहले इसकी उगाही किस प्रकार होती थी ? जब कि सदन में इमर्जेंसी की चर्चा हो उस समय बजट में नौकरशाही और अफसरशाही को बढ़ाने की चर्चा की जा रही है और उसके लिये ५८ लाख रुपया अधिक मांगा जा रहा है। सचमुच यह रुपया अगर हमें देना होता तो हम एक पैसा भी न देते। इसीलिये मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूं।

दूसरे, इस बजट में लैंड एक्वीजीशन की प्राब्लम पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है। उसके भी कुछ कर्मचारी और अफसर बढ़ाये जा रहे हैं, लेकिन क्या किसानों की मुआवजे की दरें भी बढ़ाई जायंगी या नहीं ? मैं माननीय सिंचाई मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री तथा सूचना मंत्री जी और बिजली मंत्री जो चले गये हैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि गूलों, अस्पतालों आदि के लिये इन्हीं विभागों को जमीन मांगनी पड़ेगी। पी० डब्लू० डी० विभाग के मंत्री जी से मुझे कुछ कहना नहीं है, उनका विभाग तो पाकसाफ है। जरा आप लोग बैठकर केबिनेट में विचार करें कि किसानों को मुआवजा देने के लिये क्या प्राबीजन किया जाना चाहिये। चाहे वे रोडवेज के मंत्री हों या विचित्र नारायण शर्मा जी हों, जब उनसे कहा जाता है कि रुपया खर्च क्यों नहीं हुआ तो जवाब मिलता है कि जमीन एक्वायर नहीं हुई। लेकिन मैं पूछता हूं आपको इस प्रकार से जमीन कौन देगा ? दिल्ली के पास गाजियाबाद में आप जमीन लेना चाहते है लेकिन साग-सत्त के भाव। जब आप उनकी जमीन लेना चाहते हैं तो उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिये। चाहिये तो आपको यह कि उनको रोजी की जगह रोजी दी जाय।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, मेरा एक प्वाइन्ट आफ आर्डर है। सदन में आप देखें कि एक माननीय सदस्य मिलिटरी की ड्रेस पहने हुए बैठे हैं। वे एम० एल० ए० हैं या मिलिटरी के हैं ? क्या मिलिटरी की ड्रेस में सदन में आकर बैठा जा सकता है ?

श्री अधिष्ठाता—

अभी तक इस सदन में ड्रेस के लिये कोई प्रावीजन नहीं है, ड्रेस के बारे में कोई रूल्स बने हुये नहीं हैं इसलिये कोई भी ड्रेस पहनी जा सकती है। यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री कल्पनार्थसिंह—

गाजियाबाद आदि शहरों में मास्टर प्लान के लिये जमीन मिलने में इसीलिये कठिनाई हो रही है। अगर सरकार किसी पब्लिक सेक्टर के लिये जमीन लेती और उसके लिये कुछ कम मुआवजा भी देती तो बात कुछ समझ में आ सकती थी, लेकिन आप किसानों की जमीन प्राइवेट सेक्टर के लिये लेकर उनकी बारगेनिंग कैपेसिटी भी खत्म कर देंगे। इसके बावजूद उनको उचित मुआवजा भी नहीं देंगे। बजट में ऐसा क्यों नहीं किया गया कि इन किसानों को इस तरह का

[श्री कल्पनार्थसिंह]

कोई उचित मुआवजा दिया जाय जिससे उनका भरण-पोषण हो सके। श्रीमन्, इसी प्रसंग में मैं एक बात कह दूं। हरिद्वार के बिजली के कारखाने में एक मंत्री महोदय के बीच-बचाव से जितना मुआवजा इस प्रदेश में किसानों को दिया गया है उसमें सबसे ज्यादा वहां के किसानों को दिया गया। और यह दिया गया तो क्यों? क्या दूसरे किसानों को भी उसी तरीके से मुआवजा पाने का हक है या नहीं? मैं यह भी बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी हुआ है कि कोई प्राइवेट सेक्टर के लिये जब जमींन सरकार ऐक्वायर करे तो यह जरूर ध्यान रहे, मैंने उस फैसले की खोज की मुझे अभी मिल नहीं पाया, लेकिन उस फैसले से तो सरकार को सबक लेना चाहिये। वह नजीर है और सरकार को उसे जरूर देखना चाहिये।

माननीय रामप्यारे जी नहीं हैं।

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

मैं हूं।

श्री कल्पनार्थसिंह—

अच्छा, बड़ी खुशी है। आपके रिहन्द डैम के किसानों को क्या हुआ? माननीय ग्राम वासी जी ने अनशन किया और क्या क्या तमाशा नहीं हुआ, लेकिन क्या वहां गांवों में बिजली पहुंची? नहीं। टाटा, बिड़ला और उनके दोस्तों को मिली। आप जरा इस बात को देखिये कि क्या क्या नहीं हो रहा है इस लैन्ड ऐक्वीजीशन के नाम पर।

श्रीमन्, एक बात मैं और कहना चाहूंगा। मंत्री जी मेहरबानी करके जरा स्पष्ट नीति इस सिलसिले में इस हाउस में बतावें। मैंने माना, लोग कहते हैं कि चकबन्दी बड़ी अच्छी चीज है। मुझे उसके बारे में कोई शिकायत भी नहीं है, न वहां के भ्रष्टाचार के बारे में है क्योंकि वह तो एक दस्तूर हो गया है, कानून बन गया है। मगर मुझे कहना तो यह है कि जिन कर्मचारियों को, भूखे भेड़ियों को भेड़ खाने के लिए वहां छोड़ रखा है उनके पेट भरने का खयाल करें। इस महकमे से मुझे कोई रत्ती भर भी शिकायत नहीं है, लेकिन क्या उन कर्मचारियों का पेट भरने की कोशिश की गयी है? ग्राम सेवक, पेड आनरेरी नहीं, नेता होते हैं, सेक्रेटरी भी पेड नेता होते हैं, ऐग्रीकल्चर सुपरवाइजर, कोआपरेटिव सुपरवाइजर, केन सुपरवाइजर के जो ग्रेड्स हैं उनको देखिये, उनके वेतन स्केल्स, महंगाई, टी० ए० तथा डी० ए० आदि को देख लीजिये और जरा लेखपाल महोदय के वेतन-स्केल, महंगाई आदि को देख लीजिये जिनके लिये आप डंका पीटते हैं कि बड़े खराब हैं। मैं तो कहता हूं कि वे खराब नहीं हैं, खराब सरकार है जिसने इन भूखे भेड़ियों को उन गरीब भेड़ों के गांवों के बीच गला काटने के लिये छोड़ रखा है। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि अगर आप इस पर गौर नहीं करेंगे तो काम नहीं चलने वाला है। जरा उनके पेट की तरफ निगाह डालें। क्या जरूरत है, कि वहां कलेक्टर भी हाजिर, तहसीलदार भी हाजिर, कानूनगो भी हाजिर, और लेखपाल भी सब को खुश करे? अगर लेखपाल को खुश न करे तो उसकी शामत है। इतना ही नहीं इस बजट में प्रोविजन किया गया २२ रुपये मिनिमम और उसी सिलसिले में लिखा गया है कि ४०० रुपये मैक्सिमम तनख्वाहों का सैंक्शन चाहिये, यह कौनसा समाजवाद है? आप समाजवाद का गीत गाइये, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन यह मैं जरूर कहना चाहता हूं कि इस सहकमे के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत है।

जहां तक ग्राम समाज प्रापर्टी का सम्बन्ध है, इसका कोई हल नहीं निकलता। सारा काम यों ही चलता रहेगा? गांव समाज प्रापर्टी को लूटने वाले लेखपाल, कानूनगो, सभापति—ये सब लोग हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इसको बचाने का कोई प्राविजन इसमें क्यों नहीं किया गया है, आखिर यह कैसे बचाया जायेगा? इमर्जेंसी के नाम पर करोड़ों रुपये की लेवी लैंड सरचार्ज की लगा दी गयी है और मैं समझता हूं कि ग्राम समाज की प्रापर्टी की उससे ज्यादा लूट हो रही है। लेखपाल व कानूनगो आदि द्वारा बड़ी लूट कैफियत के इन्दराज और वर्ग ९ में चल रही है। मैं कहता हूं कि खतम कीजिये इस वर्ग ९ व खाना कैफियत को वरना सारा का सारा

समाज रसातल को चला जायेगा और उसके बाद कोई रास्ता नहीं बच जायगा। इस सिलसिले में एक उदाहरण मैं दे देना चाहता हूं। हमारी पार्टी के नेता हैं माननीय गेंदासिंह जी, जो बड़े ही बुजुर्गवार हैं और उनका माननीय मंत्री जी से भी काफी परिचय है क्योंकि वे भी पुराने मेम्बर हैं। मेरा खयाल है कि पिछले साल ही उन्होंने अपने इलाके के सम्बन्ध में एक दरख्वास्त दी थी जिस पर माननीय मंत्री ने लिखा कि एक महीने में उसका जवाब तलब कर लिया जायगा, लेकिन जहां तक मेरी सूचना है, आज तक उसका जवाब तलब नहीं किया गया। क्या हुआ, उसका कुछ पता भी नहीं है। अब जरा सोचने की बात है कि माननीय गेंदा सिंह जी जैसे मेम्बर के इलाके की यह हालत है जो लगातार तीन एलेक्शंस में चुनकर यहां आते रहे हैं, और जिनको सरकार एड़ी से चोटी का पसीना एक करके भी हरा नहीं सकी। जब उनके इलाके में सरकार की इतनी चुस्त कारगुजारी है, तो हम लोग जो अभी नौसिखिये हैं, इनके इलाके की बात को छोड़ ही दीजिये कि क्या होगी। मैं नहीं कह सकता कि यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर गांव समाज प्रापर्टी की लूट का कोई न कोई हल निकलेगा या नहीं ?

एक बात मैं और कहना चाहता हूं और वह है लैन्ड रिकार्ड में बारे में। अगर मंत्री जी सन्तुष्ट हों कि उनके लैंड रिकर्ड्स ठीक हैं तब तो मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन अगर वह उससे स्वयं संतुष्ट नहीं हैं तो वह खुद इसका कोई रास्ता सोचें कि वह कैसे ठीक हों। आज ४० प्रतिशत से ज्यादा गलतियां हैं और इसीलिये इस महकमे का नाम माल विभाग पड़ गया है। इसी महकमे का नाम जैसे रेवेन्यू पड़ा, कुल कर का, मुकदमे होते हैं वह भी माल के मुकदमे कहलाते हैं और अदालतें और वकील भी माल अदालतें और माल के वकील कहलाते हैं। मुकदमों की तादाद कम की जाय और जो यह हर चीज वकील, अदालतें रेवेन्यू के नाम से चलती हैं इनका प्रबन्ध किया जाय, केवल विचार से काम नहीं चलेगा। इन शब्दों के साथ म इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री महावीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो मांग माननीय राजस्व मंत्री जी ने सदन के समक्ष प्रस्तुत की है उनका समर्थन करने के लिये और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। विरोध तो करना ही है, आखिर शासन चलाना है और मेरा खयाल है कि जिन्होंने कटौती के प्रस्ताव को रखा है उनका भी यह मंशा नहीं है कि मांग की धनराशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। उन्होंने स्वयं कहा है कि उन का उद्देश्य तो केवल आलोचना करना मात्र है। प्रस्ताव १ रुपया कम करने का भी हो सकता था, लेकिन वह कहते हैं कि कुल को घटाकर एक रुपया कर दिया जाय। उनका भी इससे यह मंशा नहीं है। अगर शासन चलाना है तो केवल एक रुपया कर देने से काम नहीं चलेगा इसलिये इसका विरोध तो मैं करता ही हूं।

बहुत सी शिकायतें चकबन्दी और भ्रष्टाचार की जो कर्मचारियों में और लेखपाल आदि में हैं की गई। यह तो मानना होगा कि कुछ भ्रष्टाचार की शिकायतें अवश्य हैं, लेकिन मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आखिर ईमानदार व्यक्ति कहां से लायें जायं। पहले पटवारियों को निकाल कर लेखपाल रखे गये और यह भी आखिर हैं तो हमारे आपके ही बच्चे, ईमानदार आदमी फैक्टरी से आर्डर देकर या अमरीका और योरोप से तो नहीं मंगाये जा सकते। हमें अपने बच्चों से ही काम लेना है।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—

चुनते वक्त कर्मचारियों की ईमानदारी को देखें, पार्टी को मजबूत करने का क्राइटेरियान रखें।

श्री महावीरसिंह—

श्री भगवान सहाय जी भी अगर उनके लड़के होंगे तो कहेंगे तो इसी को रखा जाय और अगर कोई पकड़ा जायगा तब भी उसी की सिफारिश करेंगे, ऐसी नीति हो गई है। अगर अपना बच्चा थानेदार हो जाय तो वह कितना ही कमा कर ले आए तो उसका समर्थन करेंगे, कोई नहीं बोलेगा, लेकिन अगर दूसरे का बच्चा ऐसा करता है तो चिल्लाते हैं कि भ्रष्टाचार हो गया। जिस तरह का हमारा ह्यूमन मैटीरियल है उसके अनुसार ही हमारे कर्मचारी होते हैं। जब तक हमारे समाज का नैतिक स्तर ऊंचा न होगा तब तक सुधार होने की सम्भावना नहीं है। मंत्री जी के पास कोई जादू की छड़ी तो सब को ईमानदार बनाने की है नहीं कि उसको हिला दें और सब ईमानदार हो जायं। मैं मंत्री जी से सुझाव के रूप में निवेदन करूंगा कि उनकी जो रेवेन्यू की पालिसी है वह ठीक है। उन्होंने जमींदारी उन्मूलन किया जो अत्याचार किसानों पर होते थे, उनको हर साल बेदखल किया जाता था, उनसे नजराने लिये जाते थे और लगान बढ़ाये जाते थे वह सब खत्म हुआ। पहले काश्तकारों से कुल ७ करोड़ के करीब मालगुजारी सरकार को मिलती थी अब बढ़ कर २२ करोड़ हो गई है। जो पैसा पहले जमींदारों की जेब में जाता था वह अब मालगुजारी के रूप में सरकार के पास आने लगा इसलिये मालगुजारी बढ़ गई। यह नहीं कि लगान या मालगुजारी बढ़ गई है। आप जानते हैं अंग्रेजों के जमाने में इन्कम टैक्स जो लगता था तब ऐग्रीकल्चर से जो इन्कम होती थी उस पर टैक्स नहीं लगता था, लेकिन जमींदारी उन्मूलन के बाद ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स लग गया, बृहत् जोत-कर टैक्स लग गया। मेरा मतलब कहने का यह है कि काश्तकार पहले से ही लगान, मालगुजारी के रूप में टैक्स देता रहा और इसी वजह से ऐग्रीकल्चरल इन्कम को टैक्स से ऐग्जेम्शन दिया गया था, लेकिन जब वह अपनी पैदावार में से लगान देते हैं उस पर और टैक्स लगा देना कोई न्यायोचित बात नहीं है। हां इमर्जेंसी के समय हर एक नागरिक का कर्त्तव्य हो जाता है कि वह कुछ न कुछ सहयोग दे देश को मजबूत करने के लिये। आज एक और बृहत् जोत कर विधेयक पुरःस्थापित किया गया है। जब इतना पैसा गरीब किसान से आता है तो केवल उनकी ही जिम्मेदारी देश को बचाने के लिये नहीं होती है, समाज के अन्य वर्गों की भी जिम्मेदारी है। अतः किसान की ओर सरकार को अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिये। यह भी मैं चेतावनी के रूप में कह दूं कि यदि हमारी सरकार और हम लोग किसान के प्रति अपना दृष्टिकोण नहीं बदलते हैं तो कहीं वह अपना दृष्टिकोण सरकार के प्रति बदलने को मजबूर न हो जाय? इसलिये काश्तकार, जो कमजोर हैं, सभी मानते हैं, उनकी तरफ सरकार को विशेष ध्यान रहना चाहिये। हर समय काश्तकार को ही टैक्स लगाने के लिये नहीं चुना जाना चाहिये। अभी सरचार्ज लैन्ड रेवेन्यू पर लगा था उसमें कोई काश्तकार नहीं बचा था। लेकिन इस तरह का कोई सरचार्ज बड़े-बड़े पूंजीपतियों पर नहीं लगाया गया। केवल काश्तकारों पर ही नजर रखना उचित नहीं है।

जब किसान इतना पैसा देता है तो उसका कुछ परसेंटेज रेवेन्यू का सरकार को गांवों में ही खर्च करना चाहिये। चकबन्दी हो, गूल बने, नहर बने, सब का खर्चा किसान से लिया जाता है और नहर तो कमर्शियल बेसिस पर चलती ही है, तो जब आप उनसे इतना पैसा लेते हैं उसका कुछ परसेंटेज सरकार को गांवों के सुधार पर खर्च करना चाहिये। अगर ऐसा न हो तो लैन्ड रेवेन्यू की वसूलयाबी ही ग्राम सभाओं को दे दी जाय और ५, १० परसेंट कलेक्शन चार्जेज उनको दे कर उनकी आमदनी बढ़ सकती है जिससे उस रुपये को गांव पंचायतें सुधार के कामों में खर्च कर सकें। अगर आप कलेक्शन उनको नहीं देना चाहते तो भी रेवेन्यू का कुछ परसेंटेज सरकार को ग्रामीण जनता के लाभ के लिये अवश्य खर्च करना चाहिये।

भ्रष्टाचार के बारे में मैंने कह ही दिया है, लेकिन समय की मजबूरी है इसलिये इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

अधिष्ठाता महोदय, राजस्व विभाग के अनुदान के सम्बन्ध में जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उसके सम्बन्ध में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। सरकार का यह माल विभाग

पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के ढांचे का मूल है और सबसे ज्यादा आमदनी देने वाला यही विभाग है क्योंकि मालगुजारी के जरिये सबसे ज्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलती है। माल मंत्री का ध्यान मैं इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। कि यह विभाग बहुत ही उपेक्षापूर्ण तरीके से रखा गया है। तहसीलों की इमारतें और तहसीलदार, नायब तहसीलदार वगैरह के क्वार्टर्स इतने पुराने हो गये हैं कि वे खपड़ैलों की इमारतें बरसात में चूती रहती हैं और उनमें रखा रेकार्ड बचाना मुश्किल हो जाता है। तो जहां चतुर्मुखी विकास हो रहा है वहां जो यह कमाऊ पूत है वह भूखा न मर जाय इस ओर भी ध्यान रखा जाय।

इस विभाग का लैंड रेकार्ड का काम बहुत बुरी हालत में है। इसकी वजह यह है कि तहसील का जो अमला है उसके ऊपर काम का दबाव बहुत अधिक है जिससे वह अपना फर्जमंसबी की अदायगी नहीं कर सकता। कानूनगो और तहसीलदार को जो रेकार्ड की मैनटिनेंस नियमों के अनुसार करना चाहिये उसे वह नहीं कर पाते। हमने काफी अर्से से नहीं देखा कि कोई भी कानूनगो किसी गांव में जाकर मौके की परताल करता हो, जांच खतौनी या तसदीक खतौनी करता हो। अपने हेड क्वार्टर पर बैठ कर लेखपाल के दिये हुये रेकार्ड पर हस्ताक्षर करके प्रतिशत की खानापूरी कर लेते हैं। इसका कारण यह है कि मिसलेनियस वर्क तहसील के जिम्मे इतना रखा गया है कि वह उससे ही छुटकारा नहीं पा पाता। जिलाधीश के पास कोई कागज पहुंचा और वे नहीं समझ सके कि उसे किस अधिकारी के पास तामील के लिए भेजा जावे तो वे उसे तहसील भेज देते हैं। वह एक ऐसी जगह है जहां से हर चीज का जवाब भी आ जाता है और इस तरह से जो जवाब वहां से आते हैं आम तौर से ५० फीसदी से ज्यादा झूठे और फर्जी जवाब आते हैं और उनसे ही गवर्नमेंट का काम चलता है। इमर्जेंसी के जमाने में जो कागजात सरकार से चलते हैं उनमें इतनी कम मियाद रक्खी जाती है कि तहसीलदार के पास तक कागजात पहुंचते पहुंचते मियाद खत्म हो जाती है और तहसीलदार आंकड़े गढ़ कर जवाब भेज देता है। इस प्रकार काम की ज्यादती से लैंड रेकार्ड का काम तहसील में बहुत पिछड़ा हुआ है। इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये।

दूसरे, मैं तकावी के नियमों के बारे में कहना चाहता हूं। वे बहुत ही पुराने हैं। समय की मांग है कि जो योजनायें चल रही हैं, कृषि में विकास करने हेतु, उत्पादन को बढ़ाने के लिए और उसके लिये अगर हम किसान को सहायता देना चाहते हैं तो हमारे नियम उसमें बाधक होते हैं और ऐसे किसान को हम सहायता नहीं दे पाते जिसको सहायता की जरूरत है। तो वे नियम बेकार हैं। जो तकावी रूल्स हैं उनके होते हुये अगर गरीब किसान कर्जे की जरूरत होते हुये भी तकावी नहीं पा पाता है तो इस बात को मानते हुये भी कि कर्जे की वापसी की गारंटी होनी चाहिये, इसके और तरीके निकालने चाहिये।

लैंड ऐक्वीजीशन के संबंध में भी बहुत-सी बातें अक्सर आती हैं। रोज सवाल होते रहते हैं। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसानों को बहुत परेशानी होती है। आये दिन सरकार को जमीन लेने की जरूरत पड़ती रहती है किसी न किसी सार्वजनिक कार्य के लिये और किसानों की जमीनें ली जाती हैं। आज कल होता यह है कि किसानों की जमीन के संबंध में लैंड एक्वीजीशन का प्रश्न आया, जमीनों का नक्शा बन गया कि ये जमीनें लेनी हैं। सरकार कब्जा ले लेती है और दो-दो, तीन-तीन साल तक किसान को मुआवजा नहीं मिलता और उस जमीन का लगान भी नहीं कट पाता। और जो मुआवजा भी मिलता है वह पुराने कायदे कानून के मुताबिक बराय नाम मिलता है, बाजार भाव के मुताबिक नहीं मिलता। इसलिये आज जरूरत है कि उसमें कुछ ऐसा किया जाय कि जब हम किसान की जमीन लें तो उसको मुआविजा जल्दी से जल्दी दें और कब्जा लेने के बाद मालगुजारी का भार उसके ऊपर न रहे, वरना बिला वजह उसके ऊपर जुर्माना होता रहता है और किसान परेशान होता है। तो इन नियमों में भी संशोधन की जरूरत है।

[श्री भीखालाल]

अब मैं दो, एक शिकायतें माल मंत्री से करना चाहता हूं। इधर प्रश्न भी कई हुये कि आपके कुर्क अमीन छोटे किसान से पूरे साल का लगान जबरदस्ती वसूल करते हैं। कहीं-कहीं हम मानते हैं कि खरीफ में कुछ फसल ऐसी होती है कि जो पैसा ज्यादा लाती है और किसान पूरे साल का लगान दे सकता है। तो वह किसान खुशी से देता भी है, लेकिन आमतौर पर कुर्क अमीन यह चाहते हैं कि जहां तक हो सके छोटे किसान से पूरे साल का लगान वसूल कर लिया जाय। छोटा किसान वैसे ही कमजोर होता है। एक फसल का ही लगान देने के लिये उसके पास पैसा नहीं होता, पूरे साल का कैसे दे दे। माल मंत्री ने कहा कि ऐसा कहीं नहीं होता।

श्री हुकुमसिंह विसेन---

कोई एक केस बता दीजियेगा।

श्री भीखालाल---

बहुत अच्छी बात है। दूसरी शिकायत यह है कि आपने जो ४ आने रुपया सरचार्ज लगाया है वह चार आना साल भर के लिये हैं, यानी २ आना रुपया रबी की फसल में और २ आना रुपया खरीफ की फसल में। लेकिन वह चार आना इसी फसल में वसूल किया जा रहा है। यह मैं नहीं कहता कि आपने ऐसे आदेश भेजे हैं कि वह चार आना एक ही फसल में वसूल कर लिया जाय लेकिन वह वसूल हो रहा है। इस साल रबी की फसल, जैसा ख्याल था कि अच्छी होगी उतनी अच्छी वह हुई नहीं। कुछ तो बरसात की कमी की वजह से और कुछ इधर पाला पड़ा। इसलिये किसान को बहुत परेशानी है।

चकबन्दी के संबंध में मैं दो बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि यहां पर चकबन्दी के खर्चे की बात बार-बार उठायी गयी। पिछली बार जब चकबन्दी संशोधन बिधेयक यहां पेश था तो मैंने भी और माननीय गेंदा सिंह ने भी कहा था कि किसान से जो चक-बन्दी का खर्चा लिया जाता है वह अन्याय है। चकबन्दी के सिलसिले में दो तरह का खर्च है, एक तो करेक्शन का और दूसरे ऐक्चुअल चकबन्दी का। जहां तक दूसरे खर्चे का सवाल है, उसमें थोड़ा बहुत जस्टिफिकेशन भले ही सरकार दे दे कि वह किसान से वसूल होना चाहिये, लेकिन करेक्शन के खर्चे के लिये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि सरकार उसे किसान से वसूल करे। कागजात की दुरुस्ती के लिये किसान से खर्चा वसूल करना अन्याय है। कागज को सही मेन्टेन करना सरकार की जिम्मेदारी है। रेवेन्यू मैनुअल में यह दिया भी हुआ है। पहले सिटलमेन्ट हुआ करते थे जिनमें कागजात की दुरुस्ती होती थी। अब सेटिलमेंट भी बन्द कर दिया गया है। उसमें किसान को ज्यादा खर्चा नहीं पड़ता था। वह आपने बन्द कर दिया और चकबन्दी में उनसे खर्चा वसूल कर रहे। यह अन्याय है।

दूसरी बात यह है, जिसको मैंने कई बार उठाया लेकिन सरकार ने इसी डर से कि खर्चा कैसे वसूल करेंगे बहुत हल्के तरीके के उस पर ध्यान दिया, कि एक ही तहसील में कुछ हिस्से में चकबन्दी होती है और कुछ एरिया में नहीं होती। तो जिस एरिया में चकबन्दी होती है उसमें कागजात दुरुस्ती तो हो जाती है और आपकी ही रिपोर्ट के मुताबिक ७०-८० फीसदी गलतियां मिली हैं, लेकिन जिस एरिया में चकबन्दी नहीं होती वहां ये ७०-८० फीसदी गलतियां ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। और अब सेटिलमेंट होने का नहीं है। इस-लिये एक ही परगने या तहसील में दो किस्म के कागजात बन रहे हैं, एक सही और दूसरे गलत। मेरे कहने का मतलब यह है कि उन गांवों में भी करेक्शन का प्रोसेस चलना चाहिये, बगैर खर्चे के, ताकि सारे कागजात एक लेविल पर आ सकें।

एक बात मुझे चकबंदी में किसानों को न्याय न मिलने के संबंध में कहनी है। कानून में हर जगह किसान को उज्रदारी करने का और न्याय पाने का अधिकार है, लेकिन चकबन्दी में जो किसान को न्याय मिलता है वह डिपार्टमेंटल जस्टिस मिलती है, जुडीशियल जस्टिस नहीं मिल पाती है। डिपार्टमेंटल जस्टिस कभी भी इम्पार्शियल नहीं हो सकती है। इसी

सिद्धान्त के मातहत सरकार ने एक्वीक्यूटिव से जुडीशियरी को अलग किया है। इसी प्रकार चकबन्दी में भी सही न्याय नहीं मिलता क्योंकि जब स्टाफ की मीटिंग होती है जिसमें छोटे से लेकर बड़े अफसर तक सब मौजूद रहते हैं वहां पर काम की रफ्तार का मूल्यांकन किया जाता है और अधिकारियों द्वारा आलोचना होती है तो सी० ओ० और ए० सी० ओ० कहते हैं कि आपके यहां दो अपीलें पेंडिंग हैं इसलिये चकबन्दी रुकी पड़ी है। अगर उनको बहाल कर देंगे तो और भी डिले होगी। इस तरह से जस्टिस करने वाले के दिमाग पर असर पड़ता है। इसलिये किसानों को जस्टिस नहीं मिल पाती है और अपीलें ज्यादातर खारिज होती हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि या तो अपील के स्टेज पर या रिवीजन के स्टेज पर डिस्ट्रिक्ट जज को पावर दे दें तो किसानों को न्याय मिलने लगेगा। हम अपने अनुभव के मातहत कह रहे हैं कि किसानों को न्याय नहीं मिल पाता है। मैं समझता हूं कि जो बातें मैंने कही हैं उन पर मंत्री जी विचार करने की कृपा करेंगे।

श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)—

अधिष्ठाता महोदय, माल मंत्री जी ने जो २,३ मांगें प्रस्तुत की हैं, मैं उनका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। वृहत जोत-कर को पुनः सामने लाकर बड़े किसान, जिनके पास काफी तादाद में जमीन है और जो उसका ठीक से उपयोग नहीं कर रहे थे, उनको रोक देने से सरकार की आय बढ़ेगी।

श्री जगदम्बाप्रसाद—

माननीय सदस्य काफी तादाद की व्याख्या कर दें।

श्री श्रीराम तिवारी—

माननीय सदस्य जब बोलें तब कहें, इस तरह से टोकना ठीक नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय तिवारी जी, आप अपना भाषण जारी रखें, आपस में बातें न करें।

श्री श्रीराम तिवारी—

दूसरी ओर जो अधिक व्यय करना पड़ेगा उसका प्रबन्ध भी करना है। इस तरह से उत्पादन में भी वृद्धि करने में सफलता होगी। जो अन्य अनुदान इसके अन्तर्गत लाये गये हैं वे भी उचित हैं। मैं सरकार का ध्यान दिलाऊंगा कि कर्मचारियों पर कड़ा नियंत्रण रखा जाय। माल विभाग में चकबंदी में भ्रष्टाचार व्याप्त है। भीखालाल जी ने कई सुझाव रखे। तहसील की बिल्डिंग के सुधारने का काफी बड़ा सवाल है। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि हसनगंज तहसील में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया। उसका कारण एक ही हो सकता है। हसनगंज तहसील में कम्युनिस्ट वर्कर भी चकबन्दी कर्मचारियों की दलाली करते हैं। मकूर ग्राम में, जिसका नाम मार्क्सनगर रखा है, चकबन्दी से वहां के किसान त्राहि-त्राहि कर रहे हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के जिम्मेदार नेता तक वहां चकबन्दी अधिकारियों की दलाली करते हैं। हसनगंज तहसील में सेटिलमेंट आफिसर तक रिश्वत लेते हैं। उनकी तमाम शिकायतें हैं। यहां तक कि पेशकार के जरिये, ड्राइवर के जरिये, लेखपाल के जरिये और दूसरे कर्मचारियों के जरिये रिश्वत लेते हैं। इस प्रकार की शिकायतें उनके खिलाफ हैं। मैं राजस्व मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उनकी सी० आई० डी० के द्वारा जांच करवायी जाय।

इसके अलावा चकबन्दी में सैकड़ों की तादाद में शिकायतें दी गयीं कि चक नाप में कम दिये जाते हैं। उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। कोई लेखपाल या कानूनगो मौके पर जाता है तो कहता है कि दस-पन्दरह रुपये दे दो तो ठीक कर देंगे नहीं तो लिख देता है कि ठीक कर दिया।

[श्री श्रीराम तिवारी]

दूसरे चकबन्दी में हसनगंज तहसील में नहरों की नालियां, सिंचाई की नालियां न बनायी जाने की भी शिकायतें हैं। हजारों की तादाद में दरख्वास्तें दी गयीं। लेकिन मैंने अभी दौरा करके देखा नालियां वगैरह नहीं ठीक की गयी हैं। सरकारी कर्मचारी इस तरह से सरकार को बदनाम करते हैं। चकबन्दी कानून किसान के हित के लिये है, यह सब मानते हैं हैं लेकिन उस कानून के प्राविधानों को ठीक से लागू नहीं किया जाता, भ्रष्टाचार के जरिये गड़बड़ी की जाती है और जिस प्रकार से चक बनाये जाने चाहिये उस प्रकार से नहीं बनाये जाते। मकूर, जहां के रहने वाले भूतपूर्व कयुनिस्ट एम० एल० ए० सजीवन लाल जी हैं वहां का यह उदाहरण है। वहां बड़े किसानों को गांव के करीब चक दिये गये हैं, छोटे किसानों को गांव से दूर दिये गये हैं। इस प्रकार की वहां शिकायतें हैं और दरख्वास्तें भी आयी हैं।

सरकार ने एक बहुत ही अच्छी बात की है जो कलेक्शन नायब तहसीलदारों को रेगुलर नायब तहसीलदारों में ले लिया है। यह सरकार ने एक प्रशंसनीय कार्य किया है। दूसरे, जमींदारी एबालिशन के कम्पेंसेशन डिपार्टमेंट को समाप्त कर रहे हैं। उसके कर्मचारियों को रेगुलर तहसील में लेने के आदेश दिये हैं। लेकिन इस प्रकार की शिकायतें हैं, कि कुछ जिलों में सूचियां नहीं बनायी गयी हैं। अगर बनायी भी गयी हैं तो दूसरों को लिया जा रहा है। इसमें सरकार के इंस्ट्रक्शंस होने चाहिये कि पहले उन्हीं को लिया जाय। जब वह न हों तब नये आदमियों को लिया जाना चाहिये।

चकबन्दी जहां हो रही है हसनगंज तहसील में वहां के कुछ गांव ऐसे हैं कि जो चकबन्दी में छोड़ दिये गये हैं, उनकी कागजात दुरुस्ती होनी चाहिये। मैं एक गांव का उदाहरण और रखूंगा, रामपुर गांव झटोतर अजगैन परगने में है। वहां तीन-चार दिन पहले मैं गया था तो मालूम हुआ कि २५-२५ साल हो गये लोगों को मरे हुये, लेकिन अभी उन्हीं का नाम चला जा रहा है, उनके वारिसों का नाम नहीं दर्ज किया गया। इस तरह की शिकायतें दूर होनी चाहिये और इन पर नियंत्रण होना चाहिये। (व्यवधान) नियंत्रण है क्यों नहीं? नियंत्रण है, लेकिन कड़ाई होनी चाहिये। अब शिकायतें पहुंच रही हैं तो नियंत्रण कड़ाई से होगा।

श्री अधिष्ठाता--

क्या मैं समझूं कि माननीय सदस्य का भाषण समाप्त हो गया।

श्री श्रीराम तिवारी--

नहीं, मैं बोल रहा हूं। तो यह जो सुझाव मैंने रखे हैं माननीय मंत्री जी उनकी ओर अवश्य ध्यान देंगे और जो मांगें माननीय मंत्री जी ने रखी हैं उनका मैं समर्थन करता हूं।

श्री श्यामलाल--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आज एक ही दफा मैं खड़ा हुआ और आपने मुझे टाइम दे दिया। मैं मोटी-मोटी चार-पांच बातें ही आपके द्वारा माननीय राजस्व मंत्री जी के समक्ष रखना चाहता हूं। पहले तो मैं चकबन्दी योजना पर दो एक बातें संक्षेप में कहूंगा। मेरे क्षेत्र में चकबन्दी योजना चल रही है, इसलिये हमें उसका बड़ा कटु अनुभव है। उसका कुछ संकेत मैंने बजट के सामान्य विवाद के अवसर पर किया था और वह यह कि बहुत से छोटे-छोटे किसानों की जो छोटी-छोटी जायदाद है उसको सरकार के जो एजेंट्स हैं जिनको सी० ओ०, ए० सी० ओ० इत्यादि कहते हैं, उन्होंने कान्फिस्केट कर लिया, ले लिया। स्पेसिफिक केसेज मैं बतलाऊंगा ताकि माननीय राजस्व मंत्री आसानी से उचित कार्यवाही कर सकें। नम्बर १-तहसील बस्ती में मथौली एक गांव है वहां पर कुछ छोटे-छोटे किसान हैं-खुशियाल, कुंजल, गजेई और जगई, इनका जबर्दस्ती अंगूठा लगवा लिया गया और इनकी प्रापर्टी कान्फिस्केट कर ली गई। नम्बर २- सोनखर गांव के सोमई ऐंड अदर्स का जबर्दस्ती अंगूठा लगवाकर उनकी जायदाद ले ली गई। नम्बर ३-जगुई गांव के पंडोही लोहार ऐंड अदर्स-इनकी प्रापर्टी कान्फिस्केट कर ली गई। नम्बर ४-एक विडो है, उसको भी आपके एजेन्ट्स ने नहीं छोड़ा। उसका नाम पथरा है, देईसांड गांव की है। इस पर

हमने प्रश्न भी किया है, लेकिन माननीय राजस्व मंत्री जी बराबर टाल-मटोल कर रहे हैं, कोई उत्तर उसका उन्होंने नहीं दिया है। उसका १६ बीघे का खेत था, उसकी जगह उसे ६ बीघा खेत दिया गया है। उसकी हत्या की गई है।

यह तो रहीं छोटी-मोटी बातें। एक बात और बतलाऊं। हमारी तहसील में दो ए० सी० ओ० हैं-ए० सी० ओ० नवम्बर ३७ और ए० सी० ओ० नम्बर ३८। ए० सी० ओ० नम्बर ३८ का हेडक्वार्टर कथरुआ है और ए० सी० ओ० नम्बर ३७ का हेडक्वार्टर हरैया है। इन लोगों के खिलाफ १००१ करप्शन की शिकायतें डी० एम० और एस० ओ० सी० को दी गई हैं और हमने, श्रीमन्, इसी दिसम्बर के महीने में राजस्व मंत्री जी को और मुख्य मंत्री जी को भी दरख्वास्तें दीं लेकिन यह आदमी हटाया नहीं गया है, ३ साल से एक ही जगह पर है। यह चकबन्दी की बात मैं कह रहा था। इस संबंध में इतना और कह देना चाहता हूं कि जब तक यह चकबन्दी की स्कीम राजस्व मंत्री जी के हाथ में रहेगी तब तक इस तरह का भ्रष्टाचार सारे उत्तर प्रदेश में रहेगा। इसलिये प्रदेश के हित में यह बात है कि उनके हाथ से यह निकले। हमारे राजस्व मंत्री जी को इस डिपार्टमेंट को जिस ढंग से चलाना चाहिये था उस ढंग से नहीं चलाया। अभी हमारे एक मित्र ने कहा कि जब तक सब में बुराई है तो हम कहां से अच्छे आदमी लावें। मैं यह कहता हूं कि आप एक करप्ट आदमी को डिसमिस कीजिये और १००१ आदमी अच्छे हो जायेंगे। आप ऐसा नहीं करते हैं। आपके पास सिफारिश पहुंच जाती है। ए० सी० ओ० या सी० ओ० को आप डिसमिस कीजिये, देखिये फिर कितने लोग अच्छे हो जाते हैं। हमारे यहां श्री बलदेवसिंह आर्य उत्तर प्रदेश लैंड रिफार्म कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है जिसमें यह कहा गया कि उत्तर प्रदेश में जो भूमिहीन किसान हैं उनको कैसे, कहां कहां खेत मिलने चाहिये और जमीन मिलनी चाहिये, लेकिन हमारे वर्तमान राजस्व मंत्री जी के विभाग ने अभी तक भूमिहीन किसानों को कितने खेत दिये हैं, यह मैं उनसे जानना चाहता हूं। उनको एक बिस्वा खेत भी नहीं दिया गया है। जो धनी हैं उनको खेत दे दिये गये हैं।

एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने सीलिंग की, लेकिन उस सीलिंग का क्या फायदा हुआ? अभी तक हम यह समझते थे कि हमारे इस देश में दो ही वर्ग हैं। एक तो पूंजीवादी वर्ग है जो शहरों में रहता है और दूसरा किसानों का वर्ग है जो देहात में रहता है। लेकिन अब इस कांग्रेस सरकार ने एक कैपिटलिस्टों का वर्ग और देहात में पैदा कर दिया है। सीलिंग के नाम पर उनको बड़े बड़े खेत दिये गये हैं जो अब बड़े किसान हो गये हैं। हजार और २ हजार एकड़ जमीन उनके पास है। इसलिये सरकार को सीलिंग से क्या फायदा हुआ? आप इसको इंक्वायरी करायें और इसके लिये एक इन्क्वायरी कमेटी बिठाकर इसकी जांच करायें और फिर देखें कि किसके पास कितनी फिक्टिशस नाम पर जमीन है। मैं तो यह उचित समझता हूं कि ऐसे लोगों को जमीन दी जाय जिनके पास जमीन नहीं है और जो भूमिहीन किसान हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे काश्तकार हैं जिनके पास ४०० एकड़ तक जमीन है। हजारों ऐसे किसान हैं जो भूमिहीन हैं और भूखों मर रहे हैं। उनके पास एक बिस्वा भी जमीन नहीं है। इस कंसोलिडेशन स्कीम के अन्तर्गत तो ऐसे किसान पैदा हो गये हैं जो बेचारे उस समय तक रोते रहेंगे जब तक इस संसार का अस्तित्व रहेगा। वह बेचारे पीढ़ी दर पीढ़ी रोते रहेंगे। हमारे क्षेत्र में ऐसे सी० ओ० और ए० सी० ओ० हैं जो साफ-साफ कहते हैं कि जो करना हो सो कर लो? तुमने हमको पैसा नहीं दिया और फलां एम० एल० ए० से जाकर मिल गये और श्यामलाल जी से मिल गये तो हमने तुम्हारा काम नहीं किया। वह किसके बल पर ऐसा कहते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता। अगर इस सदन में हम ऐसी बात न कहें तो बतलाइये फिर हम किससे कहें? हम किससे जनता के दुख की, जनता की परेशानी को, किससे शिकायत करें और फिर किससे कहकर उन शिकायतों का निराकरण करायें?

[श्री श्यामलाल]

मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं कि किस प्रकार से इन बुराइयों को और इन सब परेशानियों को दूर किया जाय। एक सुझाव तो मैंने अपने भाषण में बतलाने की कोशिश की। हमारे यहां बस्ती जिले में ए० सी० ओ० के खिलाफ बहुत सी शिकायतें आईं। यहां पर उसका जवाब दिया जाता है कि वे निराधार सिद्ध हुई हैं। इसी तरह से एक हैं मिस्टर शर्मा। (व्यवधान) अब लेते देते हैं, यह हम कैसे कह दें, क्योंकि गजटेड अफसर हैं ? पहले तो मैं राजस्व मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने कितने एस० ओ० सी०, सी० ओ० और एस० सी० ओ० को सस्पेंड किया और निकाला। यह मालूम तो हो। यह तो उन्होंने जनरल बात कह दी, स्पेसिफिक बात नहीं कही। मेरा सुझाव है कि किसी के खिलाफ शिकायत आने पर ट्रांसफर तो राजस्व विभाग उसका करे ही, साथ ही एक साल प्रोमोशन भी उसका रोके, क्योंकि ट्रांसफर से ज्यादा असर नहीं पड़ता। उनके सर्विस रोल में ऐडवर्स एंट्री कीजिये।

श्री अधिष्ठाता—

आप अपना स्थान ग्रहण करें। जब आप भाषण करें तो अपनी पीठ चेयर की तरफ कभी न दिखलाएं, यह एटीकेट आप में होना चाहिये और बात भी दूसरे माननीय सदस्यों से न करें।

श्री श्यामलाल—

श्रीमन्, आपकी आज्ञाओं को शिरोधार्य करता हूं।

श्रीमन्, हर जिले में कंसालिडेशन कमेटी है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं अन्य विरोधी दल के सदस्यों के विषय में तो नहीं जानता, लेकिन अपने लिये खूब अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं अपने जिलें में कंसालिडेशन कमेटी का मेम्बर हूं, लेकिन आज तक उसकी जितनी मीटिंगें हुईं बस्ती जिले में, मेरे पास सूचना तक नहीं आयी, बुलाया तक नहीं गया, क्योंकि संबंधित अधिकारी अच्छी तरह से जानते हैं कि श्यामलाल को अगर बुलाया जायगा तो जिस तरह से हम कार्य करना चाहते हैं उसमें इंटरप्शन होगा, वह इंसाफ चाहेगा जोकि हम देने के लिये तैयार नहीं हैं। राजस्वमंत्री जी जो हंस रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह हर जिले में सरकुलर भेजें कि कंसालिडेशन कमेटी की मीटिंगों में विरोधी दल के सदस्यों को खास तौर से बुलाया जाय और उनको एजेंडा और प्रोग्राम दिया जाय। हमारी कांग्रेस ने जमींदारी प्रथा तोड़ दी, लेकिन कौन सा फायदा किसानों का हो गया ? अंग्रेजों के जमाने में बने हुये जमींदार जरूर खत्म किये गये, लेकिन कांग्रेस ने एक नये किस्म के जमींदार पैदा कर दिये जो कि पहले जमींदारों से ज्यादा खतरनाक सिद्ध हो रहे हैं और वह हैं सी० ओ०, ए० सी० ओ०, वी० एल० डब्लू०, लेखपाल, बी० डी० ओ०, ए० डी० ओ०, एस० ओ० सी० तक सब उसमें हैं। (व्यवधान)। हम आपकी तरफ नहीं मुखातिब होंगे।

श्रीमन्, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। जो कटौती का प्रस्ताव है हम उसका हृदय से समर्थन करते हैं और चाहते हैं कि राजस्व विभाग की ओवरहालिंग होनी चाहिये। या तो राजस्व मंत्री जी इसी तरह का दूसरा महत्वपूर्ण विभाग ले लें या यह विभाग माननीय चरणसिंह जी को दे दिया जाय जो कि न्यायी हैं, इंसाफी हैं।

श्री विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव'—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध और अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

समझ में नहीं आता कि मीठी-मीठी गप्प और कड़ुवी कड़वी थू। अगर कहीं सड़कें बननी हैं तो बननी चाहियें, कहीं ट्यूबवेल लगने हैं तो लगने चाहियें, कहीं स्वायल कन्जरवेशन का काम होता है तो होना चाहिये, विकास के सभी काम होने चाहियें। लेकिन उसके लिये अनुदान मांगा जाय तो लोग उसका विरोध करेंगे, कटौती रखेंगे। लगता है हमें ऐसा कि जैसे एक बाप के कई बेटे थे। उसने कहा कि खेत कौन लेगा, तो चालाक लड़का बोला कि मैं लूंगा। जब कहा कि बैल

कौन लेगा तो उसी लड़के ने कहा कि मैं लूंगा और जब कहा कि कर्जा कौन देगा तो उसने कहा कि बार-बार क्या मैं ही बोलूं, अबकी बार औरों को बोलना चाहिये। यही हाल हमारे विरोधी भाइयों का है। अगर कुछ खामियां हैं तो उनकी चर्चा वे करें और सुझाव दें, तब तो कहने का कुछ मतलब हुआ। मगर सुझाव तो कोई दिया नहीं और शिकायतें बहुत सी कर डालीं। मुझे याद आता है पक्षिणा कार्यं चांडाल पशूनां चैव कुक्कुटः मुनीनां पाप चांडालः सर्वश्च डाल निन्दकः। अगर निन्दा ही निन्दा करता जाय तो उससे बड़ा [×××] और कोई हो नहीं सकता। लेकिन करें क्या? कौआ अपनी खूराक खोजेगा, तोता अपनी खुराक खोजेगा। इसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। इस अनुदान में एक तो वृहत् जोतकर की चर्चा है।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला बलिया)—

जो आलोचना कर रहे हैं उनके लिये उन्होंने कहा है। अगर कोई जानवर की संज्ञा देते तो बुरा लगता। हम स्वीकार करते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आप जब स्वयं स्वीकार करते हैं तो कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव'—

पिछले दिनों वृहत् जोतकर के दौरान में मैंने बहुत कुछ जाकर समाज सेवा में हाथ बंटाया। उसके अनुभव के आधार पर मैं माननीय माल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि तहसीलदार वहां वृहत् जोतकर के अधिकारी बनाकर बैठाये जाते हैं। कार्यवाहक कुछ होते हैं परगनाधीश जो उसे देखते हैं। तहसीलदार को पहले क्लर्क कागज पैन्सिल से लिखकर भेजता है।

श्री राधेश्याम शर्मा—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। [×××] शब्द कार्यवाही में रहेगा, यह पार्लियामेंटरी है या नहीं? जिस प्रकार से यह इस्तेमाल किया गया है विरोधी लोगों के लिये, वह असंसदीय है। इसे निकलवा दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—

उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष के लिये इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन अशोभनीय तो है ही। उसे हटवा देंगे। मैं इसे देख लूंगा।

श्री विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव'—

मैं किसी के ऊपर नहीं कह रहा हूं। हटा दिया जाय। मैं यह सुझाव दे रहा था कि माननीय माल मंत्री जी वहां पर इतना ध्यान रखें कि जो १२गुना लगान का बनाकर मालियत आंकी जाती है उसमें यह खयाल रखें कि अगर किसी का पहले से बंटा हुआ है, तो सम्मिलित करके उसके बारे में किसी तरह के मालियत न आंकी जाय और जिस पर न लगना चाहिये उस पर वृहत् जोतकर न लग जाय।

दूसरी बात है वन के सम्बन्ध में अनुदान की। सोन डिवीजन और दुद्धी फ रेस्ट डिवीजन दोनों ही हमारे यहां हैं। जमींदारी अबालिशन के बाद हमने देखा कि बहुत ज्यादा तकलीफें बढ़ गई हैं जिनकी कोई इंतहा नहीं है। पता नहीं लगता कि जब मैं कृषि की समस्या की चर्चा करूं तो उससे सिंचाई को कैसे अलग करूं, वन को कैसे अलग करूं, माल मंत्री जी के जो विषय उससे सम्बन्धित आते हैं उन्हें कैसे अलग करूं। ये चारों चीजें करीब करीब एकसी मिलती हैं। चारों के लिये अलग-अलग कहने में कोई मेल नहीं लग पाता है। मैं अनुशासन की दृष्टि से और वैसे भी यह विश्वास करके कि सरकार ने कोई अच्छी बात की होगी यह मैं माने लेता हूं। लेकिन

[×××] श्री उपाध्यक्ष की आज्ञा से हटा दिया गया।

[श्री विश्वनाथ पांडे 'प्रणव']

यह कृषि की समस्या हमारे सामने है । वन विभाग में डिमार्केशन हर साल किया जाता है । उसके दूसरे साल फिर कहा जाता है कि डिमार्केशन नया होगा और वह माना जायगा । यह बात १० साल से वहां चल रही है । हमें याद आता है कि नदी के बीच में मछली कैसे प्यासी मरती है । समुद्र के किनारे का किसी ने जिक्र किया कि वहां पर नमक पर किसी तरह का टैक्स नहीं है । इसी प्रकार जंगल में जो लोग रहते हैं, उन्हें लड़की जलाने के लिये नहीं मिलती है । यदि जंगल से लकड़ियां लाते हैं तो पकड़े जावें । जंगल के बीच में रहते हैं लेकिन जलाने के लिये उन्हें लकड़ी नहीं मिलती है । हल के लिये पहले लकड़ियां मिल जाती थीं लेकिन अब उसमें भी रुकावट आती है । अधिक अन्न उपजाओ के आन्दोलन चलाये जाते हैं । लेकिन एक साल हल तरेता प्रणाली की तरह अगर खेत छोड़ दिया जाय तो उसमें छोटी छोटी झाड़ियां आ जाती हैं २१ एक और १५ एक, ३६ तरह की मनाही की हुई वनस्पतियों का नाम रखा जाता है कि उसमें जो कुछ उगेगा वह नहीं काटा जा सकता है । उन झाड़ियों को काटने के लिये वहां के डिवीजनल अफसर, रेंज अफसर, फ रेस्ट और फोरस्ट गार्ड मना करते हैं । नतीजा यह है कि जो खेत हमारे यहां फसलें उगाते उनमें आज झाड़ियां होने से वे जंगल के रूप में परिवर्तित होते जा रहे हैं । फ रेस्ट सैटिलमेंट अफसर कोई १० साल से फैसले दे रहे हैं मगर आज तक उस जंगल में काश्त करने वाला किसान कितनी ही पेशी लड़ता जाय मगर कोई सही फैसला नहीं होता है ।

इसी तरह से नहर और रेवेन्यू के बारे में बात है । बीज गोदामों की पुरानी बकाया के लिये जिनके औलाद तक नहीं, पता नहीं उनके पास किस किस के नाम से वसूली के नोटिस जाते हैं । आज उसकी सवाई और सवाई जोड़कर १५ रुपये के ३००,३०० और ५००,५०० रुपये की वसूली के नोटिस जा रहे हैं । विरोधी लोग तो विरोध के लिये कह सकते हैं लेकिन मैं सरकार के हित में यह बात कह रहा हूं । काने को काना कहा जाय तो लड़ जायगा, इसलिये मैं किसी को काना नहीं कह रहा हूं ।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस ग्रान्ट के सम्बन्ध में हमें अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया । हमारा प्रदेश एक खेतिहर प्रदेश है और ७४ प्रतिशत जनता खेती के द्वारा अपना जीवन यापन करती है । आज जो वृहत् जोतकर विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, उसका असर खेतिहर क्लास पर पड़ रहा है और यह वह क्लास है जो प्रदेश में सबसे ज्यादा है । इस सम्बन्ध में सरकार के द्वारा कई बार बहुत से रिफार्म्स किये गये, पिछली बार एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लगाया गया था, लेकिन हमारी सरकार ने प्रदेश की पैदावार को बढ़ाने का जो उसका लक्ष्य था उसको पूरा नहीं किया । एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लगाया गया, उससे सरकार की आय में वृद्धि हुई । जिनके पास बड़े बड़े खेत थे उनके खेत कम हो गये और वे अधिक उपजाने की ओर अग्रसर हुये । उसके बाद गतवर्ष सरकार ने सीलिंग ऐक्ट को लागू किया । इस सीलिंग ऐक्ट में यह निर्धारित कर दिया गया है कि ४० एकड़ भूमि से अधिक किसी के पास नहीं रहेगी । उसके नफाज के बाद प्रदेश में कोई आदमी नहीं है जिसके पास कानून ४० एकड़ के अधिक जमीन हो । यह इसलिये निर्धारित किया गया था कि ४० एकड़ भूमि जिनके पास है वे अधिक अन्न उपजा सकेंगे और उससे देश और प्रदेश की अन्न की समस्या का समाधान होगा । लेकिन आज हमारे माननीय माल मंत्री महोदय ने, जिनके लिये हमारे हृदय में बड़ी श्रद्धा है, वे बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं, जो वृहत् जोतकर विधेयक पेश किया है वह क्यों किया है, यह मेरी समझ में नहीं आया एक बार सरकार ने यह तय कर लिया कि इस प्रदेश में इतनी भूमि ऐसी है जि को अधिक नहीं कहा जा सकता और जो भूमि अधिक थी उसको ग्राम समाजों में निहित कर दिया जिनके द्वारा भूमिहीनों को वह जमीन वितरित की जाने की व्यवस्था है । दूसरे, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके बारे में आप कह सकते कि वह अपनी जमीन का सदुपयोग नहीं कर रहा है, इसलिये यह टैक्स लगाया जा रहा है । हमेशा टैक्स लगाने की यह मंशा होती है कि उसका सदुपयोग हो और उससे देश और प्रदेश का लाभ हो । जब एक बार आपने

४० एकड़ की सीमा निर्धारित कर दी उसके बाद भी उसके ऊपर टैक्स लगाना मैं प्रदेश के हित की दृष्टि से उचित नहीं समझता हूं और मैं समझता हूं कि इसके द्वारा खेतिहर क्लास पर, जिसने इस लड़ाई के दौरान में सुरक्षा कोष में भी सबसे ज्यादा सहायता देश और प्रदेश को सरकारों को दी है और गत वर्ष भी जो २५ प्रतिशत टैक्स लगाया गया था उसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा सरकार को देने के लिये प्रयत्नशील है और अब भी सहयोग दे रहा है, अधिक भार पड़ेगा और इसीलिये मैं समझता हूं कि यह वृहत् जोत कर विधेयक लाना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। इससे प्रदेश की जनता और खेतिहर क्लास पर कर भार बढ़ता जा रहा है जो इस प्रदेश और देश के हित में उचित नहीं है।

इसके अतिरिक्त, इस माल विभाग में इस समय कुछ ऐसी व्यवस्थायें हैं, कुछ ऐसी कानूनी कार्यवाहियां हो रही हैं जिनमें बहुत त्रुटियां हैं और मैं माल मंत्री जी का ध्यान उस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। पहले तो यह कि आपने जो वर्गनौ का कानून ईजाद किया है उसका बहुत बड़ा दुरुपयोग सारे प्रदेश में हो रहा है। एक साल का कब्जा लिख जाने के बाद लेखपाल और सुपरवाइजर कानूनगो मिल करके वर्गनौ में दर्ज कर देते हैं और उसका सिर्फ एक उद्देश्य होता यह है कि असल आदमी कब्जे में है उससे अगर लेखपाल और कानूनगो खिलाफ है तो उसके खिलाफ २ साल या १ साल का इंदराज कर के वर्गनौ में दूसरे को दिखा देते हैं। इस सदन में और बाहर भी सभी लोग एकमत हैं कि लेखपाल के अधिकार बढ़ते जा रहे हैं और वे अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस वर्गनौ के कानून से तो उनके अधिकार और बढ़े हैं और बजाय इसके कि जनता का लाभ हो, उलटा उनका अहित हो रहा है। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि यह जो वर्गनौ का अधिकार दिया गया है इसको उनसे छीन लिया जाय।

दूसरी चीज, जो आज सुपरवाइजर कानूनगो को अधिकार दिया गया है, अगर कोई काश्तकार कोई भूमिधर, सीरदार, अधिवासी मर जाय तो उसका जो जायज वारिस है उसका नाम खतौनी के खाने में लिखा जाय उसमें म्यूटेशन की प्रोसीडिंग्ज न ड्रा की जायं। उसका वास्तविक असर यह पड़ रहा है कि जिस तरह से पुराने जमाने में जमींदार लोग मरने के बाद फौती लिया करते थे उसी तरह से आज सुपरवाइजर कानूनगो और लेखपाल कोई काश्तकार जब मरता है तो उसके जायज वारिस से रुपया लेकर तब नाम दर्ज करता है। मैंने माल मंत्री महोदय से, उदाहरण के तौर पर, अपनी कांस्टीट्यूयेंसी के सुपरवाइजर के खिलाफ एक पूरे गांव का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था। उस पर माननीय मंत्री महोदय ने कार्यवाही की है। उसको हटाया है और इन्क्वायरी भी करा रहे हैं। इससे एक जगह की समस्या हल हो सकती है, परन्तु पूरे प्रदेश में जो इस अधिकार के कारण भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको हटाने के लिये कोई ठोस कदम उठाना चाहिये।

तीसरी चीज, आपने पहले एम०एल०एज० को अधिकार दिया था कि वह जिन्सवार के समय अपने क्षेत्र के दो मौजों को चुन ले और एस०डी०ओ० और लेखपाल के साथ पड़ताल करें। लेखपाल उस समय यह महसूस करता था कि हो सकता है कि एम०एल०ए० महोदय या एस०डी० ओ० किसी ऐसे गांव की पड़ताल करें जिसमें बहुत बड़ी गड़बड़ियां हों उससे बहुत कुछ सुधार होता था, लेकिन आज वह अधिकार और वह तरीका नहीं बरता जा रहा है। मैं समझता हूं कि हमारे माननीय माल मंत्री महोदय का ध्यान इसकी तरफ होना चाहिये और हर एक एम०एल०ए० को इसका अधिकार मिलना चाहिये....

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त। अब माननीय श्री काशीनाथ मिश्र जी बोलेंगे।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जिन लोगों ने संशोधन दिये हैं, उनके उठने पर भी उनको बोलने का मौका न देने का क्या कारण है ?

श्री अधिष्ठाता—

सभी का बोलना सम्भव नहीं है। जितना समय सदन निर्धारित करता है, उसी के मुताबिक सभी ग्रुपों को समय देना पड़ता है। अगर सदन की राय हो तो आप समय बढ़ाने का प्रस्ताव लावें, मैं उस पर सदन की राय ले लूंगा कि समय बढ़ाया या नहीं।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय कम से कम एक घंटा के लिये बढ़ा दिया जाय।

श्री चन्द्रबली सिंह—

आपको सब को समय तो देना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

सब का बोलना कोई आवश्यक नहीं है। अगर मैं सबको समय दे दूं तो कहां से समय लाऊं?

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, ४८ आदमियों की एक पार्टी है और उसके लिये भी एक ही आदमी को बोलने की आज्ञा मिले तो यह कहां तक उचित होगा? इसको भी आप देख लें, तादाद को देखते हुये ही समय देना चाहिये।

श्री काशीनाथ मिश्र—

माननीय अधिष्ठाता महोदय.....

श्री चन्द्रबलीसिंह—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि संशोधन की मंजूरी कैसे की गयी जब बोलने की आज्ञा नहीं देनी थी?

श्री अधिष्ठाता—

आप अपना स्थान ग्रहण करें, जब मैं खड़ा होऊं तो आपको नहीं बोलना चाहिये। पहले आप सदन का कायदा सीखें।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

मैं स्थान ग्रहण कर रहा हूं, लेकिन बतला तो दीजिये कि क्या कायदा है।

श्री अधिष्ठाता—

मैं बतला दूं कि जितने लोगों ने संशोधन दे रखे हैं, उन सबका बोलना जरूरी नहीं है। मुझे सदन के कायदे के अनुसार यह भी देखना होता है कि यहां जितनी भी पार्टियां हैं, हर पार्टी विशेष का कोई न कोई माननीय सदस्य जहां तक हो सके, सभी बोलें। उनके अलावा अगर समय होता तो जिन्होंने जो संशोधन रखे हैं, उनको मैं समय देता, लेकिन यह सम्भव नहीं है, इसलिये मैंने आपको समय नहीं दिया। अब आपको इस पर वाद-विवाद नहीं बढ़ाना चाहिये। माननीय काशीनाथ जी अपना भाषण जारी रखें।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

मुझे बतला दिया जाय कि किस नियम के अनुसार आप यह कार्यवाही कर रहे हैं। मुझे नियम की जानकारी तो कराइये।

श्री अधिष्ठाता—

आप सेक्रेटरी से जाकर पूछ लीजियेगा।

श्री भगवानसहाय—

श्रीमन्, बड़े अफसोस की बात है कि पहले दिन वाले आइटम को भी लेकर समय बढ़ा दिया गया और जो सदस्य पहले बोल चुके हैं, उनके अलावा जो दूसरे लोग हैं उनको भी तो बोलने दिया जाय....

श्री चन्द्रबलीसिंह—

यह किस प्रथा के अनुसार काम हो रहा है?

श्री अधिष्ठाता—

यह सदन की प्रथा के मुताबिक ही काम हो रहा है, पहले आप उस प्रथा को सीखने की कोशिश कीजिये ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

जब आप बतलाइयेगा तब तो कोई सीखेगा ।

श्री अधिष्ठाता—

सदन की प्रथा यह है कि सभी ग्रुप के माननीय सदस्यों को जहां तक हो सके एकोमोडेट करने की कोशिश की जाती है कि वे अपने-अपने विचार रख सकें । उसके बाद अगर सम्भव हो तो जिन लोगों ने संशोधन रखे हैं उनको समय दे सकते हैं । समय कोई मेरे हाथ की बात तो है नहीं ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

फिर जब मैंने संशोधन रखा है, तो मुझे बोलने क्यों नहीं देते ?

श्री अधिष्ठाता—

मैं आपको बहुत समझा चुका , आप सदन का समय नष्ट न करें ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

इन शब्दों को आपको वापस लेना चाहिये, मैं सदन का समय नष्ट नहीं कर रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

सदन का समय बढ़ाना मेरे हाथ में नहीं है, वह सदन के हाथ में है ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अधिष्ठाता महोदय, मेरे कटौती के प्रस्तावों की बहस में जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया है मैं उनका आभारी हूं । दोनों तरफ से जो बातें इस कटौती के प्रस्ताव पर हुईं उनसे एक बात तो साफ हो गई कि राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार है, लेखपाल से लेकर एस०डी०ओ० और कलेक्टरी की कचहरी तक जितना भ्रष्टाचार होता है उसे दोनों तरफ के माननीय सदस्यों ने यहां गिनाया । मैं आपके द्वारा उस भ्रष्टाचार की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा, भूमि की नीति के सम्बन्ध में बोलते हुये सरकार की तरफ से माननीय कृष्णानन्दराय ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पिछले १०-१२-१४ साल में जमींदारी का उन्मूलन कर के जो लैन्ड पालिसी इस प्रदेश में चलाई है वह बहुत अच्छी रही है लेकिन मैं कहूंगा कि आपने जमींदारी जरूर खत्म की लेकिन उसके बाद आपने किसानों को क्या राहत दी ? आप देखेंगे कि जो किसान का शोषण जमींदारी के जमाने में होता था उससे आज भी वह बरी नहीं हैं, आज भी उसका शोषण बड़े-बड़े काश्तकार कर रहे हैं, जो हदबन्दी कानून लागू हुआ उस से बचने के लिये लोगों ने बड़े-बड़े परिवारों में बेटे, नाती, पतोहू में परिवार बनाकर जमीन की बड़ीबड़ी जोतों को कायम रखा है । अगर आप देखें कि इस कानून से कितनी सरप्लस जमीन भूमिहीनों के लिये मिली है तो बहुत ही थोड़ी जमीन मिली होगी और जो कुछ मिली भी है उस जमीन का आपने क्या किया ? समाजवादी व्यवस्था की बात तो दूर की है लेकिन अगर आप देखें तो योरोप में जहां वेलफेयर स्टेट बनाने की बात है या आप अमरीका में भी अगर देखें तो वहां पर जो लैन्ड पालिसी सरकार की तरफ से चलाई जाती है उसमें फेमिली फार्म का बहुत बड़ा स्थान है, वहां हर फेमिली के लिये एक फार्म की गुंजायश रखी गई है । लेकिन आज इस सरकार की कोई योजना नहीं है कि भूमि-हीनों को कोई जमीन दी जाय । अगर यहां भी ऐसा बंटवारा फेमिली फार्म का किया जाय तो ५८ प्रतिशत ऐसे कृषक परिवार हैं कि जिनके पास २ एकड़ से कम जमीन है और अगर कोई फेमिली फार्म का नक्शा यहां बनाया भी जायं तो ७ एकड़ प्रति परिवार से अधिक हिस्से में नहीं आ सकती जबकि दूसरी ओर बड़े-बड़े देशों का दूसरा ही नक्शा है । अमेरिका में फी परिवार

[श्री काशीनाथ मिश्र]

family farm औसतन १४५ एकड़ का है। तो इस तरह से जो लैन्ड पालिसी यहां चालू है उससे जो भूमिहीन किसानों और खेतिहर मजदूरों का शोषण सदियों से होता आ रहा था, वह बन्द नहीं है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि अगर इस शोषण को आप बन्द करना चाहते हैं तो आपको सबसे बड़ी बात यह करनी होगी कि आप अपनी सारी कृषि व्यवस्था में एकरूपता लायें और केवल एक ही तरह के किसान हों, उनके लैन्ड रेवेन्यू में एकरूपता हो, यह न हो कि कोई २ रुपया बीघा लगान दे और कोई १० रुपया और ६ रुपया बीघा दे।

दूसरी बात यह कहना है कि गरीबों को बसाने के लिये, बाढ़ से कटे झोपड़ों को फिर से बसाने के लिये जो जमीन हस्तगत की जाती है उसमें कहीं न कहीं कमिश्नर के यहां ऐसे कानून बने हैं कि वह जमीन हस्तगत करने की कार्यवाही रुक जाती है और सरकार की योजना कार्यान्वित नहीं हो पाती। इस ओर ध्यान देना चाहिये और कानून में ऐसी व्यवस्था करना चाहिये कि यह देरी न हो। साथ ही २२९ के मुकदमे जो चल रहे हैं उनके बारे में कई माननीय सदस्यों ने भी कहा कि स्तीफे फर्जी दिलाये जाते हैं। इस तरह की व्यवस्था की जाय कि अगर कोई आदमी किसी दूसरे को खड़ा कर के फर्जी स्तीफा न दिला सके तो न दिलायें और इसलिये मेरा सुझाव है कि अदालत से जो समन जारी होते हैं फर्जी इस्तीफा लगे तो उस समन की दो कापी भेजी जायं, एक डाक से और दूसरी अदालत के चपरासी से। अगर दफा २२९ में इस तरह से समन जायेंगे तो फर्जी इस्तीफे बन्द हो जायेंगे। चकबंदी की धांधलियों के बारे में कई और माननीय सदस्यों ने कहा है कि अगर किसी का खेत दो टुकड़ों में है चकबंदी के पहले, तो कम से कम चकबंदी के बाद अगर दो के बजाय १ हिस्से में न हो सके तो दो में तो बना रहे ऐसा न हो कि दो के बजाय ३ टुकड़ों में हो जाय। ऐसे गैरजिम्मेदाराना काम को बन्द किया जाय।

गांव समाज की जमीनों के बारे में यहां चर्चा हुई और किस तरह से उस जमीन को हड़पने का सिलसिला चल रहा है उसके बारे में माननीय सदस्यों ने कहा, सरकार की नीति हुई कि गांव समाज की जमीन भूमिहीनों में बटे। लेकिन आप देखें कि हर जिले में गांव समाज के जो वकील सरकार की तरफ से हैं वह इस किस्म के लोगों से मिल कर गांव समाज के जो मुकदमें चलते हैं उनमें ७५,८० फीसदी में सुलह करा देते है और वे वकील रिश्वत ले कर उन जमीनों को बड़े-बड़े लोगों को दिलाते हैं या खुद अपने आप नाम करा लेते हैं। हमारे बलिया जिले में गांव समाज के जो वकील हैं उन्होंने गांव समाज की सैकड़ों बीघा जमीन अपने नाम में करा ली है और सैकड़ों एकड़ जमीन गांव समाज की बड़े-बड़े लोगों के द्वारा हथियाई जा रही है। इस सम्बन्ध में कलेक्टर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वह गांव समाज की सम्पत्ति की निगरानी करे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।

जहां तक लैन्ड रेकार्ड्स की बात कही गई और बजट में भी लैन्ड रेकार्ड्स के सिलसिले में ढाई करोड़ रुपया रखा गया है जो सरकार उनके तैयार करने में खर्च करती है, मैं समझता हूं आज तक जितने लैन्ड रेकार्ड्स बने हैं उनमें से ६०,७० फीसदी बोगस हैं। आज भी जो लैन्ड रेकार्ड्स लेखपाल और कानूनगो द्वारा तैयार होते हैं वे गलत तैयार होते हैं और सही लोगों का इंदराज नहीं होता। सरकारी पक्ष के लोगों ने कहा कानूनगो, तहसीलदार आदि मौके पर मुआयना नहीं करते हैं और मौके पर जा कर इंदराज नहीं करते हैं। कानून में है कि तीनों पार्टीज को नोटिस जायगा तब कोई नया इंदराज हो सकता है। कायदा बहुत ठीक है लेकिन इसका पालन कहां तक होता है, इस तरफ भी मंत्री जी जरा ध्यान दें। अगर सचमुच में इस नियम की पाबन्दी हो तो गलती नहीं हो सकती है। लेकिन लेखपाल ऐसा नहीं करता है और फरजी कार्यवाही करता है जिसकी वजह से लैन्ड रेकार्ड्स में बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। अगर कोई किसान नकल लेने जाता है तो पहले कलेक्टर को दरख्वास्त दे, वह एस० डी० ओ० को भेजी जाती है, फिर तहसीलदार के यहां जाती है, फिर कानूनगो साहब के यहां जाता है। इस तरह से घूमता फिरता महीनों उस कागज को हो जाता है, लेकिन सही कागज मिल नहीं पाता। इस तरह की धांधली विभाग में चल रही है, उस पर यह सरकार गौर करे और कोई मौलिक परिवर्तन

लाना चाहती है तो जमीनों का फिर से बटवारा किया जाय और एक ही तरह का किसानों का वर्गीकरण सारे प्रदेश में हो और जो अलाभकर जोतें हैं उन पर से लगान खत्म करना होगा। १ करोड़ के लगभग जो खेतिहर मजदूर हैं उनका शोषण आज भी हो रहा है और अधिकतर हल चलाने वाले लोग जो हैं, जिनके लिये आजादी से पहले कहा जाता था कि उनका स्तर बढ़ेगा, उनका स्तर बढ़ा है या नहीं अथवा उनका शोषण हो रहा है या नहीं, यह इस सरकार को सोचना है।

एक बात बिलकुल साफ है कि जमींदारी उन्मूलन के बाद चाहे जो भी नीति लैन्ड पालिसी के मुताल्लिक अपने सूबे में चली हो लेकिन जमीन जोतने वालों का या हलवाहों का स्तर क्या पहले से ऊंचा हुआ है ? कदापि नहीं। इसलिये जमीन के सम्बन्ध में सरकार की नीति नाकामयाब हुई है और मैं चाहता हूं कि इस विभाग को अनुदान न दिया जाय।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने तमाम भाइयों का, जो चाहे इस तरफ के हों या उस तरफ के, जिन्होंने इस अनुदान के सिलसिले में अपने विचार व्यक्त किये हैं, बड़ा आभारी हूं। कुछ हमारे मित्रों ने ऐसे सुझाव भी दिये हैं जो इस काबिल हैं कि उन पर गौर किया जाय और कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर वक्त सर्फ करना बेकार होगा।

हमारे भाई श्यामलाल जी को बड़ी उलझन थी चकबंदी के मामले में। उन्होंने मुझे यह हुक्म दिया था कि मैं यह बतलाऊं कि करप्शन के सिलसिले में कितने बरखास्त हुये। मैंने कुछ फीगर्स इकट्ठा किये हैं, वैसे मैं फीगर्स कभी कोट नहीं करता। १११ बरखास्त हुये हैं, ६९४१ का सर्विसेज से टर्मिनेशन हुआ, १०० को तनज्जुल किया गया, २०६ को रिवर्ट किया गया, १४७४ को सेंसर किया गया और ५३१ को ट्रान्सफर किया गया।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

कितना बढ़ा हुआ करप्शन है !

श्री हुकुमसिंह विसेन—

करप्शन है लेकिन करप्शन को मिटाने के लिये हमने उद्योग किया है। हमने इसके लिये ऐक्शन लिया है, उससे यह साबित होता है कि "वी आर एलाइव टु दैट फैक्ट"। मैं समझता था कि नेता विरोधी दल इस सम्बन्ध में कुछ विचार प्रकट करेंगे तो उनसे हम लाभान्वित होंगे, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि वह गैरहाजिर रहे।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

मेरे विचार आपने प्रकट कर दिये, अपने आंकड़ों को दे कर।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मेरे और आपके विचार यकसां होते तो या तो मैं उधर होता या आप इधर होते। मेरे आपके विचारों में बड़ी भिन्नता है।

मेरे भाई काशीनाथ जी ने दो तीन बातों पर बड़ा जोर दिया। अलाभकर जोतों पर जो मालगुजारी छोड़ दी जाय, यह मसला ऐसा है जिस पर इस सदन ने फैसला लिया है और इस प्रस्ताव को रिजेक्ट किया है। इस सारे सदन का यह फैसला मौजूद है। तो उस फैसले के होते हुए इसे तसलीम करना कुछ उचित नहीं है। मैं तो धृष्टता कर नहीं सकता, जो फैसला इस सदन का है उस पर अमल करूंगा। इस विकास और इमर्जेन्सी के जमाने में जब साधनों को इकट्ठा करना बड़ा जरूरी है तो बजाय इसके कि साधन बढ़ाये जायं जो साधन इकट्ठा हैं उनको भी तितर-तितर कर दिया जाय, यह कहां तक मुनासिब है ?

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि कलेक्शन चार्जेज ज्यादा हैं। किसी ने २२ परसेंट जोड़ा, किसी ने कुछ जोड़ा। मालगुजारी के अलावा और भी बहुत से गवर्नमेन्ट ड्यूज हैं जिनकी वसूली रेवेन्यू विभाग करता है। कोई ३५ करोड़ की वसूलयाबी इसके जिम्मे है और हम जानते हैं कि डेढ़ाई करोड़ रुपये से ज्यादा खर्चा नहीं होगा, एग्जेक्ट फीगर्स तो मेरे पास इस वक्त नहीं हैं। बिला कलेक्शन वसूलयाबी हो तो कैसे हो ? खर्चा तो जरूर पड़ेगा।

हमारे काशीनाथ जी ने कहा कि अमीनों की तकर्रुरी में बड़ी गड़बड़ी होती है। नियमों के अनुसार मिनिमम क्वालिफिकेशन भी फिक्स्ड है। उन नियमों के अनुसार जो तराजू पर खरा उतरता है वह मुकर्रर किया जाता है। मैं यह नहीं कह सकता कि कहीं, दो एक केसेज में भी गड़बड़ी नहीं हुई। मैं इस बात की गारंटी करने के लिये तैयार नहीं हूं। १८ हजार के करीब लेखपाल हैं, २५ हजार से ऊपर कंसालिडेशन डिपार्टमेन्ट में, लाखों आदमी नौकर हैं। मैं यह कैसे कह दूं कि सब दूध के धोये हैं ? लेकिन प्रयास हमारा हमेशा यही रहता है कि रूल्स रेगुलेशन्स की पाबन्दी हो। अगर कहीं चन्द मामलात में कुछ ढीलापन हो गया हो या किसी ने कुछ गड़बड़ी कर दी हो तो नोटिस मिलने पर उस तरफ भी तवज्जह की जाती है जैसा कि जो मैंने फीगर्स बतायीं उनसे मालूम होता है।

हमारे भाई भीखालाल जी ने कहा कि चार आने का सरचार्ज एक ही किश्त में वसूल किया जाता है। हमारी इत्तला में यह वाकया नहीं है। वह तो इस ऐक्ट की धारा ४ में खुद ही लिखा है कि हर किस्त के साथ उसी प्रोपोर्शन से लिया जायगा। अगर किसी खास गांव में किसी के साथ ज्यादती हुई हो, हमारे भाई हमको लिख दें, हम जरूर ऐक्शन लेंगे।

भाई काशीनाथ जी ने एक बात और कही कि जमींदारी एबालिशन हो गया, लेकिन किसानों को क्या फायदा हुआ। मैं तो सुनकर दंग रह गया कि किसानों में काम करने वाले नेता और उनको यह नहीं मालूम कि किसानों को फायदा क्या हुआ ! मैं तो यह कहता हूं कि किसानों को इतना फायदा हुआ जिसको लफ्जों में कहा नहीं जा सकता। आज हर किसान जमींदार के सामने मूछ उभार कर बात कर सकता है, सीना उभार कर चल सकता है, बेगार वगैरह तरह-तरह के अत्याचारों से बच गया है। आये दिन बेदखली के नोटिस लगा करते थे। वह बुरी हालत होती थी उसकी कि जिसका जवाब नहीं।

हमारे भाई श्यामलाल जी ने कहा कि आपने जमींदारी मिटा दी, लेकिन दूसरे जमींदार पैदा कर दिये, ए० डी० ओ०, डी० डी० ओ० वगैरह। अगर यही आइडिया उनका जमींदार का है तो मैं उनकी अक्ल की क्या तारीफ करूं ?

कहा गया कि रेवेन्यू रेट्स यहां हाइएस्ट हैं। मैं फीगर कोट करूं तो कहेंगे कि इन्स्पायर्ड हैं, इसलिये मैं फीगर कोट नहीं, करता लेकिन कुछ स्टेट्स से हमारे रेवेन्यू रेट्स कम हैं।

कुछ मित्रों ने कहा कि कलेक्शन थ्रू गांव समाज किया जाय। मैंने इसका एक्सपेरीमेंट किया, लेकिन फेल हो गया एक्सपेरीमेंट। वसूलयाबी नहीं हुई। बहुत से प्रधान मारे गये। तो मैं उनको कत्ल कराने के लिये तैयार नहीं हूं। यह रेवेन्यू एक ऐसा विभाग है कि एक मर्तबा सिस्टम ब्रेक हो जाय तो रेस्टोर करना मुश्किल हो जायगा और इतने लोग बहकाने वाले हैं किसान को कि मालगुजारी न दो, तो कैसे यह हो सकता है ? हमने जो एक्सपेरीमेंट किया था वह नाकामयाब रहा इसलिये दुबारा एक्सपेरीमेंट करना जनहित में नहीं होगा। हमारी लैंड पालिसी निश्चित है। हम चाहते हैं कि एक ही किस्म का भूमिधर हो जिसके लिये जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में भी प्रावीजन है। जो सीरदार है वह भी दफा १३३, १३४ के जरिये भूमिधर हो सकता है। असामी रखा गया है वह तो मजबूरी है। गांव समाज की जमीन है, अगर उसको भूमिधर बना दिया जाय तो पब्लिक इंटरेस्ट खत्म हो जायगा। पहले ९, १०, ११

किस्म के किसान थे। अब तीन तरह के रह गये हैं। सीरदार भी गायब हो सकता है, केवल दो तरह के रह जायंगे, इससे सिम्पिल तरीका कौन-सा हो सकता है? बहुत से मित्रों ने लैंड एक्वीजीशन की बात कही लेकिन वह बजट के जरिये नहीं हो सकती है। जब उसमें तरमीम करें तब कुछ हो सकता है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

ध्यान आकर्षित किया गया है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---

ध्यान तो हमारा आकर्षित हो गया। अगर न होता तो मैं हवाला न देता। हम भी चाहते हैं कि मालगुजारी रेशनेलाइज्ड बेसिस पर हो लेकिन इसके लिये पूरे सेटिलमेंट करने की जरूरत होगी। जो इस समय नहीं हो सकता है क्योंकि ४० साल तक ऐक्ट में मना है। जिस समय सेटिलमेंट होगा उस समय प्रयास किया जायगा कि रेशनेलाइज्ड बेसिस पर मालगुजारी हो जाय।

रिकार्ड के बारे में कुछ मित्रों ने कहा। मैं इससे इन्कार नहीं कर सकता कि उसमें गड़-बड़ी है। उसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो चकबन्दी के जरिये और दूसरे रेगुलर में कर दें। जिन जिलों में हम चकबन्दी शुरू करते हैं तो पहले करेक्शन का काम करते हैं बाद को आगे की कार्यवाही होती है। जिन जिलों में चकबन्दी नहीं करते हैं वहां रेगूलर वे में होगी। अगर लेखपालों पर छोड़ दिया जाय तो सेफ नहीं है। लोगों को अपने हकूक के लिये जाग रूक रहना चाहिये। अगर कोई मर गया है तो दरख्वास्त देनी चाहिये लेकिन लोग खामोश बैठे रहते हैं। दूसरे, लेखपालों के पास काम बहुत ज्यादा है। यह मसला विचाराधीन है कि कानूनगो का स्टाफ बढ़ाया जाय। लेकिन इमर्जेंसी में यह होगा नहीं। इसके आसार नजर नहीं आते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक चकबन्दी सब जगह न हो जाय रेगूलर वे में करेक्शन्स के लिये कानूनी कार्यवाही करें। दफा ३९ की दरख्वास्त होती है, ऐक्ट मालगुजारी की। वह सब करना क्या भूल गये? खाली लेखपाल के भरोसे रहते हैं। एक तरफ लेखपाल की शिकायत करते हैं और दूसरी तरफ कल्पनाथसिंह जी कहते हैं कि उसका टी० ए०, डी० ए० बढ़ा दीजिये। पटवारी की तनख्वाह से लेखपाल की तनख्वाह दुगने-तिगुने हो गयी है। (व्यवधान) बड़े-बड़े अफसर होते हैं वह नहीं घूस लेते हैं। यह आप के कहने से साबित होता है क्योंकि आपका कहना है कि एस० डी० ओ० भी रिश्वत लेते हैं।

श्री यादवेन्द्रदत्त---

क्या यह सही है कि बड़े अफसर रिश्वत लेते हैं, इसकी जानकारी आपको है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

मुझे जानकारी अंग्रेजों के वक्त की है। गवर्नमेन्ट ने भी रिश्वत ली। अपने वक्त में ऐसा नहीं है। बड़े अफसरान नहीं लेते हैं।

श्री कमलासिंह यादव---

चकबन्दी के बाद अगर दफा ३९ की जरूरत पड़े तो किसकी गलती है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

हमारी आपकी दोनों की गलती है जो दूसरे पर नाजायज कब्जा करने की कोशिश करते हैं।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)

अगर आप के अफसर की गल्ती से कोई बात छूट गयी हो, और उसकी अगर कार्यवाही करनी पड़ी तो कौन जिम्मेदार हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

इंसान तो इंसान होता है। इंसान से ग़लती हो सकती है। अगर जानबूझ कर गलती की जाती है तो काबिले सजा है और जो सहबन हो जाती है वह काबिले माफी है।

कुछ हमारे मित्रों ने हसनपुर के सेटिलमेंट आफिसर के बारे में कहा। हमारे अफसरान बैठे हैं। वह नोट कर लेते हैं। उसके बारे में इनक्वायरी की जायगी। जब तक चकबन्दी होती है तब तक लोग चिल्लाते हैं; जब हो जाती है तो उसके बाद कहते हैं बहुत अच्छा हुआ। मेरे पास राजस्व मंत्री होने के नाते बहुत से लोग पश्चिमी और पूर्वी जिलों के जहां चकबन्दी हुई आये और मुझ से कहा। कुछ लोग ऐसे भी आये हैं जिन के यहां चकबन्दी नहीं हुई है, वह कहते है कि हमारे यहां करवा दीजिये।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)---

जौनपुर के चकबन्दी आफिसर के बारे में नहीं कहा।

श्री हुकुमसिंह विसेन---

बहुत अच्छा अफसर है। बहुत ईमानदार अफसर है। वह पार्टीबन्दी में शिकार हो रहा है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

आप की तरफ से लालबहादुर सिंह, लक्ष्मीशंकर यादव ....

श्री हुकुमसिंह विसेन---

बहुत ही अच्छा अफसर है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

आप पक्षपात करते हैं। आपका रिश्तेदार है। इसलिए पड़ा हुआ है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---

हां, वह रहेगा, जरूर रहेगा।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

देखेंगे कैसे रहेगा।

श्री हुकुमसिंह विसेन---

अच्छा, आप मार डालेंगे, तो देखूंगा। आप इस तरह से धमकी दे कर नहीं भगा सकते।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

आपने अपने रिश्तेदार को वहां रख रखा है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---

मेरा रिश्तेदार नहीं है। मैं ब्राह्मण नहीं हूं जो सबसे रिश्तेदारी हो। न वह मेरा रिश्तेदार है, न मेरा बेटा है। ऐसी ग़लत बात क्यों कहते हैं बिला जाने हुए?

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

आपका पक्षपात जिले भर में जाहिर है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---

बिलकुल ग़लत बात है। वह नहीं तब्दील होगा, वहीं रहेगा। इस तरह से आप धमकी दे कर हमारे अफसर को भगाना चाहें तो वह नहीं भागेगा।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

तो मिनिस्टर बना दें।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मौका होगा तो बन जायगा। नहीं तो एम० एल० ए० बन जायगा। उधर बैठेगा। केसरी प्रसाद जी ने गर्मी पैदा कर दी। मैं गर्मी पैदा नहीं करना चाहता। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि सदन इस मांग को मंजूर करेगा।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं एक मिनट आप का सिर्फ लूंगा। मैंने कुछ लिख कर दिया था....

श्री अधिष्ठाता—

आप ने कुछ एतराज किया है। किसी माननीय सदस्य ने आपका अपमान किया है, माननीय सदस्य श्री राधेश्याम जी के बारे में शायद है वह। मैं उनका ध्यान आकर्षित करूंगा क्योंकि ऐसी व्यवस्था सदन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं जो यहां चेयर पर बैठा हूं वह इसलिये नहीं कि किसी को ज्यादा समय दूं, किसी को कम दूं। चेयर हमेशा देखती है कि हर एक पार्टीज के ख्यालात हाउस में आ जाने चाहियें, भले ही किसी पार्टी के सदस्य कम हों या ज्यादा, हर एक सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हो कर आया है, भले ही वह ट्रेजरी बेंच पर बैठता हो चाहे अपोजीशन का हो, सब का यहां समान स्थान है, इसलिये किसी का अनादर करना अनुचित है।

श्री राधेश्याम शर्मा—

श्रीमन्, जरा हमारी बात भी सुन लें, आपने तो जजमेंट दे दिया। कोई माननीय सदस्य लिख कर हमारे खिलाफ दे रहे थे और कोई माननीय सदस्य आप के पास भी गए, यह मैं देख रहा था, तो आप हमें भी सुन लीजिए।

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई इतना गम्भीर प्रश्न नहीं है। मैंने आपका ध्यान आकर्षित कर दिया। अब मैं राय लूंगा। अनुदान संख्या १ में कटौती का प्रस्ताव मैं ले रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १ —वृहत् जोतकर के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—सम्पूर्ण नीति की आलोचना करना है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये अनुदान संख्या १—वृहत् जोतकर के अन्तर्गत १,४८,१०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या २—भू-राजस्व (मालगुजारी) के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—सम्पूर्ण नीति की आलोचना करना है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिए अनुदान संख्या २—भू-राजस्व (मालगुजारी) के अन्तर्गत ८,३२,९६,५०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ४०--दुर्भिक्ष सहायता के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रु० कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--सम्पूर्ण नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के लिए अनुदान संख्या ४०--दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत ५८,०२,८०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १५--खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन तथा अनदान संख्या ५५--राज्य व्यापार की योजनाएं

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के लिये अनुदान संख्या १५-खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत ६८,६१,५०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के लिये अनुदान संख्या ५५--राज्य व्यापार की योजनाओं के अन्तर्गत ११,८६,६०,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, यह विभाग इतना अच्छा चल रहा है कि मुझे इस पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है और न इस पर विवाद करने की आवश्यकता है। मुझे आशा है यह सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

मन्त्री जी ने कहा कि इस पर विवाद नहीं होगा, तो जहां तक इस पर कटौती का प्रस्ताव देने का प्रश्न है, इस पर कटौती के प्रस्ताव दिये गये हैं। यह किस नियम के अनुसार है कि इस पर विवाद नहीं होगा? यह हमको कृपया बतलाया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

जब आप मेम्बर हैं तो आपको सदन में इस तरह के रूल्स का ज्ञान होना चाहिये। यह स्कूल नहीं है कि यहां पर आपको वे सब रूल्स बतलाये जायं।

श्री चन्द्रबली सिंह--

जो कायदा बना है, नियम बना है, वह सब नियमावली में दर्ज है, उसी के मुताबिक हम कह रहे हैं। अगर विवाद नहीं होगा तो यह भी नियम के अन्दर होना चाहिये।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)--

जिस समय सभी दलों के नेता एकत्रित थे तो यह प्रश्न आया था कि कौन-कौन अनुदानों पर डिबेट होगी और किन किन पर गिलोटिन किया जायगा। उस समय यह तय हुआ था कि खाद्य और रसद के अनुदानों को गिलोटिन कर दिया जाय और इन पर विवाद न हो। सभी दलों के नेता उस समय उपस्थित थे। सबके मत से यह तय हुआ था।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

जब एतराज दाखिल है और कटौती का प्रस्ताव दाखिल है तो यह कैसे हो सकता है कि उस पर विवाद न हो?

श्री अधिष्ठाता--

यह आप अपने नेताओं से पूछें कि यह उन्होंने कैसे किया। यह विरोधी दलों के हाथ में होता है कि समय का किस प्रकार से बंटन किया जाय और इसके लिये कितना समय होगा। यह विरोधी दलों के नेता की राय से ही किया जाता है।

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के लिये अनुदान संख्या १५--खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत ६८,६१,५०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के लिये अनुदान संख्या ५५--राज्य व्यापार की योजनायें के अन्तर्गत ११,८६,६०,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १३--कारागार (जेल)

कारागार मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मदत्त वैद्य)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के लिये अनुदान संख्या १३--कारागार (जेल) के अन्तर्गत १,८१,७८,५०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के लिये अनुदान संख्या १३--कारागार (जेल) के अन्तर्गत १,८१,७८,५०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४४--वन

वन मन्त्री (श्री अलगूराय शास्त्री)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के लिये अनुदान संख्या ४४--वन के अन्तर्गत ४,२५,८०,१०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

अधिष्ठाता महोदय, केवल एक घंटे का समय इस अनुदान पर विवाद के लिये रखा गया है। इससे स्पष्ट है कि जहां तक इस विभाग की कार्य विधि और नीतियों का संबंध है उसके संबंध में कोई बहुत विशेष असंतोष नहीं है तथा कोई विशेष बात लोगों को कहना नहीं है। ऐसा न होने की वहज से मुझे भी बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती, सिवाय इसके कि मैं यह निवेदन करूं कि इस विभाग के द्वारा जो कार्य हुये हैं गत दो वर्षों में उनकी रूप-रेखा देखी जाय तो स्पष्ट हो जायगा कि जहां प्रथम पंचवर्षीय योजना में १३८.८२ लाख रुपया वन विभाग पर खर्च करने के लिये मिला, वहां दूसरी पंचवर्षीय योजना में २३८.८० लाख हो गया और अब तीसरी पंचवर्षीय योजना में वह ७३७ लाख से भी बढ़ाकर ८४७ लाख रुपया रखा गया है। इस तरीके से इस विभाग पर जो व्यय करने के लिये धनराशियां मिलीं उनके अनुसार यह स्पष्ट है कि विभाग ने अपने लिये निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति सफलतापूर्वक की और यही कारण है कि अधिकाधिक धन की मांग स्वीकार की गयी।

[श्री अलगूराय शास्त्री]

वन का हमारे राष्ट्रीय जीवन में क्या महत्व है, किस तरह से वह हमारे आर्थिक जीवन को प्रभावित करता है देश के औद्योगीकरण में, उसका सही आभास इस अनुदान के बढ़ते हुये क्रम को देखकर अपने आप मिलता है। केन्द्रीय सरकार भू संरक्षण को बचाने के लिये, नदी घाटियों को बह जाने से बचाने के लिये, उनमें वन उगाने के लिये और औद्योगीकरण के लिये जो शीघ्रता से बढ़ने वाली वृक्षों की प्रजातियां हैं उनका रोपण करने के लिये एक बढ़ता हुआ अनुदान देने के लिये हमेशा ही तैयार है। यही नहीं कि हमारी ये धनराशियां बढ़ती गयीं और यदि आप देखें कि पिछले सालों में हमने कहां तक अपने निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति की तो उन कार्यों की उपयोगिता स्पष्ट हो जायेगी। सन् १९६१-६२ के वित्तीय वर्ष में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ९६.०२ लाख रुपया व्यय हुआ, उस वर्ष के सभी लक्ष्य पूरे हुये और २०,५४९ एकड़ में वृक्षारोपण हुआ। ६,७०,५०० लीसा की अतिरिक्त नालियां बनीं और इस से १० लाख रुपये का ३५ हजार मन अतिरिक्त लीसा प्राप्त होगा। २०९ मील लम्बी सड़कें बनीं, ३५ हजार एकड़ में वन संसाधन सर्वेक्षण हुआ, १६१ भवनों का निर्माण हुआ और ६,१२१ एकड़ में कृषि वानिकी योजना के अन्तर्गत वन लगे। १९६२-६३ में १२३.४४७ लाख रुपये का व्यय हुआ। २०,५०० एकड़ में वन रोपण, २८१ मील लम्बी सड़कें, ३,५०,००० एकड़ में सर्वेक्षण और ३२ भवनों का निर्माण हुआ। ४० हजार मन लीसा के लिये ८ लाख अतिरिक्त नालियों का निर्माण हुआ। १९६३-६४ की योजना में जो यह निर्धारित की गयी है उसकी रूपरेखा आपके सामने रख देना चाहता हूं। १४९.६८० लाख रुपया व्यय होगा। इसमें १२ लाख फार्म फारेस्ट्री तथा २१.१८० लाख उत्तराखंड के लिये सम्मिलित हैं। इसमें ३२,१०० एकड़ में वन रोपण होगा और ५४९ मील लम्बी सड़कों का निर्माण होगा। ९,६०,००० एकड़ भूमि का सर्वेक्षण होगा, ६८ भवनों का निर्माण होगा, ६८ हजार मन लीसा एकत्रित किया जायगा जिसका मूल्य २४ लाख रुपया होगा। इन कार्यों की पूर्ति के लिये जो धनराशि रखी गयी है वह राष्ट्र-निर्माण में सहायक होगा।

वृक्षारोपण के बिना हमारी आवश्यकतायें पूरी नहीं हो सकतीं। सन् ७५ तक हमारी आबादी १० करोड़ के करीब हो जायगी। अगर केवल लिखायी पढ़ाई आदि के लिये जो कागज की आवश्यकता होती है उसको प्रति व्यक्ति ४ किलोग्राम रखा जाय तो हमें एक बहुत बड़ी मात्रा में उसकी आवश्यकता होगी। उसके लिये हमें यकिलिप्टस आदि के पेड़ों के रोपण की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त औद्योगीकरण के लिये भी हमें बहुत प्रकार की लकड़ी की आवश्यकता होती है। इसके लिये खीरी और पीलीभीत आदि स्थानों में ३२ हजार एकड़ में वन लगाये गये हैं। अगर आप देखें तो दो वर्षों के अन्दर ही यहां पर पेड़ बहुत बड़े-बड़े हो गये हैं। इनसे कागज और रेयन आदि उद्योगों के लिये पल्प मिल सकेगा।

वन विभाग आय करने वाला विभाग है। १९६०-६१ में हमारी आमदनी ६.९१ करोड़ थी, १९६१-६२ में ७.२३ करोड़ हो गयी, १९६२-६३ में ८.२५ करोड़ तथा १९६३-६४ में उसका अनुमान लगाया गया है ८.५० करोड़ रुपया। इस प्रकार से १९६०-६१ से अब आमदनी करीब १ करोड़ ५९ लाख अधिक हो गयी है। यह सब सीजन में पेड़ लगाकर और वन उपज का मूल्य बढ़ा कर की गयी है। जो पैसा अब तक प्राइवेट ओनर के पास जाता था, फैक्टरियों के पास जाता था, उसको अब सरकारी खजाने में लाया गया है। यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि सरकार के ऊपर यह दोषारोपण किया जाता है कि वह मिल-मालिकों और पूंजीपतियों को बेजा सहूलियत देती है, गलत है, यह पैसा उन्हीं की जेब से निकाला गया है। जो लकड़ी १२ पैसा प्रति घन फुट बिकती थी वह अब ४० पैसा घन फुट बेची जाती है। घास जो ४ आना मन थी वह अब १२ आने मन दी जाती है। इसी प्रकार जो लीसा १६ रुपया मन दिया जाता था अब ३५ रुपया फी मन दिया जाता है। यह सारा रुपया सरकारी खजाने में आता है और अगर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसमें स्वयं दिलचस्पी न ली होती तो कदाचित यह संभव न हो सकता। इस प्रकार हमारे विभागीय कार्यकलापों से यह स्पष्ट है कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों ने

भी इसमें दक्षता और कार्यकुशलता का परिचय दिया है, नहीं तो ऐसे नतीजे results हासिल नहीं हो सकते थे।

अन्त में, श्रीमन्, चूंकि समय थोड़ा है और माननीय सदस्यों को भी अपने विचार प्रकट करने हैं, मैं इस समय और अधिक समय न लूंगा। यदि आवश्यक हुआ तो अन्त में माननीय सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा। इतना अवश्य है कि मैं यह नहीं कहता कि इस विभाग में और अधिक सुधार की आवश्यकता नहीं है लेकिन जो चित्र सदन के सामने प्रस्तुत किया गया उससें माननीय सदस्य इस नतीजे पर अवश्य पहुचेंगे कि विभाग की नीतियां और कार्य-कलाप ठीक है; अतः इस मांग को स्वीकार किया जाय।

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)--
मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--
प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाय।
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चन्द्रबलीसिंह--
माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस सदन में अगर कोई शब्द ऐसे कहे जायं जो एतराज के योग्य हों तो किसी भी पार्टी के हों, सभी को उस पर एतराज करना चाहिये लेकिन मैं यह देख रहा हूं कि यह परम्परा-सी बनती जा रही है कि एक तरफ तो माननीय नेता सदन, समूचा सदन क ा जाय और दूसरी उधर या इधर के सद य इस तरह के शब्द कहते रहते हैं जो अशोभनीय होते हैं। जैसे हमारे काशीनाथ जी मिश्र हर किसी को फुसर फुसुर, कभी प्राइमरी पास, कभी मखाधिराज, कभी चपरासी के लायक, कभी दर्जा २ पास, वगैरह-वगैरह कहते रहते हैं। कभी गवर्नर को ऐसा कहते हैं, कभी दूसरों को भी कहते हैं। तो इस तरह हर तरफ से एतराज होना चाहिये। इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री अधिष्ठाता--
यह ठीक है कि ये अशोभनीय शब्द हैं और इनका प्रयोग सदन में नहीं होना चाहिये चाहे वह कार्यवाही में आवें अथवा न आवें। भाषा नियंत्रित रहनी चाहिये, इसी में सदन की मान मर्यादा है। मैं आशा करता हूं सदन के सभी माननीय सदस्य इस परम्परा को अवश्य कायम रखेंगे।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)--
माननीय अधिष्ठाता महोदय--

श्री अधिष्ठाता--
अब हर एक सदस्य नहीं खड़े होंगे। माननीय विरोधी दल के नेता बोलेंगे।

श्री रघुनाथसिंह--
मैं केवल एक बात कहता हूं...

श्री अधिष्ठाता--
अब बात खत्म हो गयी और मैंने दूसरे को पुकार लिया।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)--
अधिष्ठाता महोदय, मैं सोच रहा था कि वन विभाग ऐसा विभाग है जिस पर आरोप प्रत्यारोप शायद कम हैं। यह भी विचार करता था कि विभाग की ओर से भूतकाल में जो गल्तियां हुई हैं उनको बुद्धिमानी का अवरण नहीं पहनाया जायगा परन्तु अभी माननीय वनमंत्री जी ने अपने विभाग के कार्यकलाप की बड़ी प्रशंसा की और लीसा तथा स्टार पेपर मिल वाली बात की बड़ी प्रशंसा की। मैं मानता हुं कि १० से ४० नये पैसें दाम हो गया, परन्तु क्या मार्केट मूल्य उसका प्राप्त हो गया है? हमें आशा थी कि माननीय मंत्री, जब कंट्रेक्ट का रिन्यअल होगा,

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

तो इस ओर ध्यान देंगे । लीसा के संबंध में शिकायतें हैं कि जो प्राइवेट ट्रेडर्स को दिया जाता है उसका दुरुपयोग होता है । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस विषय पर अब ध्यान देंगे ।

श्री अधिष्ठाता---

क्या आपने अपना कटौती का प्रस्ताव पेश कर दिया है ?

श्री यादवेन्द्रदत्त---

ठीक है, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४४---वन के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उदश्य---विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

इस संबंध में मैं २,३ बातें केवल कहना चाहता हूं । वन किसी समाज और राष्ट्र की बड़ी भारी सम्पत्ति होती है । वृक्षारोपण अगर कम होता है तो उस राष्ट्र या समाज में प्र कृतिक आपदायें भी आती हैं । यह बात छिपी नहीं है कि प्रदेश में लकड़ी की समस्या खड़ी हो गयी है वृक्ष बहुत कटे हैं और आज स्थिति यह है कि आल इंडिया फिगर में हमारा सबसे कम रहा है, केवल १४ पर सेंट है, और रेगिस्तान के बढ़ाव का यही कारण भी है । एफोरेस्टेशन की ओर प्लान्टेशन की ओर विभाग का ध्यान कम गया है, जितना ज्यादा जाना चाहिये उतना नहीं गया । यह मैं नहीं कहता कि उन्होंने एफोरेस्टेशन नहीं किया है । जितना हुआ है उसके लिये मैंने विभाग की प्रशंसा की है । पिछली बार बजट के प्रारम्भ में बोलते हुये मैंने कहा था कि वन विभाग में जो प्लान्टेशन हो रहा है वह बहुत सुन्दर हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसकी गति बढ़ाना चाहिये और अधिक बढ़ानी चाहिये, और इस दृष्टि से अधिक बढ़ानी चाहिये कि हमारे फारेस्ट के पिछड़ेपन का जो परसेंटेज है वह दूर हो । वन के प्लान्टेशन से जहां टिम्बर हमारे यहां रहता है वहां हमारे प्रान्त की आमदनी भी बढ़ेगी । अगर आप फीगर्स देखें तो जहां जमीन से प्रति एकड़ ३.४१ ईल्ड है वहां फारेस्ट से यानी टिम्बर, लीसा आदि से प्रति एकड़ ७.४६ है । इस तरह से लैन्ड से करीब दुगुना ईल्ड है । लिहाजा इस दृष्टि से आमदनी बढ़ाने की दृष्टि से अथवा प्राकृतिक आपदाओं को रोकने की दृष्टि से भी फारेस्टेशन का बढ़ाना आवश्यक है । क्योंकि फारेस्ट न होने की वजह से ही कभी कम वृष्टि होती है, तो कभी अति वृष्टि होती है, कभी बाढ़ आती है, अक्सर स्वायल इरोजन होता है, ये सारी चीजें होती हैं जिनकी रोकथाम करने के लिये भी एफारेस्टेशन का होना बहुत जरूरी है । इस ओर मैं पुनः माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि एफारेस्टेशन की जो गति है उसमें और तीव्रता होनी चाहिये और द्रुतगति से उसे बढ़ाना चाहिये जिससे हमारे प्रान्त को लाभ हो ।

अधिष्ठाता महोदय, अब रिजर्ब्ड फारेस्ट्स की ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । जमींदारी एबालिशन के बाद गांवों में जो २०, २५ और ३०-३० एकड़ के जंगलात थे वे सब गांव सभा में निहित हो गये, परन्तु गांव सभायें उनकी तरफ विशेष ध्यान नहीं देतीं, जिनके कारण उन जंगलात की स्थिति बड़ी खराब हो रही है । इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार उन जंगलात को भी स्टेट फारेस्ट में ले ले जिससे उनकी स्थिति जो खराब है और जो उनकी दुर्गति है, उससे उनको बचाया जा सके । वरना जगह-जगह जो जानवरों के चरने के लिये चरागाह हैं वे भी समाप्त हो जायेंगे और आपके सामने कैटल की प्राबलम और भीषणता से आ जायगी । इसलिये उनको ले लेने की आवश्यकता है ।

सरकार ने एक लैन्ड यूटिलाइजेशन बोर्ड बनाने पर विचार किया था, परन्तु अभी तक उसे कार्यान्वित नहीं किया गया है । उसका कार्यान्वयन होना आवश्यक है और वह लैन्ड यूटिलाइजेशन बोर्ड होना चाहिये ।

मैं थोड़े से और सुझाव देना चाहता हूं । आज हम दखते हैं कि जो जंगलात के नजदीक के रहने वाले गांव हैं या जो जंगलों के अन्दर रहते हैं, जैसे हिमालय की तराई, गोरखपुर, मिर्जापुर में,

उनकी शिकायत है कि हमें लकड़ी, घास फूस वगैरह मकान बनाने के लिये नहीं मिलती। मैं माननीय मंत्री जी से कहता हूं कि उनका यह राइट फ्राम टाइम्स इम्मेमोरियल है कि जो चीज उनको पहले फ्री मिलती भी उनको आप फिर से रिस्टोर करें, और वह राइट उनको दिया जाय। उनको अपनी झोपड़ी व मकान बनाने के लिये घास, लकड़ी, सरपत जो भी हो बिना पैसे के दिया जाना चाहिये और उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिये, क्योंकि इससे हार्ट बर्निंग होती है और बड़ा कष्ट होता है। इस बात को सभी जानते हैं कि जंगली क्षेत्र के रहने वालों की आमदनी कोई अधिकतो है नहीं, ऐसी हालत में उनके ऊपर किसी प्रकार का बर्डन लगाना, या लकड़ी व घास फूस के लिये पैसे लेना अनुचित होगा। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ जायगा और किसानों को सहूलियत देने की कोशिश की जायगी।

स्थान-स्थान पर टाइगरों द्वारा कैटल लिफ्टिंग की बड़ी शिकायत है। इसका कारण यह है कि प्रकृति ने बैलेंस को डिस्टर्ब कर दिया मालूम होता है। स्मगलिंग, पोचिंग या कैटल लिफ्टिंग का कारण यह है कि उनका प्राकृतिक भोजन जो डियर पापुलेशन है वह समाप्त होता जा रहा है इसके लिये केवल एक यही रास्ता रह गया है कि वह कैटल लिफ्टिंग करे और वही टाइगर पोचिंग से घायल होकर मैन-ईटर बन जाता है। यह हिरन, पाड़े कस्तूरी, मृग खेती को नष्ट करते हैं, लेकिन अगर यह उन को मिलें तो वह मैन-ईटर न बनें और कस्तूरी मृग एक कीमती चीज है जिसकी बहुत मांग दूसरे देशों में है, वह करीब-करीब अब लुप्त हो रहा है, वह एक भारतवर्ष की ही मानोपली थी। मैं तो चाहता हूं कि जिस तरह से एक किसी चीज की फार्मिन्ग होती है उसी तरह से प्राविजन इसके लिये किया जाय। उसकी बहुत कीमत होती है और अधिक मांग उसकी है मस्क डीयर फार्मिन्ग हो तो बहुत लाभ हो सकता है, इस तरह से मैं समझता हूं एकनामिकली भी देश का लाभ होगा।

इसी तरह से हमारी जो हिमालय की बर्डलाइफ है, जो चिड़ियां है, वे भी प्रायः लुप्त हो रही हैं और उसके फलस्वरूप अनेक कीटाणु बढ़ रहे हैं जिनको वह खाकर साफ करती थीं और कीटाणु बढ़ने से खेती नष्ट होती है। चिड़ियों को बेहिसाब मारने से भी बहुत नुकसान हो रहा है। हिमालय पर मोनाल और डालिया आदि चिड़ियों की नस्लें लुप्त हो रही हैं जो खेती के लिये लाभप्रद हैं और पेस्टनाशक हैं। इस के लिये और पोचिंग के लिये काम्प्रहेंसिव ऐक्ट बनना चाहिये। मैं नहीं जानता क्या हुआ, एक बार इस तरह का कानून बनाने की बात चली थी। कानून में लूपहोल्स होने के कारण ही कोचिंग जारी है, कानून इस दिशा में सख्त बनाया जाय। मैं नहीं जानता कि कोई ऐक्ट बनाने की बात सरकार के सामन अब है या नहीं। अजीब तरह का कानून है कि चिड़ियों को जाल में फंसाने का कानून है, लेकिन फंसी हुई चिड़ियों को बेचने के बारे में कोई कानून नहीं है और यह कहकर वह बेच सकते हैं कि जाल में नहीं फंसाना है। मैं नाम नहीं लेता, लेकिन मैं माननीय वन मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूं कि दो तीन उदाहरण मैं दे सकता हूं कि अपने प्रदेश के उच्च अधिकारी जिनको कि शिकार का नया शौक हुआ वह पोचिंग करते हैं, पकड़े भी गये हैं और यह कह कर छोड़ दिये गये कि भविष्य में ऐसा न करना चाहिये। तो सरकार को सूचना दे दी जायगी। मैं उनका नाम नही लेता। इसी तरह की पोचिंग फारेनर्स भी यहां आकर करते हैं और कीमती खालें वह यहां से बाहर ले जाते हैं अगर उनको चिक और चटाइयों में बाहर लपेट कर भेजा जाता है यहां शिकार खिलवाने वाली बड़ी-बड़ी कम्पनियां हैं जो फारेनर्स को शिकार खिलवाती हैं और टूरिस्ट्स हमारे जानवरों की खालें मार कर ले जाते हैं जो महंगे दामों पर बिकती हैं, लेकिन उसकी तरफ आंख बन्द की जाती है। इसलिये मैं वन मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इसको रोकने के लिये वह कोई सख्त कानून बनवायें।

(इस समय ४ बजकर ५९ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

जंगल के पास में बसे हुये लोगों की सुरक्षा के लिये उन्हें कुछ शस्त्र देना चाहिये, उनको ऐक्टिव लाइव कारट्रिज न देकर ब्लैन्क कारट्रिज दिये जायं, उनसे वह अपनी रक्षा भी कर सकेंगे

[श्री यादवेन्द्रदत्त[

और जंगली पशुओं को भी भगा सकेंगे । बहुत बार देखा गया है कि पोचिंग से उनको घायल कर दिया जाता है और फिर वही टाइगर मैन ईटर हो जाते हैं। इससे सुरक्षा भी नहीं होती, इसलिये अगर उनको ब्लैन्क कारतूस दिये जायं तो ठीक है । एक बात मुझे और कहना है । जो फारेस्ट शिकार के लिये दिये जाते हैं उसके लिये आप एक ऐडवाइजरी बोर्ड बनाइये क्योंकि इसमें काफी इंडिसक्रीमीनेशन किया जाता है । उस बोर्ड में बोनाफाइड हंटर्स रखे जायं, क्योंकि आज यह हो गया है कि लोग सोचते हैं हर जंगली जानवर माने वह पेस्ट है और उसको मार डालो। जंगल काटकर फेंक दिये जायं और वहां खेती की जाय । परन्तु जंगल भी आर्थिक दृष्टि से राष्ट्र के लिये आवश्यक है। इसलिये बोर्ड बनाइये जो सारे विभाग के कार्य कलापों तथा जंगलों का निरीक्षण करे ताकि जो प्रगति आपने की है वह सर्वसाधारण को विदित हो, जनता को उसके बारे में ज्ञान हो । हमारे यहां की मसल है जंगल में मोर नाचा, किसी ने देखा किसी ने नहीं । तो आपकी प्रगति सर्वसाधारण समाज तक पहुंचाना आवश्यक है । लोगों को फारेस्ट माइन्डेड बनाने की आवश्यकता है । यह भी जरूरी है कि प्रदेश के अन्दर जो विद्यार्थी वर्ग हैं, जो आर्थिक भीषणता के कारण हेल्दी इन्टरटेनमेन्ट और हेल्दी स्पोर्ट नहीं अफोर्ड कर सकता है तो आप क्यों नहीं ऐसी स्कीम चलाते, जिस तरह से योरप में होता है कि स्कूल की छुट्टियों के समय थोड़े थोड़े ग्रुप्स को राज्य की ओर से सब व्यवस्था की जाती है और जंगलों में ले जाया जाता है, कैम्प्स् होते हैं ? इससे हैल्दी स्पोर्टस् होते हैं, जंगल के प्रति उनमें प्रेम और वाइल्ड लाइफ के प्रति प्रेम पैदा होता है, लव फार वाइल्ड लाइफ इनकलेकेट होता है । तो जो विद्यार्थी आज चीप सिनेमा के गानों से भ्रष्ट होता है, अगर वह १५ दिन जंगल में जा कर हैल्दी लाइफ लीड करे तो उसके जीवन का अच्छा निर्माण हो सकता है । सरकार की तरफ से ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये, रोडवेज के द्वारा उनको लाने ले आने की सहूलियत दिलायी जा सकती है । अगर ऐसा किया जायगा तो मनुष्य के अन्दर जो स्पेरिडिकोर होता है वह डेवलप किया जा सकता है । इसको शिक्षा का एक अंग बना देना चाहिये । ऐसे फारेस्ट कैम्प्स लोगों के लिये स्थापित किये जायं जो बेचारे आर्थिक कठिनाइयों के कारण अपने पास से अफोर्ड नहीं कर सकते ।

खीरी जिले में कुछ लोगों को जंगलों के बारे में शिकायतें हैं, मैं उनको मंत्री जी के पास भेज दूंगा । उनमें से मुख्य यह है कि वन विभाग से जमीन जो गजट की जाती है लेने के लिये उससे ज्यादा कई स्थानों पर ले ली गई है जिससे असंतोष है। इस ओर् मंत्री जी ध्यान देने की कृपा करें ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है । जिस विभाग के आइटम्स सदन में पेश किये गये हैं उनके कार्य-कलापों के बारे में हमारे पास कोई लिट्रेचर नहीं है तो किस चीज पर बहस करें हम ? विभाग की ऐनुअल रिपोर्ट हमको मिलनी चाहिये जैसे पहले मिला करती थी ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह सही है कि सरकार को जो लिट्रेचर देना है वह समय से मिल जाया करे ताकि माननीय सदस्यों को पढ़ने में सुविधा हो ।

श्री अलगूराय शास्त्री—

"परियोजनायें और प्रगति" के नाम से जो पुस्तक प्रकाशित हुई है वह माननीय सदस्यों के हाथ में पहुंच गई होगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह भेज दी गयी लकिन पहुंची नहीं है ।

श्री अलगू राय शास्त्री—

वन के जो कार्यकलाप हैं उसका वर्णन बहुत सफाई से दिया हुआ है । इमर्जेंसी की वजह से प्रकाशन पर भी कुछ नियंत्रण किया गया है । तो सामूहिक ढंग से सब चीजें इसमें आ गयी हैं ।

अगर माननीय सदस्य उसका अध्ययन करेंगे तो उनको विवाद में भाग लेने के लिये बहुत सामग्री मिल जायगी ।

श्री कमलासिंह यादव---

बजट पास होने के बाद अध्ययन करके या माननीय मंत्री जी को उनके कमरे में सुनायेंगे ?

श्री यादवेन्द्रदत्त---

मैं निवेदन कर रहा था कि हर वर्ष बजट पर हर विभाग की एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट हमारे पास आती थी । इस वर्ष अब तक नहीं आई । कमला सिंह जी ने ठीक ही ध्यान आकृष्ट किया है और मैं तो सरकार का ध्यान सभी विभागों की एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट की तरफ दिलाना चाहता हूं । अगर उसका छपना बन्द हो गया है तो उसे फिर से छापना चाहिये और उसे हम लोगों के सम्मुख आना चाहिये ।

वित्त मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

जहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट का ताल्लुक है, वह छपती है और बंटेगी । प्रति वर्ष ऐसा होता था कि हर विभाग की रिपोर्ट अलग से छाप कर बांट दी जाया करती थी । लेकिन उसका ज्यादा उपयोग नहीं हो पाता था । कुछ ही लोग उसे पढ़ते थे । दो एक मर्तबा इस हाउस में प्रश्न भी उठ चुके हैं कि बड़े सुन्दर कागज में उसे छापा जाता था । सुन्दर तस्वीरें उसमें छपती थीं । एक मूल्यवान प्रकाशन होता था । इस वर्ष कोशिश यह की गयी कि आम विभागों की प्रगति एक स्थान पर दे दी जाय । बहुत सा साहित्य नहीं छापा गया । यह पुस्तिका छाप कर माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गयी है । बजट के बाद पेश हो गयी है । सदस्यों के पास न पहुंची हो वह हो सकता है । उनको बांट दिया जाय ।

एक सदस्य---

नाम क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

"तीसरी पंचवर्षीय योजना, परियोजनायें और प्रगति" ।

श्री यादवेन्द्रदत्त---

अधिष्ठाता महोदय, मैं कह रहा था कि इवेल्यूएशन कमेटी उसके लिये होनी चाहिये ताकि सदन के लोगों को सारी जानकारी हो सके । इवेल्युएशन कमेटी बनाइये । वह सारे काम की जांच करेगी ।

मैंने एक समाचार-पत्र में पढ़ा था कि माननीय मंत्री जी ने शेर मारा है । यह नहीं मैं जानता कैसे मारा है । निगाहे नाज से मारा है, तीरे तुफंग से मारा है या बन्दूक की आवाज से मारा है, लेकिन मारने के लिये मैं उन्हें बधाई दे देना चाहता हूं । जो कटौती का प्रस्ताव मैंने रखा है इसी हेतु रखा है कि सरकार का और मंत्री जी का ध्यान इन बातों की ओर जाना चाहिये और उन सारे कामों का पूर्ण करना चाहिये ।

श्री सुदामा प्रसादगोस्वामी (जिला झांसी)---

उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान वन मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसमें इजाफा किया जाना चाहिये । हमारे वनों का संबंध पिछले कुछ वर्षों से किसान की जिन्दगी से जुड़ गया है । रोज सुबह उठता है तो उसका साबका वन विभाग से पड़ता है । इसलिये वन विभाग के कुछ कर्मचारियों को इस बात की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये कि वे इन्सान के साथ किस तरह का व्यवहार करें । इस तरह की कोई व्यवस्था इस बजट में नहीं है । इसका प्रमाण मैं देना चाहता हूं । माननीय सदन में इस बात का जिक्र उठ चुका है कि हमारे झांसी, बुन्देलखंड डिवीजन में फारेस्ट आफिसर ने हरिजनों की झोपड़ियों में आग लगा दी थी और उसकी जांच पड़ताल के बाद आश्वासन समिति के १३वें प्रतिवेदन में यह दिया हुआ है कि "यह बात मैं मानता हूं कि जो काम

[श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी]
हुआ है वह बहुत अच्छा नहीं हुआ । डी० एफ० ओ० ने झोपड़ियों में आग लगा दी और विभाग कहता है कि यह बहुत अच्छा नहीं हुआ । मैं समझता हूं कि इसलिये बहुत अच्छा नहीं हुआ कि इन्सानों को भी क्यों नहीं जला दिया गया । बहुत अच्छा तब होता जब इन्सान भी जला दिये जाते ।

दूसरी बात यह कि आज जनता की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ न हो, उसकी इज्जत बरकरार रहे, अवैधानिक तत्वों से जनता की रक्षा की जाय । मैं पिछले वर्ष में इस माननीय सदन का सदस्य रहा हूं । मेरे खिलाफ एक रिपोर्ट वन विभाग के एक रेन्जर ने दफा ३५३ में पुलिस थाने में दर्ज कराई । उस सम्बन्ध में प्रश्नों के उत्तर में ११ तारीख को यह कहा गया--- मैं यहां उपस्थित नहीं था---वन मंत्री जी उस उत्तर को सुनें और उस पर विचार करें । एक किसान को डंडा मारा । जिस कर्मचारी ने डंडा मारा उसका ट्रांसफर हुआ और चेतावनी दी गयी । जिसकी मदद से मारा वह बरखवास्त कर दिया गया । मेरे खिलाफ उस अधिकारी ने आरोप लगाया । सिविल पुलिस ने जांच की, असत्य पाया । एंटी-करप्शन ने जांच की, असत्य पाया । यह ८ मई, १९५९ का किस्सा है और मैंने २० मई को लिखा था कि इसकी सी० आई० डी० से जांच होनी चाहिये और मुझे न्याय मिलना चाहिये । १७ बार मैंने इस सदन में तत्कालीन वन मंत्री और मौजूदा वन मंत्री के पास जाकर अनुनय विनय की कि मुझे न्याय दिया जाय । जिलाधीश ने कहा कि अगर रिपोर्ट गलत होगी तो १८२ चलाऊंगा उस अधिकारी के विरुद्ध । बाद में उन्होंने कहा कि मैं मजबूर हूं, पुलिस रिपोर्ट बिल्कुल रेन्जर के खिलाफ है । उसकी रिपोर्ट का निष्कर्ष यह है:---

जी हां । उसकी रिपोर्ट का निष्कर्श यह है कि श्री हरनाम सिंह ने चन्द्रसिंह की मदद से हिम्मतसिंह को थप्पड़ मारा तथा २५ रुपये रिश्वत के तौर पर मांगे । श्री हिम्मतसिंह ने रिश्वत नहीं दी और पेशबन्दी करने के लिये उपरोक्त कर्मचारियों ने अपनी जेब से २५ रुपये प्रतिकर के रूप में जमा कर दिये और यही रुपया श्री हिम्मतसिंह द्वारा दिया हुआ बताया गया । श्री अहिवरनसिंह राठौर, रेन्ज आफिसर, तालबेहट, के द्वारा श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी, एम० एल० ए०, के विरुद्ध जो रिपोर्ट पुलिस में की गयी वह बढ़ा चढ़ा कर की गयी व गलत पायी गयी ।

तीन तरह से इसकी जांच हुई । झांसी की सी० आई० डी० ने किया, कानपुर और लखनऊ के डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट सितम्बर, १९६० में और फरवरी, १९६१ में यहां से गये और उसके बाद उस अधिकारी का केवल तबादला किया जाता है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी भी इज्जत है । अगर मेरी गलती होती तो मेरी क्या दशा होती ? मेरी टोपी उछाल दी गयी होती । हम विधायकों की भी इज्जत है । वनों की रक्षा हो, वन अधिकारियों को हम सहयोग दें, सही बात है, लेकिन हम जो यहां जनता के प्रतिनिधि हैं उनकी भी कुछ इज्जत होती है ।

श्री उपाध्यक्ष---
आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---
आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव माननीय नेता विरोधी दल ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं वन मंत्री जी का ध्यान आपके द्वारा दिलाना चाहता हूं कि टांग्या किसान जो करोड़ों रुपये के जंगल लगाकर पैदा करते थे, वे आज इस राज्य में अर्द्ध गुलामी की जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं । मुझे उनके जीवन को देखने का मौका मिला है । आजादी के इतने साल गुजरने के बाद भी वे किस तरह से अपना जीवन बिता रहे हैं, यह देखने की बात है । उनको जंगल लगाने के लिये बीज तक नहीं दिया जाता है । वे पहाड़ों से बीज लाकर जंगल लगाते हैं । लेकिन जंगल विभाग के अधिकारी उनके साथ नाना प्रकार का दुर्व्यवहार करते हैं । मंत्री जी इस ओर ध्यान देने की कृपा करें ।

दूसरी समस्या हमारे यहां है कि जो जंगल के किनारे खेत हैं उनको जंगल के जानवर चरागाह बनाये हुये हैं । इसकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये । मैंने कई बार डी०

एफ० ओ० को लिखा और सदन में भी कहा कि जंगलों की रोकथाम के लिये किसी योजना पर विचार करें, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया।

तीसरी बात यह है कि जमींदारी उन्मूलन के बाद जो जंगल जमींदारों के क जे में थे, वे सरकार के कब्जे में आ जाने के बाद उनकी स्थिति बड़ी भयावह हो गई है। जब अधिकारी चाहते हैं उनको खेती के लिये जमीन दे देते हैं और जब चाहते हैं तो उनसे निकाल लेते हैं। उनको टेनेन्सी राइट्स नहीं हैं जिस जमीन पर वे अपना जीवनयापन करते थे। उनको कोई स्टैबिलिटी नहीं रह गई है। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

चौथी समस्या यह है कि जंगल के पास के जो गांव के रहने वाले हैं वे लकड़ी के लिये या बीड़ी के पत्तों के लिये जब जंगल में जाते हैं तो उनको अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। श्रीमन्, इसकी छूट उनको दी जाय, क्योंकि छोटे-छोटे उद्योगों पर ही वे गांव वाले पल रहे हैं। अगर मंत्री जी का ध्यान उधर नहीं गया तो एक विकट समस्या उत्पन्न हो सकती है। उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे जंगल के अधिकारियों को पैसा देकर लकड़ी ले सकें और उद्योग-धंधों को चला सकें। इस पर मंत्री जी को ध्यान देने की जरूरत है।

श्री गंगासिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, वनों का महत्व पर्वतीय क्षेत्रों के लिये कितना आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, मैं इसको बताना चाहता हूं। पर्वतीय क्षेत्र में ४८ फीसदी और मैदानों में ५ फीसदी वन हैं। उनकी कठिनाइयों के संबंध में वक्तनफवक्तन विचार सदन में होता रहता है। इसके लिये एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बिठाई गई थी, २-३ साल पहले। लेकिन आज तक उसकी रिपोर्ट हमें नहीं मिली है। उसके सदस्य तमाम पर्वतीय क्षेत्रों में घूमे, लोगों के बयान लिये, जानकारी हासिल की। लोगों ने हजारों की संख्या में उपस्थित होकर बड़े उत्साह से अपने बयान दिये जिनमें उनकी समस्याएं थीं। लेकिन कोई सुनवाई उनकी नहीं हुई। मुझे बड़ा दुख है इतना महत्व का वन सम्बन्धी विवाद उसके लिए बहुत कम समय दिया गया है। वन की उपादेयता को हम महसूस नहीं कर रहे हैं। मैंने गत वर्ष भी कहा था कि आज हमारे प्रदेश में बाढ़ आने का कारण वनों का अभाव है, निर्दयता से उसका हनन है। मैंने गत वर्ष भी कहा था कि भूमि-संरक्षण के लिए वनों का बड़ा महत्व है। मैंने वन अधिकारियों से कहा था कि पर्वतीय क्षेत्र की उन ऊंची चोटियों पर जो बिलकुल नंगी हो चुकी हैं, जिनके जंगल कट कर बरबाद हो चुके हैं, उन पर वृक्षारोपण किया जाय। पिछले महायुद्ध में निर्दयता से काफी जंगल कट चुके हैं। स्टार पेपर मिल का क्या कहना है! वह छोटे-छोटे पेड़ों को भी काटने लगे हैं, जिनकी बल्लियां झोपड़ों के बनाने में काम आती हैं। दरख्त के दरख्त कटते चले जा रहे हैं, लेकिन वहां के लोग लकड़ी बिना तरस रहे हैं। मैं पेपर उद्योग के विरुद्ध नहीं हूं पर कागज की लुगदी वहां पहाड़ में बनाई जाय। जलाने की लकड़ी की, इमारती व कोयला लकड़ी की समस्या हो गयी है। यहां तक कि मुर्दे जलाने के लिए लकड़ी उपलब्ध नहीं होती है। इस प्रकार पर्वतीय लोगों के हक-हुकूक का जो सवाल है, उसमें बड़ी सख्तियां बरती जा रही हैं। यदि कोई इस गांव का रहने वाला है, तो दस मील दूर पर उसको हक दिया गया है, दस मील दूर के गांव वालों को यहां का हक दिया गया है। काफी लोग ऐसे मिलेंगे जिनका कहीं भी हक नहीं है वह लकड़ी बिना मोहताज हैं जबकि आज से पहले जब स्टार पेपर मिल को लकड़ी नहीं जाती थी तो लकड़ी आसानी से मिल जाती है। आज पहाड़ों में लकड़ी की समस्या हो गई है। लोग पत्थर के कोयले का प्रयोग करने पर विवश हुए हैं, जहां वन के वन खड़े हैं। वहां यह दशा है। लोग खाद के गोबर के कंडे बना कर जलाते हैं। मैं वन मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस ओर जरूर ध्यान दें। जहां तक ऊंची चोटियों पर अफारेस्टेशन का सवाल है, इस ओर जरूर ध्यान दें और फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित करने की कृपा करें, ताकि सारी कठिनाई ज्ञात हो सके।

श्री ऊदल—

मान्यवर, जो कटौती का प्रस्ताव विरोधी दल के नेता ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। वनों में जो रहने वाले हैं उनकी दिक्कतों की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान बहुत बार आकर्षित किया गया और आज भी मैं मंत्री जी का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मंत्री जी ने एक बात कही कि पेपर के लिए लकड़ी १२ नये पैसे के बजाय ४० नये पैसे कर दी है। मैं इस बात को समझ नहीं सका। नया एग्रीमेंट जो होने जा रहा है, उसमें मैं समझता हूं कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। दो तीन पैसे का शायद अन्तर है। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी उसको देखें।

दूसरी बात, जो लीसे का उद्योग है, उसको वहां की जनता को कोआपरेटिव बेसिस पर या व्यक्तिगत किसी तरीके से उसको देना चाहिए। और बांज का एक पेड़ होता है जिसमें से झूला निकलता है, जो बहुत ही कीमती वस्तु है, लेकिन उनकी जानकारी न आपको है न आपके विभाग को है, वह सब बाहर चला जाता है। तो विभाग को और आपको इसके ऊपर गौर करना चाहिये। इसी तरह खड़िया पत्थर जिससे पाउडर बनता है वह भी वहां से नीचे आ जाता है। तो वन के रहने वाले जो इतने गरीब हैं जिनकी हम इतनी दुहाई देते हैं, उनको उठाने के लिए भी आपको सोचना चाहिए। कागज की लकड़ी जो आप देते हैं स्टार पेपर मिल को उसको भी चाहें तो छोटी-छोटी मशीनें लगाकर, जो १२–१५ हजार की मिलती है, उसका पल्प बनाने का उद्योग वहां चला सकते हैं। आप इसकी तरफ भी ध्यान दें।

इसके अलावा वहां के लोगों के बहुत से अधिकार छिन गये हैं, पशुओं को चराने, पानी पिलाने, लकड़ी लेने आदि के सारे अधिकार उनको पहले हासिल थे, जो छीन लिये गये। उनमें से कुछ को सरकार ने उन्हें फिर दिया है, लेकिन कम दिया है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि वहां के लोगों को यह अधिकार आप और दें, क्योंकि वह जंगल में बसते हैं, तो जायेंगे कहां? उनको लकड़ी चाहिए, घास चाहिए, मकान के लिए लकड़ी चाहिए, वह तो रक्षक हैं और बार्डर के रक्षक हैं, इसलिए उनको आप वह सारी सुविधायें दें और गांवों के अगल बगल में जो गांव समाज की जमीन हो या आपकी भी जमीन हो तो उसका प्लान्टेशन न कीजिए, उसमें काफी झगड़ा हो जाता है। इस विभाग के कर्मचारियों का पे स्केल बहुत पुराना है, उनकी सुविधायें भी कम हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि उन पर घूस लेने का और तरह-तरह के आरोप लगाये जाते हैं, इसलिए उनकी सुविधाओं और पे स्केल तथा नियमावली वगैरह के ऊपर आप विचार कर लें, इतना ही मुझे आपसे निवेदन करना है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा आभारी हूं कि मेरे इस प्रस्ताव पर इधर के भी और उधर के भी लोग बोले और उन्होंने अपने सुझाव दिये। मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है, केवल दो बातों की ओर ध्यान आकृष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रशासन की दृष्टि से जो अधिकारी या कर्मचारी दोषी हो जैसा अभी गोस्वामी जी ने कहा, उसके ऊपर दंड होना आवश्यक है। परन्तु दंड के साथ-साथ जिन अधिकारियों या कर्मचारियों का कार्य अच्छा रहा है उनका प्रोमोशन भी होना आवश्यक है। वन मंत्री महोदय जानते हैं कि एक फारेस्ट गार्ड ने अपने जीवन की बाजी लगा कर दो शेर के बच्चे पकड़े थे जिनका प्रधान मंत्री को प्रेजेन्टेशन हुआ। उससे वायदा भी किया गया था कि तुम्हारा प्रोमोशन होगा, लेकिन वह अभी तक नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाय।

दूसरी बात रिहंद बांध का जो डूब एरिया है वह बहुत बड़ा एरिया है, वहां पर मछली पालने और फिश कैनिंग की इंडस्ट्री बड़ी अच्छी खड़ी की जा सकती है। मैं चाहता हूं कि इधर भी सरकार ध्यान दे जिससे उनको काम और व्यवसाय मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी हम लोगों के सुझावों को ध्यान में रखेंगे और उन्हें स्वीकार करेंगे।

श्री अलगूराय शास्त्री—

मैं माननीय सदस्यों का और विशेषकर दूबे जी का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने वन विभाग के सम्बन्ध में बहुत सी अच्छी-अच्छी बातें कही। सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं और जो आलोचनायें की हैं उन सब चीजों पर गम्भीरता के साथ विचार किया जायगा। गंगासिंह जी ने रिपोर्ट के बारे में कहा। वह सरकारी कमेटी थी। उसने एक रिपोर्ट तैयार की। उसके जो सुझाव हैं उन पर विचार किया जा रहा है और जो स्वीकृत कर लिये जाते हैं उनकी विज्ञप्ति कर दी जाती है। जितने सुझाव अभी तक इस तरह से विज्ञापित किये गये हैं उनको स्वीकार करने के बाद ही माननीय सदस्यों के हाथ में रखा जा सकता है। जो इस सदन की कमेटी होती है उसकी दूसरी बात है किन्तु सरकारी कमेटी के सारे सुझाव अगर छाप दिये जायं तो जनता में यह भ्रम फैल सकता है कि यह सारे सुझाव सरकार ने स्वीकार कर लिये हैं। पिछले साल भी मैंने यह बात कही थी कि जो सुझाव स्वीकृत हो जायंगे और जब कैबीनेट उन्हें स्वीकृत कर लेंगी। तब उसकी पुस्तिका माननीय सदस्यों को मिल जायगी। शीघ्रता के साथ उन पर विचार किया जा रहा है किन्तु सहसा कोई काम करने के बाद में पछताना पड़ता है। इतना निवेदन करूंगा कि गांव के पास रहने वालों की सुविधा, कुमायूं और गढ़वाल के बनों के पास रहने वालों के लिये वही सुविधा है कि जिस प्रकार से कायदे कानून की इजाजत है। वन के पास रहने वालों के लिये कायदे और कानून के अनुसार सारे हकूक तय कर दिये जाते हैं। उनको कोई छीन नहीं सकता है। वह तो देने ही पड़ेंगे और दिये जाते हैं। यह नहीं हो सकता कि उनकी उपेक्षा की जा सके। वन क्षेत्र जैसा कि दूबे जी ने कहा कि इस प्रदेश के अन्दर १४ प्रति शत हैं। वन अगर कुदरत को मंजूर न होते तो यह कच्ची मिट्टी का हिमालय कैसे बनता? इसके ऊपर देवदारू के वृक्ष खड़े हैं। जो पानी हिमालय के ऊपर गिरता है उसको वे सारे वृक्ष रोकते हैं। अगर कुदरत ऐसा इन्तजाम न करती तो सारी मिट्टी बह जाती और हिमालय भी बह जाता। तो हम उसी दशा में लगे हुये हैं। हमारा यह प्रयत्न है कि अधिक से अधिक वृक्ष वहां पर उगाये जायं। तो तराई के वृक्ष हैं वहां पर भी हमारा ध्यान है। जो मैदान के वृक्ष हैं शीशम और बबूल वगैरह के, वे पहाड़ पर कम होते हैं। उतनी ऊंचाई पर तो देवदार और चीड़ के वृक्ष होते हैं तो १२ हजार फीट की ऊंचाई पर होते हैं। इतना अधिक पानी वहां पर गिरता है तो वे वृक्ष ही उनकी रक्षा करते हैं। इस कारण वहां पर वृक्षों की रक्षा करना जरूरी होता है। वन विभाग का ध्यान इस तरफ है और वह वनों की रक्षा करेगा। वनों की रक्षा करना समाज के लिये जरूरी है। समाज की आवश्यकता का भी ध्यान रखना है और उस आवश्यकता को भी पूरा करना ही पड़ेगा। यह रिहेन्ड डैम जो बना वहां पर भी देखने की बात है, वहां बिजली पैदा करने की आवश्यकता इसलिये है कि उससे उद्योगों को बढ़ाना है। दूसरे लोगों की आवश्यकता को भी देखना पड़ता है। उसको पूरा करना भी जरूरी है। वहां भी इन्तजाम करने की जरूरत है। अगर यह निश्चित हो जाय कि वन नहीं रहेंगे तो वन विभाग का काम नहीं रहेगा, लेकिन सरकारी नीति यह है कि वन ३५ प्रति शत होने चाहिये। यहां पर अभी १४ प्रतिशत हैं। वनों को बचाने का प्रयत्न जरूरीहै।

जो सुझाव माननीय सदस्यों के आये हैं उन पर ध्यान दिया जायगा। गोस्वामी जी ने कुछ अपनी व्यक्तिगत बात कही कि उनका बड़ा अपमान हुआ। वह बड़ा पुराना केस है। वह मेरे समय का नहीं है। उसके बाद केस का फैसला हुआ। उसमें स्थानान्तरण किया गया है, थानेदार और एस० पी० के ट्रांसफर के लिये पुलिस विभाग से कहा जाता है, लेकिन वह बात मंजूर नहीं की जाती है। उस केस पर गौर करने के बाद जो किया गया है वह उचित किया गया है। उनको सजा दी गई और किसी तरह से पुरस्कृत नहीं किया गया है। तो इस तरह से उनको सन्तोष होना चाहिये और भी अगर उनको शिकायत है तो मैं उनके यहां आकर बात कर सकता हूं और वे मेरे कमरे में आकर बात कर सकते हैं और जो उनको कठिनाई है उसका निवारण हो सकता है। इन शब्दों के साथ, जिन माननीय सदस्यों ने इस विवाद में हिस्सा लिया, उनका आभार

[श्री अलगूराय शास्त्री]

प्रकट करता हूं और यह अनुरोध करता हूं कि एक स्वर से इस नन्हीं-सी मांग को, जो ४,२५,८०,१०० रुपये की पेश की गई है, उसको स्वीकार करें ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४४—वन के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के लिये अनुदान संख्या ४४—वन के अन्तर्गत ४,२५,८०,१०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १६—वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य-कलाप

आबकारी मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के लिये अनुदान संख्या १६-वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्यकलाप के अन्तर्गत १६,९३,७०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत छोटा मुहकमा है जिसमें ८ या ९ छोटी-छोटी संस्थायें आती हैं, जैसे आर्ट्स कालेज, आर्काइव्ज, म्यूजियम, आर्कयालाजी, अकाडैमी आफ फाइन आर्ट्स, नैनीताल की आबजर्वेटरी, विज्ञान मंदिर, साइंटिफिक रिसर्च की कमेटी । साइंटिफिक रिसर्च की कमेटी अनुसंधान का कार्य करती है । सदन को जान कर प्रसन्नता होगी कि भारत सरकार की डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ यह कमेटी बहुत से डिफेंस के कार्यों पर अनुसंधान कर रही है जो गोपनीय है । नैनीताल की आबजर्वेटरी साउथ-ईस्ट एशिया में सबसे बड़ी है और उसके आबजर्वेशन बहुत अच्छे हैं । उसका टेलिस्कोप जो कि सैटलाइट को मैजरमेंट करता है सिर्फ उसका डाइमीटर २० इंच का है । अभी भारत सरकार ने हमारे प्रदेश में तीन और विज्ञान मंदिर दिये हैं जिनका वायदा पहली अप्रैल सन् १९६३ से किया है । वह भी साइंटिफिक रिसर्च का काम है ।

सांस्कृतिक कार्यकलाप में आर्कयालाजी में इस सरकार ने एक बोर्ड आफ आर्कयालाजी अभी बनाया है जिसमें इस प्रदेश के बड़े बड़े इतिहासकार नामिनेट किये गये है । वे यह पता लगावेंगे कि इस प्रदेश में कौन से मान्यूमेंट्स है जिनकी लिस्ट बनेगी और हम किस प्रकार से उनकी ओर अपना कदम बढ़ावें । साइंटिफिक रिसर्च कमेटी और कल्चरल अफेयर्स डिपार्टमेंट का निर्माण आज से ५,७ साल पहले ही हुआ है । इन ५ सालों में कार्य में जो भी प्रगति हुई है उस पर एक विहंगम दृष्टि डालना उचित प्रतीत होता है । अगर माननीय सदस्यों को कष्ट न हो तो वे अपने अपने जिलों के मान्यूमेंट्स की लिस्ट उस कमेटी के पास भेज दें, इससे कमेटी को बहुत मदद मिलेगी । उस लिस्ट के अनुसार उनकी मरम्मत और देख-रेख होगी । इसी तरह से आर्काइव्ज का काम पुराने रैकार्ड्स का मैंनटेन करना है, चाहे वे हिन्दी में हों, चाहे संस्कृत में हों या किसी भी भाषा में हों, इस प्रांत की और हिन्दुस्तान की; उसका हेडक्वार्टर इलाहाबाद में है ।

म्युजियम में एक मथुरा का और दूसरा लखनऊ का है । मथुरा म्युजियम की स्थापना १८७५ में हुई थी लेकिन उसके सामान का वेरीफिकेशन सन् १९३० में हुआ । उसमें २८८

सामान खोये पाये गये । दूसरा वेरीफिकेशन १९६२ में हुआ जिसमें २०४ सामान यानी आब-जैक्ट्स मिसिंग पाये गये और २३१३ आबजैक्ट्स सरप्लस में पाये गये। मथुरा म्यूजियम की एक बुद्ध की मूर्ति खो गई थी । उसके लिये सी०आई०डी० द्वारा छानबीन जारी है। लेकिन प्रसन्नता इस बात की है कि हमने डाइरेक्टर साहब से कहा, मुख्य मंत्री की आज्ञा लेकर, और डाइरेक्टर साहब, श्री जहीर, कई बार दिल्ली गये । भारत की सरकार ने इंटरनेशनल पुलिस, जिसका हैडक्वार्टर पैरिस में, फ्रांस में, है, उसे लिखा और ३,४ महीने में उसने यह पता लगाया कि यह मूर्ति जो है सो कुशान पीरियड की है जो स्विटजरलैन्ड के म्युजियम में मौजूद है। उसे हिन्दुस्तान में लाने के लिय पत्र-व्यवहार जारी है और आशा है कि वह मूर्ति आ जावेगी । यह भी आदेश देने के प्रोसेस में है कि जितना भी सामान अब तक खोया है उन सबके फोटो जितने भी म्यूजियम्स हैं सबको भेजे जावें और वे देखें और पता लगावें और भारत सरकार को रिपोर्ट दें कि जिससे ये खोई हुई चीजें प्राप्त हो जावें । कल्चरल अफेयर्स डिपार्टमेंट की ओर से यह बहुत बड़ा कदम जो है इन ४,५ महीनों में उठाया गया है। इसी प्रकार से लखनऊ म्यूजियम में भी.....

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कितना समय लेंगे ? कटमोशन का भी समय वे अपनी तारीफ में ही न खत्म कर दें । इसका जरा ध्यान रखा जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

(डाक्टर सीताराम से) आप २,३ मिनट में ही खत्म कर दें तो अच्छा हो ।

डाक्टर सीताराम—

लखनऊ म्यूजियम में इसी प्रकार से जो है एक अफसर साहब मुअत्तल हैं । मामले चल रहे हैं और इसी प्रकार से और भी कार्यवाही जो है सो हो रही है। इस पर और भी बहुत सी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत से ऐसे माननीय सदस्य हैं जो कल्चरल अफेयर्स और साइंटिफिक रिसर्च में काफी जानकारी रखते हैं, वे भी कुछ सुझाव हमारे सामने रखना चाहेंगे । मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि हम उनके सुझावों से फायदा उठायेंगे और विभागों में जो भी कमियां होंगी उनको दूर करने का प्रयास करेंगे ।

श्री भगवानसहाय—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १६—वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्यकलाप के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह विभाग एक बदकिस्मत विभाग है। बदकिस्मत इसलिये नहीं कि इसमें भ्रष्टाचार, फेवरटिज्म, नैपोटिज्म और करप्शन है बल्कि इसलिये कि इस विभाग की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान बहुत ही कम है। मैं समझता हूं कि जो नादिरशाही इस विभाग में हो रही है वैसी और किसी विभाग में नहीं है। माननीय सीताराम जी ने जो दलीलें पेश कीं अगर वे उन दलीलों को हम लोगों को सुनने के बाद पेश करते तो ज्यादा अच्छा होता ।

उपाध्यक्ष महोदय, म्युजियम में जो एक्जीबिट्स रखे जाते हैं उनमें लाखों रुपये की गोल-माल हो सकती है । मिसाल के तौर पर मैं यह बता देना चाहता हूं कि अभी दिल्ली म्यूजियम में ३–४ साल पहले एक तांबे का सिक्का खरीदा गया था ५ हजार रुपये में । अतः इसमें बेईमानी करने की भी गुंजाइश काफी रहती है। बात यह थी कि पुराने किसी एक राजा ने दूसरे के ऊपर चढ़ाई की थी और वह सिक्का उसने विजयोल्लास में जारी किया था । इन राजों का जिक्र कहीं इतिहास में नहीं था इसलिये इसका बहुत ज्यादा मूल्य था क्योंकि इसने इतिहास में एक नये चैप्टर को खोला ।

[श्री भगवानसहाय]

उपाध्यक्ष महोदय, यूरोप में बहुत दिनों से एंटीक्विटीज को रखने का रिवाज है, लेकिन हिन्दुस्तान में यह रिवाज बहुत ही थोड़े दिनों से चालू हुआ है। हमारे म्यूजियम इस सरकार की देन नहीं हैं, इसलिये इस सरकार के हम आभारी नहीं हो सकते। इन चीजों को अंग्रेजों ने इकट्ठा किया था और ब्रिटिश म्यूजियम में न ले जाकर उनको यहां सही हालत में छोड़ गये। हमारे दो संग्रहालय हैं—एक लखनऊ में और दूसरा मथुरा में। मथुरा म्यूजियम कुशान काल, गुप्त काल, शुंग काल और भारतीय कलाओं पर विदेशी असर के एग्जीबिट्स के बारे में प्रसिद्ध है। लखनऊ म्यूजियम प्राचीन सिक्कों, मुस्लिम काल के सिक्कों आदि के लिये प्रसिद्ध है। लखनऊ म्यूजियम १८६३ में स्थापित किया गया था और मथुरा म्यूजियम १८७४ में, पब्लिक के लिये उनको खोला गया १८८१ में।

लखनऊ म्यूजियम के खिलाफ बहुत दिनों से कुछ शिकायतें चल रही थीं लेकिन यहां तो पक्षपाती लोग रखे जाते हैं। एक डायरेक्टर थे जिनके खिलाफ शिकायत हुई थी कि बाहर से यह ममी लाये थे जो रास्ते में सड़ गयी। जहांगीर के जमाने के कलश खरीदे, वे फरजी साबित हुये। यह खरीद १५,००० रुपये में की गयी थी। इन चीजों की कितनी ही शिकायतें की गयी मगर कोई सुनवाई नहीं की गई, क्योंकि पुराने डाइरेक्टर साहब मुंह चढ़े थे। यह व्यक्ति उसूल से भी बड़े हो गये, उनके ७ खून की माफी थी और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती और नहीं की गयी, लेकिन जनता की आवाज के सामने आखिर उनका कंपलसरी रिटायरमेंट करना पड़ा।

इस म्यूजियम के अन्दर बड़ा भ्रष्टाचार है। उनके हटाने के बाद एक नये किस्म का भ्रष्टाचार वहां शुरू हुआ और वह यह है कि लखनऊ म्यूजियम में एक लैन्ड ऐक्वीजीशन आफिसर Official Administrator करके रखे गये। मुझे नहीं मालूम कि उनकी इल्मी काबिलियत क्या है, लेकिन मुझे यह मालूम है कि किसी म्यूजियम से कोई संबंध उनका कभी नहीं रहा है। वे शायद दिल्ली वगैरह जाते हों तो सिनेमा भले ही देख लेते हों, लेकिन म्यूजियम नहीं देखते होंगे। वह इसके Official Administrator बना कर रखे गये।

मथुरा म्यूजियम में एक डाक्टर बाजपेयी थे। क्यूरेटर की जगह पर उनको २७५—३०० रु० के स्केल में रखा गया था। सरकार से उन्होंने इस बात की दरख्वास्त की थी कि उनकी तनख्वाह बढ़ा दी जाय लेकिन वह सरकार के मुंह लगे नहीं थे। उनकी तनख्वाह बढ़ाने से सरकार ने इंकार किया। नतीजा यह हुआ कि वह सागर यूनीवर्सिटी में ६००—८५० रु० के स्केल में आज १,०५० रुपये पा रहे हैं। यह सरकार अब आज उनको ही १,०५० रुपय पर बार-बार बुला रही है और वह नहीं आना चाहते है क्योंकि वे यहां के विभाग के जो हालात हैं उनमें फिट नहीं हो पाते हैं। उनके जाने के बाद एक नये आदमी के हाथ में चार्ज आया और उसके बाद से एक नये किस्म का भ्रष्टाचार शुरू हुआ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैं कुछ आफिसरों के नाम ले लूं तो वह मेरी मजबूरी है क्योंकि वे आफिसर्स ऐसे नहीं हैं जिनका जवाब इस सदन के अन्दर नहीं आयेगा, वे बहुत पावरफुल किस्म के लोग हैं और बाहर वे मंत्री जी के स्पोक्समैन हैं और मंत्री जी उनके स्पोक्समैन सदन के अन्दर है। वहां एक साहबजादे को मुकर्रर किया जिनकी योग्यता बी०एस-सी० Compartmental है। म्यूजियम एक खिलवाड़ की जगह बना दी गयी है। वे रिलीफ ऐण्ड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट के अन्दर क्लर्क की हैसियत से काम करते थे। बाजपेयी जी को २७५—३०० रु० का स्केल दिया गया था और उनको ३७५—८०० रु० का। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या दुनिया में किसी म्यूजियम के इतिहास में इस योग्यता का आदमी रखा जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, खैर, यहां लैन्ड ऐक्वीजीशन आफिसर रखा गया था। वह यहां से चला गया, तो उनकी जगह एक पी० सी० एस० कंसालिडेशन आफिसर को बुलाया गया। मुझे नहीं मालूम कि उनकी इल्मी काबिलियत क्या है। ग्रेजुएट तो जरूर होंगे, लेकिन काहे में ग्रेजुएट है, जुआलोजी में है, बोटेनी में हैं पता नहीं है, लेकिन यह मैं जरूर जानता हूं कि जरूर

म्यूजियम से उनका कोई संबंध नहीं रहा है और यह दोनों आफिसर डाइरेक्टर-कम-सेक्रेटरी के मातहत मुजफ्फरनगर ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में रह चुके हैं। इनके आते ही ओ०एस० डी० की पोस्ट खत्म कर दी गयी और उसे ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर का नाम रखा गया।

(लाल बत्ती होने पर)

उपाध्यक्ष महोदय, और कोई बोलने वाला नहीं है, इसलिये मुझे लाल बत्ती न दिखायें।

श्री उपाध्यक्ष ––

अब आप बहुत बोल चुके हैं। अगर कोई नहीं बोलेगा तो आप और बोल लीजिये।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)––

मैं भी बोलना चाहूंगा।

श्री भगवानसहाय––

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखा गया कि मथुरा म्युजियम के ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर को मुस्तकिल कर दिया जाय। उन्होंने इस बात को करने से इनकार किया, कमीशन ने इस बात को तस्लीम नहीं किया। इसलिये वह जगह फिर ऐडवरटाइज की गयी। उस ऐडवरटिजमेंट का नमूना मैं आपके सामने पेश करता हूं कि असिस्टेंट क्यूरेटर के लिये क्या क्वालिफिकेशंस रखी गयी थीं। वन असिस्टेंट क्यूरेटर एम०ए० इन ऐनशिएंट हिस्ट्री विद संस्कृत इन बी० ए०, आर एम०एस०-सी० इन जूलोजी विद जियोलाजी आर ऐन्थो-पोलाजी इन बी० एस०-सी०।

इसी तरह से ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर आर्केलाजिकल म्यूजियम, मथुरा। पद गजटेड तथा अस्थायी है, किन्तु तृतीय योजना में चलते रहने की संभावना है। (विज्ञापन संख्या ५३९। विभाग संख्या आर-ए-३) वेतन २५०–२५–४००–द०रो०–३०–७००–द०रो०–५०–८५० रुपये।

अर्हतायें––(१) बी०ए० या बी० एस-सी०, (२) म्यूजियम के कार्यों का २ वर्ष का अनुभव तथा (३) प्रशासकीय योग्यता तथा लेखा नियमों का सम्यक ज्ञान। आयु २१ जुलाई, १९६२ को ४५ वर्ष से कम। श्रीमन्, आप जरा इस पर गौर करें कि बी०ए० हो या बी० एस-सी० हो या बी०एस-सी० और उसे म्यूजियम में कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव हो। इससे साफ मालूम होता है कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर, मथुरा की क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखकर ही रखा गया है और यदि यह कहा जाय कि केवल दिखलाने के लिये यह ऐडवरटिजमेंट किया गया है, तो कोई गलत बात न होगी। अगर यह गलत बात हो तो डाक्टर सीताराम जी इसका खंडन करें।

श्री उपाध्यक्ष––

आप दो मिनट में खत्म करें। फिर आपको रिप्लाई का मौका मिलेगा।

श्री भगवानसहाय––

श्रीमन्, ललित कला एकेडमी में भी Incharge की जगह के लिये मथुरा के ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर ने एप्लाई किया था और Secretary-Cum-Director of Department उसके expert की हैसियत से जांच के लिये बैठे थे। पता नहीं उसका रिजल्ट क्या रहा। डाक्टर काला को लखनऊ में Director के पद के लिये बुलाया गया। यह Appointment PSC से चुनने के बाद करीब सालभर के बाद उनको दिया गया। लेकिन साल डेढ़ साल के बाद ही उन्हें मजबूर होकर यहां से छोड़कर चले जाना पड़ा। जैसे अंग्रेजों ने बंगाल की दीवानी अपने हाथ में कर ली थी और वहां की बरबादी की बुनियाद डाली, उसी तरह से इन दोनों म्यूजियम को अपने हाथ में कर लिया Director-Cum-Secretary महोदय ने। म्यूजियम में जो ड्यूटीज दी गयी हैं वह मैं आपके सामने बतला दूं। यह पत्र संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश का है जिससे मैं बतला रहा हूं।

[श्री भगवान सहाय]

और Director-cum-Secretary को संबोधित है। इन दोनों जगहों पर एक ही आदमी काम कर रहा है।

"I am directed to say that the duties and functions of the Director and Administrative Officer, State Museum, shall be as enumerated below :

1. Director, State Museum—
   (1) Arrangement and care of exhibits ;
   (2) Maintenance and repairs of the buildings ;
   (3) Supervision over the work of Assistant Curators, Galery Assistants, Guide Lecturers, Technical and Watch and Ward staff ;
   (4) Maintenance of Section Register ; and
   (5) Maintenance of Card Catalogues.
2. Administrative Officer, State Museum—
   (1) Control over staff and their appointment etc.,
   (2) Drawal and disbursement of funds ;
   (3) Maintenance and custody of general accession register ;
   (4) Due charge of valuable objects in the Museum ;
   (5) Selective verification of valuables in the Museum ;
   (6) Handling of transactions in respect of art purchases.

इस तरह से सारी पावर ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर के हाथ में है और टेक्निकल अफसर उसके रहमो करम पर है। जो टेक्निकल हैन्ड हैं और जो म्यूजियम की रूह हैं उन को कोई पावर नहीं है, उनको ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर की मरजी पर छोड़ दिया गया है। (लाल बत्ती होने पर) मैं अब थोड़े में ही कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त कर दें।

श्री भगवानसहाय—

एक मिनट में समाप्त करता हूं। श्रीमन्, इसी सदन में मैंने मथुरा म्यूजियम के विषय में सवाल पूछे थे कि लखनऊ से हटाते वक्त कितनी मूर्तियां टूटीं, तो उनका जवाब दिया गया कि कोई नहीं टूटी। लेकिन उसका सही जवाब था कि हां टूटीं। उन प्रश्नों का झूठा जवाब जानबूझ कर दिया गया। मैं डाक्टर बासुदेव शरण की रिपोर्ट से यह तस्वीर पेश करना चाहता हूं जिसमें साबुत मूर्ति की तस्वीर है और टूटी हुई मूर्ति की तस्वीर भी पेश करता हूं। इस तरह से उन स्थानों के लिये ऐसा इनएफीशियेंट स्टाफ रखा गया जिसके कारण बेशकीमती मूर्ति टूटीं और मथुरा म्यूजियम से बेश कीमती मूर्तियां गायब हुईं। ३५० चीजें मथुरा म्यूजियम से गायब हुई हैं। शम्भू मल से एग्जिबिट खरीदे जाते हैं जब कि आदेश हैं कि जो लाइसेंस होल्डर हैं खरीदारी के लिये केवल उन्हीं से खरीदी जायं। शम्भूमल लाइसेंस होल्डर नहीं है, लेकिन उनसे खरीदारी की जाती है। कानून के अन्दर उन का चालान हो सकता है और चीजें जब्त की जा सकती हैं। मथुरा जिले में एक कानून है जो १९०८ से चल रहा है कि जिले से कोई भी पुरानी चीज कलेक्टर या आक्यालोजिकल अफसर की इजाजत के बिना नहीं हटाई जा सकती है। मथुरा में antiquities इकट्ठा करने का ठेका दिया जाता है और ठेकेदार से जो भी (एग्जीबिट्स) म्युजियम के लिये

जरूरी हैं मुफ्त लिये जाते हैं, बाकी की इजाजत ठेकेदार को बेचने की दे दी जाती है । इस संबंध में सरकारी आदेशों की संख्या वह तिथियां है--

G. O. no. 206-MS/110-MS—1927, dated 27th August, 1928 and G. O. no. 1303/XII—207-1908, dated 8th August, 1908.

इस सम्बन्ध में मैं मथुरा म्यूजियम की एक ऐनुअल रिपोर्ट से पढ़कर अंग्रेजी में सुनाना चाहता हूं जो सन् ३१ की है--

The Hon'ble High Court upheld the judgment given by the trying Magistrate here about the fine and confiscation of the find. The Vice-Chairman succeeded in tracing (timely)how it was removed unlawfully and reported the matter to the Superintendent, Archaeological Survey, whereupon necessary action was taken to get the said offender punished a second time now.

मतलब यह है कि इस तरह से जो चीजें गायब हुईं उन के सिलसिले में जुरमाना हुआ और चीजें भी जब्त की गईं और हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को बहाल किया । मैं वह लिस्ट पढ़े देता हूं कि जो चीजें मथुरा म्युजियम से गायब हुई हैं या टूटी हैं ।

9-12. Slab containing a portion of an ornamental fieze in low relief showing Yakshas carrying a big lotus garland on shoulders, the intervening spaces are filled by a palmatte rising from a lotus rosette was broken during present regime.

No. 1913 Punyasala pillar inscription, deposited in 1929 in Mathura Museum. The record is dated on the 1st day of Gurppiya Macedonian, month (Bhadrapada) in the year of Devaputra Shahi Huvishka, was broken during present regime.

Brackets numbering J.595 a-b reported as damaged. The female figures standing on kneeling human being (nar-vahana) and on the head of an elephant (gajvahana), clasp with their right and left hands respectively branches of trees. Carved in graceful curves and charming style. Such brackets bear the technical names of Torana-salbhanjika in sanskrit literature, and the term has been appropriately rendered as the motif of the woman and tree.

A-29. reported to be missing from Mathura. Museum. Head of a Buddha image (1, 4") of colossal size, protuberance mark, nose and ear damaged. Hair arranged in rows of schematic waves. Mark on the forehead indicated by a slightly raised disc has gone to Germany.

Image of Bodhisattva Maitreya of Kushana period standing on lotus pedestal (traces on back visible). This image was confiscated by District Magistrate Mathura from an Asiatic embassy staff and has now gone out of India.

An image of Bodhisatva 1'×6", a very delicate work of art was displayed in main gallary and is also published in differant catalogues was broken during present regime.

जो मूर्ति एक डिपलोमेट फारेनर लिये जा रहे थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वह मूर्ति शम्भु मल ने ८००० में बेची । यह एक बेशकीमती मूर्ति है । सरकार को कोशिश करनी चाहिये थी कि वह देश के बाहर न जाती, लेकिन दुख है कि वह बाहर गई और सरकार ने कोई ठोस कदम इसको बाहर जाने से रोकने के लिये नहीं उठाया । सरकार की इस गफलत की कोई भी वजह समझ में नहीं आती है ।

श्री उपाध्यक्ष--

२० मिनट हो गये, आप समाप्त करें ।

[श्री भगवान सहाय--]

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने झूठे जवाब सवालों के देकर मुझे रोकना चाहा कि मैं गलतफहमी में रहूं, तो यह गलत हैं, मैं दूसरे जरिये निकालूंगा। सरकार की निरन्तर कोशिश रही है और वह यह कि मैंने दो सवाल पूछे थे जिनके द्वारा जानकारी चाही थी कि कितने ऐग्जीबिट्स गायब हैं। तो वह सवाल नामंजूर किया गया और यह कहा गया कि गोपनीय है। उसमें क्या गोपनीयता थी कि कितने ऐग्जीबिट्स पत्थर के हैं, कितने मिट्टी के हैं, कितने ब्रौन्ज के हैं। आप सरकार की बात को मानने से पहले कम से कम छानबीन कर लें कि सरकार का तर्क सही है कि नहीं और फिर सवाल नामंजूर करें।

कोलोसल टाइप बुद्ध हैड Muttra Museum J 4749 of 5th Century A. D. १,५०० रुपये का एक पार्टी से खरीदा और जिससे लिया उसको १,१०० रुपये दिया गया। जब उसने इस बारे में जिला मैजिस्ट्रेट व स्टेट गवर्नमेण्ट को लिखा और उसकी जांच की गयी तो उस मामले को हश अप किया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी मेरे द्वारा उठायी गई बातों का जवाब दें।

श्री शांतिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा)--

उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं। अभी जो माननीय सदस्य ने इस विभाग के बारे में जो कुछ बातें कहीं उनमें कोई ऐसी नई बात नहीं है बल्कि वही बातें हैं जो रोजाना इस सदन में कहते रहते है। मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो बजट उन्होंने इस साल पेश किया है वह पिछले साल की तरह तो नहीं है, बल्कि उसमें बहुत-सी कटौती कर दी गई है, लगभग ६० प्रतिशत रुपया संग्रहालय पर कम कर दिया गया जिसके कारण अब इस विभाग के काम बढ़ नहीं पायेंगे। इस महत्वपूर्ण विभाग के लिये जरूरी था कि इसमें कटौती न होती और आज के जमाने में जिन चीजों की जरूरत थी उनको खरीदा जाता।

प्रदेश की सरकार के अन्तर्गत तीन सौ स्थान सांकृतिक कार्यकलाप के आते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे बुद्ध तीर्थ स्थान हैं, जैसे कसिया, सारनाथ या भारत सरकार के अधीन हैं, लेकिन प्रदेश की सरकार के अन्तर्गत श्रावास्ती, मगहर हैं जिनके बारे में सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है, उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है जब कि वहां विदेशी उन स्थानों को देखने के लिये आते हैं, बलरामपुर स्टेशन पर बरमा और जापान से यात्री आते हैं। उनको दिखाने के लिये वह खुदाई की जाती ताकि पुरानी चीजें निकलतीं और अनुसंधान होता। इसी तरह से हमारे गोंडा जिले में एक स्थान है जिसके राजा देवी बक्श सिंह सन् १८५७ के स्वतंत्रता संग्राम के एक वीर सेनानी थे और जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी और उनकी सारी जायदाद अंग्रेज सरकार ने हड़प ली थी और उसके बाद वह नैपाल की तराई में भटकते रहे और वहीं पर उन्होंने अपने जीवन के अन्तिम दिन बिताये। उनकी जो जन्म-भूमि है गोंडे जिले में और वहां जो खंडहर हैं वहां के ताल्लुकेदार उन पर व्यक्तिगत लोगों को घर बनाने के लिये पट्टे पर दे रहे हैं इस तरह से उस जमीन की पवित्रता नष्ट हो रही है। अमृतलाल नागर जी गोंडा गये थे तो उस स्थान को देखा था और यह सुझाव दिया था कि यह एक ऐसा ऐतिहासिक स्थान है जिसकी रक्षा होनी चाहिये, लेकिन उसकी रक्षा न होकर वह जमीन व्यक्तिगत लोगों को उठाई जा रही है। इस स्थान की सुरक्षा के लिये मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि यादगार के लिये एक पार्क बनवाया जाय और जिन्होंने जमीन ले ली है उनसे वापस ली जाय। इस सम्बन्ध में जिलाधीश को आज्ञा दे दी जाय और उस जमीन की गारंटी सरकार ले ले तो अच्छा होगा। इन शब्दों के साथ प्रस्तुत अनुदान का मैं समर्थन करता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

श्रीमन्, मैं दो-तीन मिनट के अन्दर अपनी बातें कहूंगा। बहुत से ऐसे महकमे खोले गये हैं जो अपने सगे सम्बन्धियों के लिये हैं। उसमें यह महकमा भी है। १६ लाख रुपया रखे गये हैं सांस्कृतिक कार्यकलाप के नाम पर। हर साल कुछ लोगों की जेबों में वह रुपया जाता

है। उत्तर प्रदेश सरकार अगर सचमुच सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति ईमानदार है तो कभी सरकार ने सदन के अन्दर कोई नीति निर्धारित की ? लखनऊ के रहने वाले लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि नाच-गाने पर लोगों को आम तौर पर क्या मिलता है। बहुत थोड़े लोग हैं जिन्होंने छोटी छोटी सोसाइटियां खोल ली हैं और उनकी पहुंच मंत्री जी के पास हो गयी है उन्हे ग्रान्ट मिल जाती हैं। लेकिन बहुत-सी संस्थायें ऐसी है जो आम लोगों में काम करती हैं और उनका सांस्कृतिक स्तर भी बड़ा ऊंचा है लेकिन उनकी पहुंच नहीं हो पाती है।

पिछले दिनों बहुत से फरजी संगठन सांस्कृतिक कार्यकलाप ने नाम पर बन गये थे जो सरकार से पैसा पाते रहे है। भूतपूर्व मुख्य मंत्री सम्पूर्णानन्द जी के लड़के सर्वानन्द जी एक कमेटी बनाये हुये थे जो कमेटी कहीं भी नाटक वगैरह नहीं करती थी लेकिन लाखों रुपया उस कमेटी को इस सरकार से दिया गया। इलाहाबाद में एक ऐसी संस्था है जो दिल्ली एकेडेमी से समानता प्राप्त किये हुये है और ६, ७ साल से उसका नाम भी काफी है लेकिन उसे मान्यता प्राप्त नहीं हो सकी। फिर जो नाच-रंग के भद्दे ढंग होते हैं उन्हें सरकार बन्द कराये अगर सही मानी में सरकार सांस्कृतिक उत्थान करना चाहती है। लखनऊ शहर में हिजड़ों का नाच होता है इससे कैसे सांस्कृतिक स्तर बढ़ सकता है? इसके लिये सुसंगठित प्रयास सरकार की तरफ से होना चाहिये।

भगवान सहाय जी ने मूर्तियों के बेचने की जो बात कही वह सही होगी। कन्नौज में खुदाई हुई। बहुत सी मूर्तियां पुरातत्व विभाग के लिये मिलीं जिनकी संस्कृति और सभ्यता को देख कर गौरव हो सकता था। लेकिन जिलाधीश और बड़े लोगों ने उन पुरानी मूर्तियों को विदेशियों को बेचा है। एक करोड़पति है उसने तमाम मूर्तियों को लेकर अपने घर में सजा कर रखा है और सरकार कोई देखभाल नहीं कर रही है। पुरातत्व विभाग की इस धांधली को भी बन्द करना होगा।

तो मैं इस कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुये यह कहना चाहता हूं कि अगर सचमुच सरकार चाहती है कि यह काम हो तो उसको कोई नीति अपनानी चाहिये लेकिन आजतक कोई नीति नहीं बनी है और यह मद इसीलिये बनी है कि चंद अपने सगे संबंधियों को मदद की जाय। मैं सदन के सम्मानित सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जबतक कोई नीति नहीं बनती है तब तक एक भी पैसा इस सरकार को अनुदान के रूप में इस मद में न दे।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय भगवान सहाय जी, आप पांच मिनट में खत्म कर दीजिये।

श्री भगवानसहाय--

मेरे सवाल की छानबीन किये बगैर अगर आप चाहते हैं कि मैं बैठ जाऊं तो ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष--

देखिये, एक घंटा टाईम था। उसमें से २०-२२ मिनट आपने ले लिये। आप जवाब दीजिये।

श्री भगवानसहाय--

उपाध्यक्ष महोदय, अगर सरकार की तरफ से इस म्यूजियम के बारे में इस तरह की धोखा देने की कोशिश की गयी तो मुझे मजबूर होकर इन जीजों को इस हाउस के सामने किसी और तरीक से लाना पड़ेगा। आज मैंने अपनी जबान बहुत कंट्रोल में रखी है। वहां जो औरतबाजी के किस्से या जो और नाजायज चीजें इस डिपार्टमेंट के अन्दर होती हैं, मुझको आप मजबूर मत कीजिये कि इस हाउस के अन्दर उन सब बातों को कहूं। लेकिन अगर सरकार की तरफ से मेरी जबान को बन्द करने की कोशिश हुई तो मैं उन सब बातों का भंडाफोड़ करूंगा। एक म्युजियम ऐडवाइजरी कमेटी बनायी गयी है। उसमें दो नामिनेशन्स किये गये। उनमें से एक लखनऊ की औरतों के एक कालेज की एक नवयुवती का है। इस सूबे में जहां इतने डिग्री कालेजेज

[श्री भगवानसहाय]

और यूनिवर्सिटीज हैं उनमें एमीनेन्ट हिस्टोरियन्स मौजूद हैं, उनकी सर्विसेज की आवश्यकता इस डिपार्टमेंट को नहीं है। दूसरा नामिनेशन एक यंग लेक्चरर २९ साल का किया गया। इन लेक्चरर के पिता म्युजियम की एक दूसरी कमेटी से संबंधित हैं। म्युजियम के लिये ४,७०० रुपये का स्याह कलम का मुरादाबाद का कार्मशियल आर्ट (Commercial art) का खलीफा मकबूल से खरीदा गया और डायरेक्टर साहब ने उसके लिये चिट्ठी लिखी कि उनको travelling allowance दिया जाय। अगर इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के थ्रू लिया होता तब भी कोई बात होती, लेकिन डायरेक्टर के आर्डर से यह सामान लिया गया। एक्सपर्ट परचेज कमेटी (expert purchase committee) से कोई राय नहीं ली गयी।

श्री उपाध्यक्ष—

आप जवाब दे रहे हैं, जरा उसी पर अपनी स्पीच को कन्फाइन कीजिये।

श्री भगवानसहाय—

मैं जवाब ही दे रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि इस मौजूदा रेजीम के अन्दर मथुरा म्युजियम से पिछले दो साल के अन्दर लखनऊ को और लखनऊ से मथुरा को कितने ट्रंक काल्स हुये? मेरी जानकारी यह है कि औसत एक काल डेली का आता है। मौजूदा ऐडमिनिस्ट्रेटिव (administrative) अफसर ने पिछले दो, तीन साल में जितना दौरा किया उतना पिछले दस साल में भी नहीं हुआ होगा। मेरी जानकारी है कि करीब ३७५ दिन।

श्री उपाध्यक्ष—

आप दो मिनट में खत्म कीजिये।

श्री भगवानसहाय—

मैं यह जानना चाहता हूं कि मौजूदा रेजीम में वहां कितना काम हुआ? क्या माननीय बनारसीदास जी और माननीय मुख्य मंत्रीजी के कमरों में ६ सौ रुपये की गोदरेज की रिवालविंग चेयर है जो मथुरा म्युजियम के ऐडमिनिस्ट्रेटर के लिये मंगायी गयी है? मैं माननीय बनारसीदासजी से जानना चाहूंगा कि क्या उनके मकान में स्पेशल स्प्रेयर्स नहाने के हैं जो कि मथुरा के ऐडमिनिस्ट्रेटिव अफसर म्यूजियम के यहां लगाए गये हैं? मैं उनसे जानना चाहूंगा कि क्या उनके मकान के अन्दर फर्निशिंग का वह स्टैंडर्ड है जो कि मथुरा के एडमिनिस्ट्रेटिव डाइरेटर के यहां है? क्या उनके यहां ५० रुपये के लैम्पशेड (Lamp shade) व १०० रुपये के डोर करटेन्स (Door curtains) हैं जो म्युजियम के ऐडमिनिस्ट्रेटिव अफसर के लिये मंगाये गये हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय भगवान सहाय जी, नई बात न छेड़िये। जबाब दीजिये।

श्री भगवानसहाय—

मैं यह कह रहा था कि यह बड़ा संजीदा मामला है। यह विभाग आज बदकिस्मती सेया खुशकिस्मती से सदन की रोशनी देख सका है और इसके अन्दर की थोड़ी-सी चीजों का मैं जिक्र ले आया। हमारी समझ में नहीं आता है कि मथुरा के ऐडमिनिस्ट्रेटिव अफसर के डाइरेक्टर से क्या खास ताल्लुकात हैं कि उनके सातो खून माफ हैं? मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कभी उन्होंने इन चीजों पर तवज्जुह दी? यह जो एग्जीबिट (exhibit) ए–२९ है यह एक फीट ४ इंच की है वजन ३० सेर। यह जेब में नहीं आ सकती है, बैग में नहीं जा सकती। यह मथुरा से कैसे गयी और चोरी की इत्तला बर्लिन (Ber in) म्यूजियम के इंडोलजी सेक्शन (Indology Section) के इंचार्ज डा० हन्टेल ने मय तस्वीर के यू० पी० की सरकार को दी। इसके के बारे में कोई सूचना मथुरा के म्यूजियम के अधिकारियों को नहीं थी। मथुरा म्यूजियम में बैडमिंटन का एक क्लब है। उसका सामान स्टोर रूम में रहता है। उसकी ताली चपरासी के पास रहती है। उसी स्टोर रूम में म्यूजियम की बेशकीमती चीजें भी रखी रहती हैं। तो वहां से चोरी हो जाने की बात समझ में आती है। मैं कहता हूं कि इसके असली कल्प्रिट्स को

बताने की विभाग की कोशिश नहीं है, अतः इधर उधर के लोगों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि असली कल्प्रिट्स बच जायं, यह साजिश है।

डाक्टर सीताराम—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय काशीनाथ जी मिश्र ने जो बात कही उससे मालूम होता है कि शायद उन्होंने बजट की पुस्तक पढ़ने का कष्ट नहीं किया है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

पढ़कर सुनाने का मौका नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि रामपुर में कितना दिया है ?

डाक्टर सीताराम—

आप जो बात कह रहे थे, मैं उसका जबाब देना चाहता हूं। अभी माननीय भगवान-सहाय जी ने म्यूजियम के बारे में बहुत सी बातें कहीं। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि उनका अध्ययन काफी है। सोशल, कल्चरल एन्ड साइंटीफिक रिसर्च के अन्तर्गत ९ इंस्टीट्यूशन्स हैं। ८ के बारे में कोई चीज नहीं मिली। शुरू से लेकर आखिर तक जो उनका वक्तव्य हुआ वह म्यूजियम के ऊपर हुआ। न उन्होंने विज्ञान मंदिर के बारे में कुछ कहा न आब्जर्वेटरी के बारे में कुछ कहा या किसी और संस्था के बारे में किसी भी प्रकार की विहंगम दृष्टि डालने का प्रयास नहीं किया, म्यूजियम के बारे में ही कहा। वक्तन फवक्तन उनसे बातचीत भी होती रहती है। जिन बातों को उन्होंने सदन के समक्ष रखा है उनके संबंध में बताना चाहता हूं कि डाक्टर तारा साहब और डाक्टर बाजपेई के बारे में ये पोस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा एडवरटाइज हुई। डाक्टर काला साहब यहां पर ज्वाइन किये। वह इलाहाबाद की म्युनिसिपैलिटी के म्यूजियम में प्राइवेट कर्मचारी हैं। उनको सरकारी नौकरी पसन्द नहीं थी। बहुत सी बातें हैं जिनको मैं इस सदन के सामने उद्धरण स्वरूप पेश करना ठीक नहीं समझता क्योंकि मैं समझता हूं कि जिनकी आजादी जाती है वह क्या करते हैं। अफसरों के ऊपर दोषारोपण करने के लिये नाना प्रकार की बातों को सामने रखते हैं। डाक्टर काला को जो काम दिया गया था वह करना चाहिये था। वह डिक्टेट नहीं कर सकते हेड आफ दि डिपार्टमेंट को कि हम यह काम नहीं करेंगे। एक आदमी जिस विषय में माहिर है उसको अनुसंधान करने का राइट है। जहां तक ऐडमिनिस्ट्रेटर की बात है, ऐडमिनिस्ट्रेटर के आने से लखनऊ म्यूजियम जिसमें अंग्रेजों के जमाने में भ्रष्टाचार था, उस भ्रष्टाचार का ह्रास हुआ है और अब भी जो थोड़ा होगा अगर माननीय सदस्य मुझे बतायेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम उसके खिलाफ कदम उठायेंगे ठीक करने के लिये। डाक्टर काला साहब के बाद जो दूसरे नम्बर पर कमीशन से सेलेक्ट हुये थे, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में हैं। अब वह आ रहे हैं।

कहा गया कि यहां पर पी० सी० एस० आफिसर को ऐडमिनिस्ट्रेटर रखा गया। ऐडमिनिस्ट्रेटर, एम० ए० इन आर्क्यालोजी हैं। उनको जनाकारी है इस विषय में। बहुत सी बातों को भगवान सहाय जी ने कहा। मैं समझता हूं कि उन पर अधिक प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। श्री माथुर के बारे में उन्होंने कहा कि क्युरेटर बना दिये गये। वह क्युरेटर नहीं, ओ० एस० डी० हैं। कमीशन को पोस्ट गयी है। ज्यों ही कमीशन से सेलेक्शन हो जायगा, अगर वह नहीं लिये जांय तो हट जायेंगे। टेम्पोरेरी अप्वाइंटमेंट करने का हेड आफ दि डिपार्टमेंट को अराजपत्रित पदों पर ६ महीने या एक साल के लिये और राजपत्रित पदों के लिये छः महीने के लिये अधिकार है ही।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं सदन का टाइम दस मिनट बढ़ाता हूं। वह कन्क्लूड कर लें। उसके बाद वोटिंग होनी है।

श्री भगवानसहाय--

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

जितना टाइम आपने लिया उससे मिनिस्टर साहब को कम मिला।

श्री भगवानसहाय--

मंत्री जी को इस बात का राइट है कि वह मेरे स्पष्टीकरण को इनकार कर दें, आपको राइट नहीं है। मंत्री जी स्पष्टीकरण न देना चाहें तो मैं बैठ जाऊंगा।

डाक्टर सीताराम--

उपाध्यक्ष महोदय, जब वह बोल रहे थे तो मैंने कोई इंटरप्शन नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

वह गिव अप नहीं कर रहे हैं।

श्री भगवानसहाय--

मैं तो स्पष्टीकरण चाहता हूं अगर वह इनकार कर दें तो मैं बैठ जाऊंगा। अगर वह मौका नहीं देना चाहते.....

श्री उपाध्यक्ष--

इसके माने और क्या हुये, वह नहीं देना चाहते, आप समझ लीजिये।

डाक्टर सीताराम--

म्यूजियम के बारे में बताऊं कि वहां पिछले ५ वर्ष में कितना काम हुआ है, दुनिया के और देशों के म्युजियम्स को भी माननीय सदस्यों ने देखा है और मैं कहना चाहता हूं कि जिस अच्छे तरीके से लखनऊ म्यूजियम का कार्य हुआ है उसके परिणामस्वरूप यहां का म्यूजियम भारत का एक अनोखा म्यूजियम होगा। (व्यवधान) आपने भी देखा होगा दुनिया के म्यूजियम्स को और हिन्दुस्तान के और म्यूजियम्स को भी। मैं इन्वाइट करता हूं कि आप चलें और उस को देखें और उनसे इसका मुकाबला करें। हम आपका स्वागत करेंगे। नैनीताल की आब्जर्वेटरी आप चलकर देखें,एक मास में मार्च तक कम्पलीट हो जायगी। उसके बाद भारत सरकार की ओर से भी एक म्यूजियम दिल्ली में है और मदरास वगैरा सब जगहों पर है, उन केयहां मेटीरियल ज्यादा हो सकता है लेकिन उसका कलेक्शन किस तरीके से रखा जाता है उसको आप देखें और अपनी राय दें। बहुत कुछ कमजोरियां हो सकती हैं लेकिन उस में राय देकर के आप उन को ठीक करा सकते हैं। जहां अच्छी चीज होगी उसकी तारीफ करनी होगी और जहां कमजोरी हो उसकी निन्दा जरूर होना चाहिये लेकिन यह कहना कि सब कनडेम है और बड़ा भ्रष्टाचार है इस विभाग में इसको मैं नहीं मानता। ५ सालों में जितना बड़ा काम श्री जहीर ने किया है उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं। इन चन्द शब्दों के साथ में प्रार्थना करता हूं कि यह मांग स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १६--वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्यकलाप के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १६--वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्यकलाप

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के लिये अनुदान संख्या १६--वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्यकलाप के अन्तर्गत १६,९३,७०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३--राज्य आबकारी

डाक्टर सीताराम--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के लिये अनुदान संख्या ३-राज्य आबकारी के अन्तर्गत ३०,९३,६०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के लिये अनुदान संख्या ३-राज्य आबकारी के अन्तर्गत ३०,९३,६०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और परसों साढ़े दस बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बजकर ३४ मिनट पर सोमवार, ४ मार्च, १९६३ के १० १/२ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
२ मार्च, १९६३।

नत्थी 'क'

(देखिये पीछे पृष्ठ ५१९ पर)

उत्तर प्रदेश बृहत् जोत-कर विधेयक, १९६३

बृहत् जोतों पर कर लगाने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

यह आवश्यक है कि राज्य सरकार के वित्तीय साधनों को बढ़ाने के उद्देश्य से वृहत् जोतों पर कर लगाने की व्यवस्था की जाये ;

अतएव भारतीय गणतंत्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

अध्याय १

प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश वृहत् जोत कर अधिनियम, १९६३ कहलायेगा ।

(२) यह पहली जुलाई, १९६२ से प्रचलित हुआ समझा जायेगा ।

परिभाषायें

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में—

(१) "करदाता" का तात्पर्य ऐसे क्षेत्रपति से है जिसके द्वारा जोत कर देय हो तथा उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में इसके अन्तर्गत उसका विधिक प्रतिनिधि भी है ;

यू०पी० ऐक्ट सं० ३,१९०१

(२) "प्रथम श्रेणी का असिस्टेन्ट कलेक्टर" का वही अर्थ होगा जो यू०पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ में Assistant Collector of the first class का दिया गया है;

(३) "कलेक्टर" के अन्तर्गत अपर कलेक्टर (एडीशनल कलेक्टर) भी है;

(४) "आयुक्त" के अन्तर्गत अपर आयुक्त (एडीशनल कमिश्नर) भी है;

ऐक्ट संख्या १, १९५६

(५) "कम्पनी" का वही अर्थ होगा जो कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ की धारा ३ में दिया गया ।

१९५१ ई० का उ० प्र० अधिनियम सं० १

(६) "सहकारी फार्म" का तात्पर्य ऐसे सहकारी फार्म से है जिस पर १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के अध्याय ११ के उपबन्ध प्रवृत्त होते हैं ।

ऐक्ट संख्या २, १९१२

(७) "सहकारी समिति" का तात्पर्य ऐसी कोआपरेटिव सोसायटी से है जो कोआपरेटिव सोसायटीज ऐक्ट, १९१२ के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो और इसके अन्तर्गत सहकारी फार्म भी हैं;

ऐक्ट संख्या ९, १९३२

(८) "फर्म" का वही अर्थ होगा जो इंडियन पार्टनरशिप ऐक्ट, १९३२ में दिया गया है;

(९) "हिस्सेदार" का वही अर्थ होगा जो कुमायूं डिवीजन में प्रवृत्त भौमिक अधिकारों से सम्बद्ध वर्तमान विधि में दिया गया है तथा परगना असकोट के गुजारेदार तथा हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रतिबन्ध से रहित भू-सम्पत्ति के धारक (holders of fee simp'e estates) भी उसके अन्तर्गत हैं ;

(१०) "मध्यवर्ती" का तात्पर्य किसी स्वामी, मातहतदार, अदना-मालिक, ठेकेदार, अवध के स्थायी पट्टेदार, स्थायी काश्तकार, या हिस्सेदार से है ।

(११) "भूमि" का तात्पर्य, अकृष्ट भूमि सहित, ऐसी भूमि से है, जिसके सम्बन्ध में मालगुजारी या लगान निर्धारित हो या उसका भुगतान किया जाता हो या निर्धारित किया जा सकता हो अथवा उसका भुगतान किया जा सकता हो, और जो कृषि, उद्यानकरण, पशु-पालन मत्स्य-संवर्धन या कुक्कुट-पालन से सबम्द्ध प्रयोजनों के लिये किसी की धृति या अध्यासन में हो :

(१२) "क्षेत्रपति" का तात्पर्य:--

(१) मध्यवर्ती से है, यदि उसकी भूमि उसकी निजी जोत में हो अथवा सीर, खुदकाश्त या बाग के रूप में उसकी धृति में हो, तथा

(२) किसी ऐसे अन्य व्यक्ति से है जिसकी धृति अथवा अध्यासन में भूमि--

(क) असामी,

(ख) शिकमी काश्तकार,

(ग) सीर के काश्तकार, अथवा

(घ) सीरतान, से भिन्न रूप में हो,

और यदि क्षेत्रपति कम्पनी या व्यक्तियों का अन्य संघ हो तो इसके अन्तर्गत उसका मुख्य अधिकारी (principal officer) भी है;

(१३) "विधिक प्रतिनिधि" का वही अर्थ होगा जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में लीगल रिप्रेजेंटेटिव (legal representative) का दिया गया है; ऐक्ट संख्या ५, १९०८

(१४) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है ;

(१५) किसी कम्पनी या व्यक्तियों के संघ के सम्बन्ध में प्रयुक्त किये जाने पर "मुख्य अधिकारी" का तात्पर्य कम्पनी या व्यक्तियों के संघ के सचिव, कोषाध्यक्ष, प्रबंधक या अधिकर्ता या किसी ऐसे अन्य अधिकारी से है जिसे कम्पनी या व्यक्तियों के संघ की ओर से कार्य करने का प्राधिकार हो ;

(१६) "अनुसूची" का तात्पर्य इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची सें है;

(१७) "सीरतान" का वही अर्थ होगा जो कुमायूं डिवीजन में प्रवृत्त भौमिक अधिकारों से सम्बद्ध विधि में दिया गया है ;

(१८) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है;

(१९) "परगना अधिकारी" का तात्पर्य यू०पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के अधीन नियुक्त परगना के प्रभारी प्रथम श्रेणी के असिस्टेंट कलेक्टर (Assistant Collector of the first class in charge of a sub-division) सें है तथा इसके अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये इस रूप में निर्दिष्ट कोई अन्य प्रथम श्रेणी का असिस्टेंट कलेक्टर भी है ; यू०पी०ऐक्ट सं० ३, १९०१

यू० पी० ऐक्ट संख्या १७, १९३९

(२०) पद "कृषि–वर्ष" "बाग", "खुदकाश्त", "स्थायी काश्तकार", "अवध का स्थायी पट्टेदार", "स्वामी", "स्वीकृत मौरूसी दरें", "शिकमी काश्तकार", "अदना मालिक", "ठेकेदार", तथा "मातहतदार" के वही अर्थ होंगे जो यू०पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ में क्रमशः पद ("agricultural year," "grove", "khudkast", "permanent tenure holder", "permanent lessee in Avadh", "proprietor", "sanctioned hereditary rates", "sub-tenant", "sub-proprietor", "thekedar" and "under-proprietor" के दिये गये हैं; तथा

१९५१ ई० का उ०प्र०अधिनियम संख्या १

(२१) पद "असामी" का वही अर्थ होगा जो १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम में दिया गया है।

अध्याय २

जोत कर का आरोपण

जोत कर का लगाया जाना।

३––(१) प्रत्येक कृषि वर्ष के लिये ऐसी जोत के, जिसका क्षेत्रफल तीस एकड़ से अधिक हो, वार्षिक मूल्य पर अनुसूची में निर्दिष्ट दरों पर कर, जिसे "जोतकर" कहा जायेगा, लगाया जायेगा और उसका भुगतान किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जोत के क्षेत्रफल की गणना में पांच एकड़ से अनधिक ऐसे क्षेत्रफल की, जिस पर भवन हो या जो उससे अनुलग्न हो, गणना नहीं की जायगी।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुये भी, यदि किसी जोत के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार अधिनियम, १९६२ के अधीन अधिभार लगे––

(क) और वह अधिभार, उपधारा (१) के अधीन जोत के सम्बन्ध में लगने योग्य जोत–कर की धनराशि से कम न हो, तो उस जोत के सम्बन्ध में कोई जोत–कर देय न होगा; और

(ख) अन्य दशाओं में, उस जोत के सम्बन्ध में लगने वाले जोत–कर की धनराशि में से, उस जोत के सम्बन्ध में लगने वाले अधिभार की धनराशि घटा दी जायेगी।

विमुक्तियां तथा छूट

(३) जब राज्य सरकार लोक हित में ऐसा करना आवश्यक समझे तो वह गजट में विज्ञप्ति द्वारा ऐसी अवधि के लिए जो वह उचित समझे, भूमि के किसी वर्ग को जोत कर से पूर्णतः अथवा अंशतः विमुक्त कर सकती है या उसके संबंध में देय जोत-कर में छूट दे सकती है।

जोत

ऐक्ट संख्या २१, १९६०

४––"जोत" का तात्पर्य ऐसी समस्त भूमि के योग से है जो किसी कृषि वर्ष के प्रथम दिन किसी क्षेत्रपति द्वारा धृत हो।

स्पष्टीकरण––(१) भूमि जो किसी ऐसे निगमित संघ, जो सहकारी समिति से भिन्न हो, किन्तु सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १८६० के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी या संघ जिसके अन्तर्गत है, या किसी कम्पनी या फर्म द्वारा धृत हो, एक ही जोत समझी जायेगी।

स्पष्टीकरण—(२) यदि भूमि संयुक्त रूप से दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा अथवा किसी सहकारी समिति द्वारा धृत हो तो उस भूमि में ऐसे व्यक्ति के या सहकारी समिति के किसी सदस्य के हिस्से का क्षेत्रफल इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उस व्यक्ति या सदस्य द्वारा धृत समझा जायेगा ।

स्पष्टीकरण—(३) सहकारी फार्म की दशा में पद "भूमि में सदस्य के हिस्से का क्षेत्रफल" का तात्पर्य ऐसी भूमि के क्षेत्रफल से है जो उक्त फार्म के उस सदस्य द्वारा या उसकी ओर से अंशदान के रूप में, फार्म को दी गयी हो ।

वार्षिक मूल्य

५—(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, किसी जोत का वार्षिक मूल्य ऐसी धनराशि समझा जायगा तो तदन्तर्गत भूमि अथवा भूमियों के लिये देय लगान को साढ़े बारह से अनधिक ऐसे गुणक से गुणा करने पर प्राप्त हो जो नियत किया जाये और विभिन्न जिलों अथवा जिले के भागों अथवा जोत के अन्तर्गत भूमियों के विभिन्न वर्गों के निमित्त विभिन्न गुणक नियत किये जा सकते हैं ।

(२) उप-धारा (१) के प्रयोजनों के लिये देय लगान, जोत के अन्तर्गत भूमि अथवा भूमियों पर लागू स्वीकृत मौरूसी दरों से अथवा जहां स्वीकृत मौरूसी दरें न हों वहां ऐसे सिद्धांतों पर जो नियत किये जायें आकलित धनराशि समझा जायेगा:—

प्रतिबन्ध यह है कि उन दरों को जो पहली जुलाई, १९२७ के पूर्व स्वीकृत हुई थीं राज्य सरकार पचास से अनधिक ऐसे प्रतिशत से बढ़ा सकती है, जो गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निर्दिष्ट किया जाये और भूमियों के विभिन्न वर्गों तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के निमित्त विभिन्न प्रतिशत निर्दिष्ट किये जा सकते हैं ।

अध्याय ३

जोत कर का निर्धारण

कर-निर्धारक प्राधिकारी

६—(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये कर-निर्धारक प्राधिकारी का तात्पर्य ऐसे परगना अधिकारी से होगा जिसके अधिक्षेत्र में क्षेत्रपति साधारणतया रहता हो :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार निदेश दे सकती है कि प्रथम श्रेणी का कोई असिस्टेन्ट कलेक्टर जो उसके द्वारा इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट किया जाये, सम्पूर्ण जिले में अथवा उसके किसी भाग में उन समस्त अथवा किन्हीं अधिकारों का, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कर-निर्धारक प्राधिकारी को प्राप्त हों, किसी अन्य कर-निर्धारक प्राधिकारी के होते हुये भी अनन्य रूप से प्रयोग करें:

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि क्षेत्रपति साधारणतया उत्तर प्रदेश में न रहता हो तो उस परगने का, जिसमें भूमि स्थित हो परगना अधिकारी और यदि जोत एक से अधिक परगनों में स्थित हो तो ऐसे परगनों में से उस परगने का जिसे क्षेत्रपति नियत रीति से चुने परगना अधिकारी कर-निर्धारक प्राधिकारी होगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि जब उपर्युक्त रीति से परगना न चुना गया हो और यह प्रश्न उठे कि सम्बद्ध परगना अधिकारियों में से कौन कर-निर्धारक प्राधिकारी है तो इस सम्बन्ध में उस प्राधिकारी का निर्णय, जो इस प्रयोजन के लिये नियत किया जाये, अंतिम होगा ।

(२) कर–निर्धारक प्राधिकारी ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्राप्त हों ।

जोतों की विवरणियों के सम्बन्ध में नोटिस

७—(१) कलेक्टर, प्रत्येक कृषि–वर्ष में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व नोटिस प्रकाशित करेगा जिसमें प्रत्येक ऐसे क्षेत्रपति से जिस पर जोत–कर देने का दायित्व हो, अपेक्षा की जायेगी कि वह तीस दिन से अनधिक ऐसी अवधि के भीतर उस कर–निर्धारक प्राधिकारी के पास, जो नोटिस में उल्लिखित हो, नियत रीति से सत्यापित विवरणी प्रस्तुत करे जिसमें जोत का क्षेत्रफल तथा अन्य ब्योरे उल्लिखित हों ।

(२) प्रत्येक ऐसे क्षेत्रपति पर भी जो कर–निर्धारक प्राधिकारी की राय में जोत–कर देने का उत्तरदायी हो, नियत रीति से नोटिस तामील किया जा सकता है जिसमें उससे अपेक्षा की जाये कि वह नोटिस के प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जिसकी अनुमति कर–निर्धारक प्राधिकारी स्वविवेक से दे, नियत प्रपत्र में और नियत रीति से सत्यापित एक विवरणी प्रस्तुत करे । कर–निर्धारक प्राधिकारी नोटिस के साथ एक विवरण पत्र भी भेजेगा, जिसमें उस क्षेत्रपति की जोत के वार्षिक मूल्य तथा उसके द्वारा देय जोत–कर के अनन्तिम अनुमान दिये होंगे । अनुमान ऐसे प्रपत्र में तैयार किये जायेंगे तथा उनमें ऐसे ब्योरे होंगे जो नियत किये जायें ।

(३) उत्तर प्रदेश में साधारणतया न रहने वाला क्षेत्रपति विवरणी के साथ एक घोषणा-पत्र भी प्रस्तुत करेगा जिसमें इस अधिनियम की धारा ६ की उपधारा (१) के दूसरे प्रतिबन्धात्मक खंड के अनुसार वह यह भी बतलायेगा कि उसने कौन सा परगना चुना है ।

(४) यदि यथा समय तामील किया गया नोटिस बाद में दोषपूर्ण पाया जाये तो उसके बदले में एक नया नोटिस, मूल नोटिस के तामील किये जाने के दिनांक से तीन वर्ष के भीतर तामील किया जा सकता है ।

कर निर्धारण

८—(१) यदि कर–निर्धारक प्राधिकारी का समाधान हो जाये कि धारा ७ के अधीन प्रस्तुत की गयी विवरणी शुद्ध तथा पूर्ण है तो वह उस विवरणी के आधार पर जोत का वार्षिक मूल्य अवधारित करेगा और उस पर आदेय जोत–कर निर्धारित करेगा ।

(२) यदि कर–निर्धारक प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि धारा ७ के अधीन प्रस्तुत की गयी विवरणी अशुद्ध या अपूर्ण है तो वह विवरणी भेजने वाले क्षेत्रपति से यह अपेक्षा करेगा कि वह विवरणी पूरी करे या उसके द्वारा निश्चित किये जाने वाले दिनांक पर विवरणी के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करे अथवा कराये । क्षेत्रपति ऐसा अन्य साक्ष्य भी प्रस्तुत करेगा जिसके प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा कर–निर्धारक प्राधिकारी उससे करे ।

(३) उपधारा (२) के अधीन निश्चित दिनांक पर या उसके पश्चात् यथा-शक्य शीघ्र, ऐसे साक्ष्य पर जो वह व्यक्ति प्रस्तुत करे और ऐसे अन्य साक्ष्य पर जिसकी कर–निर्धारक प्राधिकारी अपेक्षा करे, विचार करने के पश्चात् कर निर्धारक प्राधिकारी जोत का वार्षिक मूल्य अवधारित करेगा तथा उस पर आदेय जोत कर का निर्धारण करेगा ।

(४) यदि कोई व्यक्ति धारा ७ के अधीन विवरणी प्रस्तुत न करे अथवा विवरणी भेजने के पश्चात् उपधारा (२) अथवा (३) के उपबन्धों का अनुपालन न करे तो कर–निर्धारक प्राधिकारी धारा ७ की उपधारा (२) के अधीन भेजे गये अनुमानों का उचित ध्यान रखते हुये अपने पूर्ण विवेक से कर–निर्धारण करेगा ।

इस अध्याय के उपबन्धों का विधिक प्रतिनिधि पर प्रवृत्त होना।

९—यदि धारा ८ के अधीन कर-निर्धारण के पूर्ण होनेके पूर्व क्षेत्रपति की मृत्यु हो जाने तो कर-निर्धारक प्राधिकारी उसके विधिक प्रतिनिधि पर नियत रीति से नोटिस तामील कर सकता है, और तत्पश्चात् इस अध्याय के उपबन्ध उस पर उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे मानो वह विधिक प्रतिनिधि ही मृत क्षेत्रपति हो।

मांग का नोटिस

१०—जब धारा ८ के अधीन कर-निर्धारण हो गया हो, तो कर निर्धारक प्राधिकारी करदाता पर नियत प्रपत्र में मांग का नोटिस तामील करेगा जिसमें करदाता द्वारा देय जोत कर की धनराशि तथा वह या वे दिनांक निर्दिष्ट होंगे जिनके भीतर भुगतान किया जाये।

जोत कर के निर्धारण के विरुद्ध अपील।

११—(१) कोई करदाता, जो धारा ८ के अधीन निर्धारित जोतकर की धनराशि अथवा दर के सम्बन्ध में अथवा जोत के इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारित किये जाने के दायित्व के सम्बन्ध में कर-निर्धारक प्राधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध हो, धारा १० के अधीन मांग के नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर आयुक्त को अपील कर सकता है।

(२) यदि आयुक्त का समाधान हो जाये कि उपधारा (१) में उल्लिखित तीस दिन की अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत न करने का पर्याप्त कारण था तो वह उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकता है।

(३) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील नियत रीति से प्रस्तुत एवं सत्यापित की जायेगी।

(४) आयुक्त अपील पर ऐसी आज्ञा दे सकता है जो वह उचित समझे और वह उस आज्ञा की एक-एक प्रतिलिपि अपीलकर्ता, कर-निर्धारक प्राधिकारी तथा अन्य ऐसे प्राधिकारी को, जो नियत किया जाये, भेजेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन जोत-कर तब तक नहीं बढ़ाया जायगा जब तक कि अपीलकर्त्ता को कर बढ़ाये जाने के विरुद्ध कारण प्रकट करने का समुचित अवसर न दे दिया गया हो।

पुनरीक्षण

१२—(१) यदि राजस्व परिषद् (बोर्ड आफ रेवेन्यू) को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी कर-निर्धारक प्राधिकारी अथवा अपीलीय प्राधिकारी ने जिसने वाद या अपील का निर्णय किया हो, ऐसे क्षेत्राधिकार, का प्रयोग किया है जो उसमें निहित नहीं था अथवा अपने क्षेत्राधिकार के प्रयोग में अवैधता अथवा महत्वपूर्ण अनियमितता की है, तो वह स्वतः या किसी के प्रार्थना-पत्र पर, उस कर-निर्धारक प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी की कार्यवाही का अभिलेख मंगवा सकता है तथा उसके संबंध में ऐसी आज्ञा दे सकता है जो वह उचित समझे:

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा प्रार्थना-पत्र उस दशा में ग्रहण नहीं किया जायेगा जब आज्ञा के विरुद्ध अपील हो सकती थी किन्तु प्रार्थी ने तदर्थ नियत अवधि के भीतर अपील न की हो।

प्रतिबन्ध यह भी है कि राजस्व परिषद् सम्बद्ध पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना उसके प्रतिकूल कोई आज्ञा नहीं देगी।

(२) उपधारा (१) के अधीन प्रार्थना-पत्र, जिस आज्ञा के विरुद्ध परिवाद हो उसकी प्राप्ति के दिनांक से छः महीने के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा किन्तु राजस्व परिषद् पर्याप्त कारण सिद्ध होने पर और आने की अवधि के भीतर जो तीन महीने से अधिक न हो, प्रार्थना-पत्र ग्रहण कर सकती है।

बोर्ड की आज्ञा अंतिम होगी।

१३--धारा १२ के अधीन राजस्व परिषद् द्वारा दी गयी आज्ञा अंतिम होगी। प्रत्येक ऐसी आज्ञा की एक-एक प्रति कर-दाता, कर-निर्धारक प्राधिकारी तथा ऐसे अन्य प्राधिकारी को जो नियत किया जाये, भेजी जायेगी।

पुनरीक्षण की प्रक्रिया। यू० पी०, ऐक्ट संख्या ३, १९०१।

१४--धारा १२ के अधीन अपने क्षेत्राधिकार के प्रयोग में राजस्व परिषद् यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ द्वारा अथवा उसके अधीन विहित प्रक्रिया का यथासंभव अनुसरण करेगी तथा उक्त ऐक्ट की धारा ८ के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ इस प्रकार प्रवृत्त होंगे, मानों धारा १२ के अधीन कार्यवाही उक्त ऐक्ट के अधीन न्यायिक कार्यवाही हो:

प्रतिबन्ध यह है कि जब राजस्व परिषद् के सदस्यों का मत पुनरीक्षण में की जाने वाली आज्ञा के संबंध में बराबर-बराबर विभक्त हो तो वह विषय निर्णय के निमित्त किसी अन्य सदस्य को अभिदिष्ट किया जायेगा।

जोत जो कर-निर्धारण से रह गयी हो।

१५--यदि किसी कारणवश कोई जोत जिस पर जोतकर आदेय हो किसी कृषि-वर्ष में कर-निर्धारण से बच गयी हो अथवा उस पर जिस दर से कर निर्धारित किया जाना चाहिये था उससे कम दर पर कर निर्धारित किया गया हो, तो कर-निर्धारक प्राधिकारी उस वर्ष की समाप्ति से तीन वर्ष के भीतर किसी भी समय उस क्षेत्रपति पर, जिस पर जोत पर आदेय कर के भुगतान का दायित्व हो, ऐसा नोटिस तामील कर सकता है जिसमें धारा ७ के अधीन दिये जाने वाले नोटिस की समस्त या किन्हीं अपेक्षाओं का समावेश हो तथा ऐसा नोटिस तामील हो जाने पर, इस अधिनियम के उपबन्ध यथासंभव इस प्रकार प्रवृत्त होंगे मानो वह नोटिस उक्त धारा के अधीन जारी किया गया नोटिस हो।

भूल-सुधार

१६--(१) कोई प्राधिकारी जिसने कर-निर्धारण की कोई आज्ञा अथवा अपील या पुनरीक्षण में कोई आज्ञा दी हो, ऐसी आज्ञा दिये जाने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर किसी भी समय, स्वतः या किसी पक्ष द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर ऐसी किसी भूल को जो, यथास्थिति, कर-निर्धारण, अपील अथवा पुनरीक्षण में प्रत्यक्षतः स्पष्ट हो, सुधार सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि दोनों पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर दिये बिना इस प्रकार भूल-सुधार न किया जायेगा।

(२) यदि इस प्रकार के किसी भूल-सुधार के परिणाम-स्वरूप कर-निर्धारण में कमी हो जाये तो सम्बद्ध कर-निर्धारक प्राधिकारी अतिरिक्त धनराशि करदाता को वापस करने की आज्ञा देगा।

(३) उपधारा (१) के अधीन दी गयी किसी ऐसी आज्ञा के संबंध में जिसके परिणामस्वरूप कर-निर्धारण बढ़ जाये यह समझा जायेगा कि वह आज्ञा यथास्थिति धारा ८, ११ या १२ के अधीन दी गयी आज्ञा है तथा इस अधिनियम के उपबन्ध उस आज्ञा पर यथाशक्य प्रवृत्त होंगे।

अध्याय ४
जोत कर का भुगतान

जोत-कर के भुगतान का दायित्व

१७--किसी भी जोत पर आदेय जोत-कर क्षेत्रपति द्वारा देय होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि सहकारी समिति द्वारा धृत भूमि में अपने हिस्से के निमित्त क्षेत्रपति द्वारा देय जोतकर नियत रीति से अवधारित होगा और सहकारी समिति द्वारा देय होगा और उसी से वसूल किया जायेगा मानों सहकारी समिति ही कर दाता हो।

कर कैसे देय होगा

१८—(१) धारा १० के अधीन किसी मांग के नोटिस में अथवा धारा ११ या १२ के अधीन सूचित किसी आज्ञा में निर्दिष्ट जोत-कर की धनराशि चार समान किस्तों में देय होगी।

(२) यथास्थिति, मांग का नोटिस तामील किये जाने अथवा आज्ञा सूचित किये जाने के दिनांक से दो मास के भीतर पहली किस्त का तथा पहली किस्त के देय होने के दिनांक से ऐसी अवधि के भीतर, जो नियत की जाये, अनुवर्ती किस्तों का भुगतान किया जायेगा।

(६) यदि किसी किस्त का भुगतान उपधारा (२) के अधीन अनुमत समय के भीतर न किया जाये तो यह समझा जायेगा कि करदाता बाकीदार है :

प्रतिबन्ध यह है कि जब करदाता ने धारा ११ के अधीन अपील की हो अथवा धारा १२ के अधीन पुनरीक्षण के लिए प्रार्थना-पत्र दिया हो तो यथास्थिति, अपीलीय अथवा पुनरीक्षक प्राधिकारी, प्रार्थना-पत्र मिलने पर यह निदेश दे सकता है कि करदाता के संबंध में ऐसे प्रतिबन्धों तथा शर्तों पर जो वह निर्दिष्ट करे, यह समझा जाये कि वह बाकीदार नहीं है।

अध्याय ५

विविध

शपथ पर साक्ष्य लेने आदि का अधिकार ऐक्ट, संख्या ५, १९०८।

१९—कर-निर्धारक, अपीलीय तथा पुनरीक्षक प्राधिकारियों को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वही अधिकार होंगे जो किसी वाद पर विचार करते समय निम्नलिखित विषयों के संबंध में कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के अधीन न्यायालय में निहित होते हैं, अर्थात्

(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बाध्य करना तथा शपथ अथवा प्रतिज्ञान पर उसका बयान लेना,

(ख) कोई लेख्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना, तथा

(ग) किसी साक्षी का बयान लेने के लिए कमीशन जारी करना,

तथा इस अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के समक्ष की गयी ऐसी प्रत्येक कार्यवाही इंडियन पीनल कोड की धारा १९३ और २२८ के अर्थ में तथा उक्त कोड की धारा १९६ के प्रयोजनों के निमित्त भी न्यायिक कार्यवाही (judicial proceeding) समझी जायगी।

ऐक्ट संख्या ४५, १८६०।

कर के भुगतान के संबंध में बाकीदार होने पर शास्ति।

२०—(१) यदि करदाता जोत-कर का किसी किस्त के भुगतान का बाकीदार हो, तो कर-निर्धारक-प्राधिकारी स्वविवेक से यह निदेश दे सकता है कि करदाता से बकाया धनराशि के अतिरिक्त उस धनराशि के आठवें भाग से अनधिक धनराशि शास्ति के रूप में वसूल की जाये।

(२) करदाता पर मांग की नोटिस, जिसमें शास्ति की धनराशि दी हो नियत रीति से तामील किया जायेगा।

शास्ति के विरुद्ध अपील

२१—कोई करदाता जिसे धारा २० के अधीन अपने पर आरोपित शास्ति की धनराशि पर आपत्ति हो अथवा जो ऐसी शास्ति के दायित्व से इन्कार करे, उक्त धारा के अधीन मांग के नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से ३० दिन के भीतर आयुक्त को अपील कर सकता है और तदुपरान्त धारा ११ की उपधारा (२) से (४) तक के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ उस पर प्रवृत्त होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि धारा ११ के अधीन अपील पर अथवा धारा १२ के अधीन पुनरीक्षण के लिए प्रार्थना-पत्र पर धारा ८ के अधीन किया गया कर-निर्धारण रद्द कर दिया जाये अथवा जोत-कर की धनराशि कम कर दी जाये तो धारा २० के अधीन आरोपित शास्ति, यथास्थिति, अपलिखित (written off) अथवा आनुपातिक रूप से कम की गयी समझी जायेगी।

इस अधिनियम के अधीन देय धनराशि की वसूली ।

२२--कर-निर्धारक प्राधिकारी के प्रस्ताव पर कलेक्टर--

(क) यदि कोई करदाता बाकीदार हो तो जोत-कर के रूप में निर्धारित धनराशि तथा,

(ख) धारा २० के अधीन शास्ति के रूप में आरोपित धनराशि, उसी प्रकार वसूल कर सकता है मानों वह मालगुजारी की बकाया हो:

यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९०१ १९५१ का उ० प्र० अधिनियम सं० १ ।

प्रतिबन्ध यह है कि यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा १४६ के खंड (सी), (ई), (एफ) या (एच) में उल्लिखित आदेशिकाएं अथवा १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा २७९ के खंड (ग) और (च) में उल्लिखित आदेशिकाएं उन अधिनियमों की उक्त धाराओं में उल्लिखित अन्य आदेशिकाओं की कार्यवाही पूरी हो जाने के पश्चात् ही जारी की जायेंगी।

दीवानी न्यायालयों में वाद पर रोक ।

२३--इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी कर-निर्धारण को रद्द अथवा संशोधित करने के लिये कोई वाद किसी दीवानी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जायेगा और इस अधिनियम के, अधीन सद्भावना से किये गये अथवा किये जाने के लिए अभिप्रेत किसी कार्य के संबंध में किसी अधिकारी अथवा राज्य सरकार के विरुद्ध कोई अभियोग या वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा और न कोई दूसरी कार्यवाही की जा सकेगी।

अधिकारों का प्रतिनिधान ।

२४--राज्य सरकार इस अधिनियम द्वारा अपने को प्राप्त कोई भी अधिकर गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी को ऐसे निर्बन्धनों अथवा शर्तों के अधीन रहते हुए जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किये जायें, उसके द्वारा प्रयुक्त किये जाने के लिए प्रतिनिहित कर सकती है।

प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थि ।

२५--जिस क्षेत्रपति का इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के संबंध में किसी प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार हो या जिससे इस प्रकार उपस्थित होने की अपेक्षा की जाये वह या तो स्वयं या यथाविधि प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित हो सकता है।

२६--इस अधिनियम के अधीन कोई भी नोटिस अथवा अधियाचन-पत्र उसमें उल्लिखित व्यक्ति पर व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा तामील किया जा सकता है मानो वह कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के अधीन जारी किया गया सम्मन हो।

नोटिस की तामील ऐक्ट संख्या ५, १९०८ ।

नियम बनाने का अधिकार ।

२७--(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए गजट में विज्ञप्ति द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए नियम बना सकती है।

(२) विशेषतः तथा पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी भी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्

(क) वे सिद्धान्त जिन पर और वह रीति जिससे स्वीकृति मौरूसी दरों को धारा ५ के अधीन बढ़ाया जा सकता है।

(ख) धारा ७ के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी का प्रपत्र और वह रीति जिससे वह प्रस्तुत की जायेगी;

(ग) धारा ७ की उपधारा (३) के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले घोषणा-पत्र का प्रपत्र;

(घ) धारा ८ के अधीन कर-निर्धारण से सम्बद्ध प्रक्रिया;

(ङ) वे सिद्धान्त जिन पर और वह रीति जिससे धारा १७ के प्रति-बन्धात्मक खंड के अधीन सहकारी समिति द्वारा देय कर अवधारित किया जायेगा;

(च) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जारी किये जाने के लिये अपेक्षित नोटिसों के प्रपत्र तथा उनके प्रकाशन की रीति;

(छ) उन मामलों में जिनके लिए इस अधिनियम में कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, इस अधिनियम के अधीन अपीलों, पुनरीक्षणों तथा अन्य कार्यवाहियों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ज) उन मामलों में जिनके लिए इस अधिनियम में तदर्थ कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना-पत्र देने की कालावधि;

(झ) उन मामलों में जिनके लिये इस अधिनियम में तदर्थ कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है, इस अधिनियम के अधीन अपीलों और प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में देय शुल्क;

(ञ) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अपेक्षित लेखा बहियों तथा अन्य रजिस्टरों-,विवरणियों तथा विवरण-पत्रों को रखने की प्रक्रिया और उनके प्रपत्र।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, एक सत्र या एकाधिक अनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे, और जब तक कि राज्य सरकार द्वारा बाद का कोई दिनांक निर्धारित न किया जाये, गजट में प्रकाशन के दिनांक से ,ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों (annulments) के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान-मंडल के दोनों सदन करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की बैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

अनुसूची

(धारा ३ देखिये)

		जोतकर की दर
१--वार्षिक मूल्यांकन के पहले १,८०० रु०		कुछ नहीं
२--वार्षिक मूल्यांकन के उससे ऊपर के ३,२०० रु० पर	..	प्रति रुपया पांच नये पैसे
३--वार्षिक मूल्यांकन के उससे ऊपर के ५,००० रु० पर	..	प्रति रुपया १० नये पैसे
४--वार्षिक मूल्यांकन के उससे ऊपर के १०,००० रु० पर	..	प्रति रुपया २५ नये पैसे
५--वार्षिक मूल्यांकन के उससे ऊपर के १०,००० रु० पर	..	प्रति रुपया ४० नये पैसे
६--वार्षिक मूल्यांकन के अवेशष पर	..	प्रति रु० ६० नये पैसे

यह दरें इन प्रतिबन्धों के अधीन हैं कि--

(क) वार्षिक मूल्यांकन ३,६०० रुपये से अधिक न होने पर जोत कर देय न होगा, तथा

(ख) वार्षिक मूल्यांकन ५,००० रुपये से अधिक न होने पर वह मूल्यांकन ३,६०० रुपये से जितना अधिक हो उसके आधे से अधिक धनराशि जोतकर के रूप में देय न होगी ।

उद्देश्य तथा कारण

राज्य के वित्तीय साधनों की वृद्धि करने हेतु वृहत जोतों पर कर लगाना आवश्यक हो गया है। इस विधेयक द्वारा उन सभी जोतों पर कर लगाने का प्रस्ताव है जो ३० एकड़ से बड़ी हैं और जिनकी वार्षिक आय ३,६०० रु० से ज्यादा है। इस विधेयक का प्रभाव छोटे काश्तकार पर नहीं पड़ेगा। प्रस्ताव यह है कि आरोही मान के अनुसार कर लगाया जाय जिससे जितनी बड़ी जोत हो उतना ही अधिक कर लगे। उन जोतों पर कोई कर नहीं लगाया जायेगा जिन पर लगान पर आपातिक अधिभार अधिनियम, १९६२ के अन्तर्गत अधिभार की धनराशि जोत कर की धनराशि से अधिक है और जहां जोत-कर की धनराशि अधिभार लगाने की धनराशि से अधिक है वहां जोतकर की धनराशि में से अधिभार की धनराशि के बराबर कमी कर दी जायगी ।

हुकुम सिंह विसेन,
राजस्व मंत्री ।

उत्तर प्रदेश वृहत् जोत कर विधेयक, १९६३ के उपबन्धों के स्पष्टीकरण का ज्ञापन जिसमें विधायन के अधिकारों के प्रतिनिधान के प्रस्ताव सम्मिलित हैं

विधेयक के खंड	विधायन के अधिकारों के प्रतिनिधान की सीमा
खंड ३ ..	अब राज्य सरकार लोक हित में ऐसा करना आवश्यक समझे तो वह गजट में विज्ञप्ति द्वारा ऐसी अवधि के लिये जो वह उचित समझे भूमि में किसी वर्ग को जोत कर से पूर्णतः अथवा अंशतः विमुक्त कर सकती है या उसके सम्बन्ध में देय जोत कर में छूट दे सकती है ।
खंड ५ का प्रतिबन्ध	उन दरों को जो पहली जुलाई, १९२७ के पूर्व स्वीकृत हुई थीं, राज्य सरकार पचास से अनधिक ऐसे प्रतिशत से बढ़ा सकती है, जो गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निर्दिष्ट किया जाये और भूमियों के विभिन्न वर्गों तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के निमित्त विभिन्न प्रतिशत निर्विष्ट किये जा सकते हैं ।
खंड ६ का प्रथम प्रतिबन्ध ।	राज्य सरकार निदेश दे सकती है कि प्रथम श्रेणी का कोई असिस्टेंट कलेक्टर जो उसके द्वारा इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट किया जाय, सम्पूर्ण जिले में उसके किसी भाग में उन समस्त अथवा किन्हीं अधिकारों का, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कर निर्धारक प्राधिकारी को प्राप्त हों, किसी अन्य कर निर्धारक प्राधिकारी के होते हुए भी अनन्य रूप से प्रयोग करें,
खंड २४ ..	राज्य सरकार इस अधिनियम द्वारा अपने को प्राप्त कोई भी अधिकार गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी को ऐसे निर्बन्धनों अथवा शर्तों के अधीन रहते हुए जो विज्ञप्ति में निदिष्ट किये जायं, उसके द्वारा प्रयुक्त किये जाने के लिये प्रतिनिहित कर सकती है ।

२७--(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये गजट में विज्ञप्ति द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए नियम बना सकती है ।

(२) विशेषतः तथा पूर्वोक्त अधिकारों की व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्--

(क) वे सिद्धान्त जिन पर और वह रीति जिससे स्वीकृत मौरूसी दरों को धारा ५ के अधीन बढ़ाया जा सकता है ।

(ख) धारा ७ के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी का प्रपत्र और वह रीति जिस से वह प्रस्तुत की जायेगी ।

(ग) धारा ७ की उपधारा (३)के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले घोषणा-पत्र का प्रपत्र सम्बद्ध ।

(घ) धारा ८ के अधीन कर निर्धारण से सम्बद्ध प्रक्रिया ।

(ङ) वे सिद्धान्त जिन पर और वह रीति से जिससे धारा १७ के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन सहकारी समिति द्वारा देय कर अवधारित किया जायेगा ।

(च) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जारी किये जाने के लिये अपेक्षित नोटिसों के प्रपत्र तथा उनके प्रकाशन की रीति ।

(छ) उन मामलों में जिनके लिये इस अधिनियम में कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, इस अधिनियम के अधीन अपीलों, पुनरीक्षण तथा अन्य कार्यवाहियों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ।

(ज) उन मामलों में जिनके लिये इस अधिनियम में तदर्थ कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना-पत्र देने की कालावधि ।

(झ) उन मामलों में जिनके लिये इस अधिनियम में तदर्थ कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है, इस अधिनियम के अधीन अपीलों और प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में देय शुल्क ।

(ञ) इन अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अपेक्षित लेखाबहियों तथा अन्य रजिस्टरों विवरणियों तथा विवरण-पत्रों को रखने की प्रक्रिया और उनके प्रपत्र ।

सत्यमेव जयते

पी० एस० यू० बी०—ए० पी०—३३३ एल० ए०—१९६३—८५० (प्रो०)